

डिफेन्स परीक्षा लिए मासिक करंट अफेयर्स

जनवरी 2019

डिफेंस के लिए मासिक करंट अफेयर्स

कश्मीर हिरण (हंगुल)

- हाल ही में यह जात हुआ है कि कश्मीर हिरण ने एक पुराने प्रवासी मार्ग का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे संरक्षणवादियों में नई आशा की किरण खिली है।

कश्मीर हिरण

- कश्मीर हिरण (सर्वस कैनाडेसिस हंगुल), जिसे हंगुल भी कहा जाता है, यह भारतीय बारहसिंगा की उप-प्रजाति है।
- यह हिमाचल प्रदेश के उत्तरी चंबा जिले और कश्मीर घाटी की ऊँची घाटियों और पहाड़ों में घने तटवर्ती जंगलों में पाया जाता है।
- यह कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जहां यह संरक्षित है लेकिन किसी अन्य स्थान पर यह अधिक जोखिम में है।
- पहले यह माना जाता था कि लाल हिरण (सर्वस एलाफस) की उप प्रजाति है, कई माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. आनुवंशिक अध्ययनों से जात हुआ है कि हंगुल, बारहसिंगा (सर्वस कैनाडेसिस) के एशियाई क्लैड का हिस्सा है।
- यह जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है।

वितरण और पारिस्थितिकी

- यह हिरण हिमाचल प्रदेश के उत्तरी चंबा जिले और कश्मीर घाटी के घने तटवर्ती जंगलों, ऊँची घाटियों और पहाड़ों में पाया जाता है।
- यह कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (3,035 मीटर की ऊँचाई पर), राजपरियन वन्यजीव अभ्यारण्य, ओवेरा अरु, सिंध घाटी और किश्तवाड़ और भद्रवाह के जंगलों में पाया जाता है।

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान

- दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (डी.एन.पी.), जम्मू और कश्मीर (जे. एंड के.) में उमरिया जिले में स्थित है।
- मुख्य पशु प्रजाति जिसके लिए दाचीगाम प्रसिद्ध है वह हंगुल (या कश्मीर हिरण) है।

- अन्य प्रजातियों में कस्तूरी मृग, तेंदुआ, हिमालयन सीरो, हिमालयन ग्रे लंगूर, तेंदुआ बिल्ली, हिमालयन काले भालू आदि शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जे.ड.)

अधिसूचना, 2018 को मंजूरी प्रदान की है।

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जे.ड.) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी प्रदान की है जिसकी इसके पहले वर्ष 2011 में समीक्षा की गई थी और इसे जारी किया गया था।
- वर्ष 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने सी.आर.जे.ड. अधिसूचना, 2011 में बदलाव की सिफारिश करने हेतु डॉ. शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने वर्ष 2015 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी।
- सी.आर.जे.ड. 2018, अधिसूचना में समिति की कई सिफारिशें शामिल हैं।

लाभ

- प्रस्तावित सी.आर.जे.ड. अधिसूचना, 2018 तटीय क्षेत्रों में संवर्धित गतिविधियों को बढ़ावा देगी, जिससे तटीय क्षेत्रों के संरक्षण सिद्धांतों का सम्मान करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे न केवल महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन होगा बल्कि जीवनशैली भी विकसित होगी और भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्य बढ़ेगा। नई अधिसूचना से उसकी कमज़ोरियों को दूर करते हुए तटीय क्षेत्रों का कायाकल्प करने की उम्मीद है।

प्रमुख विशेषताएं:

- सी.आर.जे.ड. क्षेत्रों में वर्तमान मानदंडों के अनुसार एफ.एस.आई. को अनुमति प्रदान करना:
- 1. सी.आर.जे.ड., 2018 अधिसूचना में भूमि स्थान सूचकांक (एफएस.आई) अथवा भूमि क्षेत्रफल

अनुपात (एफ.ए.आर.) को सी.आर.जेड.-II (शहरी) क्षेत्रों के लिए पुनः स्थिर करने का निर्णय लिया गया है।

2. इससे पहले के सी.आर.जेड. 2011 के अनुसार इसे स्थायी किया गया था।
3. सी.आर.जेड. 2018, निर्माण परियोजनाओं के लिए एफ.एस.आई. को अनुमति प्रदान करता है। यह उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के पुनर्विकास को सक्षम करेगा।
- घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के अधिक अवसर प्रदान करना:

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग श्रेणियों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

1. सी.आर.जेड.-III ए-
 - (i) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले घनी आबादी के ग्रामीण क्षेत्र हैं।
 - (ii) सी.आर.जेड. 2011 में एच.टी.एल. से 200 मीटर की तुलना में इन क्षेत्रों में हाई टाइड लाइन (एच.टी.एल.) से 50 मीटर के क्षेत्र में गैर विकास क्षेत्र (एन.डी.जेड.) होगा।
2. सी.आर.जेड.-III बी. -
3. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इन ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है।
4. ऐसे क्षेत्रों में एच.टी.एल. से 200 मीटर के क्षेत्र तक एन.डी.जेड. होगा।
5. बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन ढांचा:
 1. अब, तटों पर अस्थायी पर्यटन सुविधाएं जैसे कि कमरे, टॉयलेट ब्लॉक, चैंज रूम, पीने के पानी की सुविधा आदि की अनुमति प्रदान की जाएगी।
 2. अधिसूचना के अनुसार ऐसी अस्थायी पर्यटन सुविधाएं अब सी.आर.जेड.-III क्षेत्रों के गैर विकास क्षेत्र (एन.डी.जेड.) में भी अनुमन्य हैं।

- हालांकि, ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए एच.टी.एल. से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।
- 4. विभिन्न क्षेत्रों में सी.आर.जेड. की मंजूरी को सुव्यवस्थित किया गया है।
- 5. सभी दर्वीपों के लिए 20 मीटर का गैर विकास क्षेत्र (एन.डी.जेड.) निर्धारित किया गया है।
- 6. परिस्थितिक रूप से संवेदनशील सभी क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है।
- 7. उनके संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं से संबंधित विशिष्ट दिशानिर्देशों को सी.आर.जेड. अधिसूचना के एक भाग के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 8. पर्यावरण मंत्रालय केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करेगा जो निम्न क्षेत्रों में स्थित हैं-
- 9. सी.आर.जेड.-I (परिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र)
- 10. सी.आर.जेड. IV (निम्न ज्वार रेखा और 12 नॉटिकल भील के मध्य का क्षेत्र)
- 11. सी.आर.जेड.-II और III के संदर्भ में मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां आवश्यक मार्गदर्शन के साथ राज्य स्तर पर सौंपी गई हैं।

पृष्ठभूमि

- तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को अधिसूचित किया था, जिसे बाद में वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।

डिजिटल डेटोक्स: आपकी मोबाइल की लत का उपचार करने हेतु एक एप्लीकेशन है।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) के चिकित्सकों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल डेटोक्स एप्लीकेशन तैयार किया है, जो लोगों की मोबाइल का कम उपयोग करने में उनकी मदद करता है।

संबंधित जानकारी

- यह एप्लीकेशन, उपयोगकर्ताओं को नींद न आना, आंखों में समस्या, अकेलापन, ऊबातपन अथवा अधिक फेसबुक उपयोग जैसे उनके लत-

- संबंधी लक्षणों को निर्दिष्ट करने के लिए कहता है।
- यह उपयोगकर्ताओं से पूछता है कि क्या उनके मोबाइल का उपयोग उनकी शिक्षा, कार्य अथवा पारस्परिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है और इस एप्लीकेशन में यह फीचर भी उपलब्ध है जिसके द्वारा आप अपनी प्रगति को अपने मित्रों से भी साझा कर सकते हैं।
- अध्ययन में पाया गया है कि एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं के 75.6% ने अपने मोबाइल उपयोग प्रारूप को बदल दिया है और प्रौद्योगिकी पर खर्च किए जाने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी दर्शाई गई है।

केंद्र ने नागालैंड में अफस्पा को बढ़ा दिया है।

- हाल ही में, विवादास्पद अफस्पा के अंतर्गत पूरे नागालैंड राज्य को जून के अंत तक अगले छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
- अफस्पा, सुरक्षा बलों को किसी भी स्थान पर कार्रवाही करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

संबंधित जानकारी

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा), भारत की संसद का अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक अधिनियम "अशांत क्षेत्रों" की शर्तें रखता है।
- अशांत क्षेत्र (विशेष अदालतें) अधिनियम, 1976 के अनुसार एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद इस क्षेत्र को न्यूनतम 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखना होता है।
- 11 सितंबर, 1958 को पारित एक ऐसा अधिनियम नागा हिल्स पर लागू किया गया था, जो उस समय असम का भाग था।

- बाद के दशकों में यह एक के बाद एक करके भारत के उत्तर-पूर्व में अन्य सेवन सिस्टर राज्यों (वर्तमान में यह असम, नागालैंड, मणिपुर में इंफाल कार्यपालिका परिषद क्षेत्र को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिराप जिलों) तक फैल गया था।
- समान प्रकार का एक अधिनियम वर्ष 1983 में पारित हुआ था, जो पंजाब और चंडीगढ़ में मान्य था, जिसे लागू होने के लगभग 14 वर्षों बाद वर्ष 1997 में वापस ले लिया गया था।

इतिहास

- भारत छोड़ों आंदोलन को दबाने के लिए 1942 के सशस्त्र बल विशिष्ट शक्तियां अध्यादेश को अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त, 1942 को प्रवर्तित किया गया था।
- इन पंक्तियों पर आधारित चार अध्यादेश-
- बंगाल अशांत क्षेत्र (सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां) अध्यादेश
- असम अशांत क्षेत्र (सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां) अध्यादेश
- पूर्वी बंगाल अशांत क्षेत्र (सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां) अध्यादेश
- संयुक्त प्रांत अशांत क्षेत्र (सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां) अध्यादेश

ये अध्यादेश वर्ष 1947 में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, जो भारत के विभाजन के कारण से उभरे थे।

ए.एस.आई. ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय महत्व के 6 स्मारकों की घोषणा की है।

- हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा वर्ष 2018 में छह स्मारकों को संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।

ये स्मारक हैं:

- महाराष्ट्र के नागपुर में 125 वर्ष पुरानी, पुरानी हाईकोर्ट इमारत

2. आगरा में दो मुगलकालीन स्मारक- आगा खान की हवेली और हाथी खाना
3. राजस्थान के अलवर जिले में प्राचीन नीमराना बातुरी
4. उड़ीसा के बोलनगीर जिले के रानीपुरझरैल में मंदिरों का समूह
5. उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के कोटली में विष्णु मंदिर

संबंधित जानकारी

- वर्ष 2016 और 2017 में राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सूची में कोई नया स्मारक शामिल नहीं किया गया था।
- सूची में शामिल होने वाला आखिरी स्मारक वर्ष 2015 में शामिल किया गया केरल के वायनाड जिले के नादावयाल में स्थित विष्णु मंदिर था।

नोट: एक "राष्ट्रीय महत्व का स्मारक", भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्दिष्ट है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- 1. एक प्राचीन स्मारक के अवशेष
- 2. एक प्राचीन स्मारक स्थल
- वह भूमि जिस पर स्मारक को संरक्षित करने के लिए बाड़ अथवा सुरक्षात्मक आवरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं।
- 1. भूमि, जिसके माध्यम से लोग स्वतंत्र रूप से स्मारक तक पहुंच सकते हैं

सबरीमाला में मकराविलक्कु महोत्सव शुरू हुआ है।

- हाल ही में, मकराविलक्कु नामक वर्षिक महोत्सव, भारत के केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हुआ है।

संबंधित जानकारी

- इस महोत्सव में थिरुवभरणम (अर्याप्पन के पवित्र आभूषण) यात्रा और सबरीमाला के पहाड़ी मंदिर में पर भक्तों का जनसमूह शामिल हैं।

मकराविलक्कु के पीछे के घटक-

- मकराविलक्कु, एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जिसे पूर्व में पोन्नमबालामेडु (जिस स्थान पर मकराविलक्कु देखे गए हैं) के बनों में निवास करने वाली जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और फिर बाद में इसे गुप्त रूप से त्रावणकोर

देवस्वोम बोर्ड (टी.डी.बी.) द्वारा जारी रखा गया है।

- यह जनजाति द्वारा सैकड़ों वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा है।

सबरीमाला के संदर्भ में जानकारी-

- सबरीमाला, भारत के केरल राज्य में पेरियार बाघ रिजर्व में स्थित एक मंदिर परिसर है।
- यह मंदिर, हिंदू देवता अर्याप्पन को समर्पित है, जिन्हें धर्म संस्था के नाम से भी जाना जाता है, विश्विसनीय मत के अनुसार वे भगवान शिव के पुत्र और विष्णु के स्त्री अवतार हैं।
- सबरीमाला की परंपराएं शिववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद और अन्य सम्मण परंपराओं का संगम हैं।

सबरीमाला केस का फैसला

- वर्ष 1991 में दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में, केरल उच्च न्यायालय ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध (10-50 आयु वर्ग में) का अवलोकन किया था, जो कि अनादिकाल से प्रचलित परंपराओं पर आधारित था।
- इसके स्थान पर न्यायालय ने देवस्वोम बोर्ड को मंदिर की अन्य प्रथागत परंपराओं को बनाए रखने का निर्देश दिया था।
- हालांकि, 28 सितंबर, 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि महिलाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण हैं।

केंद्र ने सेनेटरी पैड बनाने की पहल शुरू की है।

- हाल ही में, पेट्रोलियम मंत्रालय ने उज्जवल सेनेटरी नैपकिन पहल की शुरूआत की है।
- यह पहल तीन तेल विपणन कंपनियों- आई.ओसी.एल., बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की मदद से शुरू की गई हैं।

संबंधित जानकारी

- यह मिशन उड़ीसा में ओ.एम.सी. की सी.एस.आर. पहल का एक हिस्सा है।

- इसका उद्देश्य महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर महिलाओं को शिक्षित करना, कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड की पहुंच में सुधार करना और ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- उज्जवला पैड, वर्जिन लकड़ी की छीलन की शीट, बिना बुनी हुई सफेद शीट और प्राकृतिक रूप में बायोडिग्रेडेबल और न्यूनतम कार्बन पदचिन्ह छोड़ने वाली जेल शीट से उज्जवला पैड बनाए जाएंगे।

अब, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी द्वीप कर दिया गया है।

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तीन द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है।
- रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभास चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलैक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है।

संबंधित जानकारी

अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत के सात केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य में स्थित द्वीपों का एक समूह है।
- यह क्षेत्र इंडोनेशिया में एसेह के उत्तर में लगभग 150 कि.मी. (93 मील) तक फैला हुआ है और यह अंडमान सागर द्वारा थाईलैंड और म्यांगांग से अलग होता है।
- यह दो द्वीप समूहों, अंडमान द्वीप समूह (आंशिक रूप से) और निकोबार द्वीप समूह से मिलकर बना है, जो 150 कि.मी. चौड़े टेन डिग्री चैनल (10° उत्तर समानांतर पर) द्वारा अलग किए जाते हैं।
- अंडमान सागर पूर्व में और बंगाल की खाड़ी पश्चिम में स्थित है।

- द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार कमांड की मेजबानी करता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा भौगोलिक कमांड है।
- अंडमान द्वीप, सेंटीनलीज लोगों का निवास है जो लोग प्रतिबंधित हैं।
- सेंटीनलीज केवल ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में अभी तक प्रौद्योगिकी के पाषाण काल से आगे नहीं पहुंचे हैं।

इसरो ने "छात्रों से संवाद" कार्यक्रम की शुरूआत की है।

- इसरो के संवर्धित आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में "छात्रों से संवाद" नामक एक मंच की शुरूआत की गई है।
- "छात्रों से संवाद" का उद्देश्य पूरे भारत के युवाओं को अपनी वैज्ञानिक प्रकृति को पहचानने हेतु निरंतर संलग्न रखना है।
- यह नया वार्तालाप मिशन, विद्यालयों और कॉलेजों से दूर रहने वाले छात्रों को प्रेरित करेगा।
- पहले "छात्रों से संवाद" कार्यक्रम में चयनित विद्यालयों से 40 छात्र और 10 शिक्षक शामिल थे।

संबंधित जानकारी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

- इसका मुख्यालय बैंगलोर शहर में है।
- इसका दृष्टिकोण "अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रह संबंधी अन्वेषण करते हुए राष्ट्रीय विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।"
- यह अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- इसका आदर्श वाक्य- मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन परिषद प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्दम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) ने एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
- यह निम्न कार्य करेगा:

 - संपूर्ण एम.एस.एम.ई. विकास हेतु एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा

2. अपने उत्पादों और सेवाओं को निर्यात करने के लिए एम.एस.एम.ई. की तत्परता का मूल्यांकन करेगा
3. प्रभावी ढंग और कुशलता से निर्यात करने में सक्षम होने के क्रम में उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां सुधार की आवश्यकता है
4. वैशिक मूल्य श्रृंखला में एम.एस.एम.ई. का एकीकरण करेगा

रचना

- इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता क्रमशः एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के सचिव और विकास आयुक्त द्वारा की जाएगी।
- परिषद में एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, एम.एस.एम.ई. निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात विकास प्राधिकरण, कमोडिटी बोर्ड और अन्य निकायों के वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य शामिल होंगे।

उद्देश्य

- वर्ष 2020 तक भारत से 100 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य है।
- अपने उत्पादों और सेवाओं को निर्यात करने के लिए एम.एस.एम.ई. की तत्परता का मूल्यांकन करना।
- प्रभावी ढंग और कुशलता से निर्यात करने में सक्षम होने के क्रम में उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां सुधार की आवश्यकता है।
- वैशिक मूल्य श्रृंखला में एम.एस.एम.ई. का एकीकरण करना।

नासा का न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान, "अलिट्मा थुले" के बेहद नजदीक से उड़ने वाला पहला अन्वेषक बन गया है।

- नासा का न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान, "अलिट्मा थुले" नामक रहस्यमयी वस्तु के बेहद नजदीक से उड़ने वाला पहला अन्वेषक बन गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4 बिलियन मील की दूरी पर स्थित है।

संबंधित जानकारी

अलिट्मा थुले

- अलिट्मा थुले, वरुण की कक्षा से दूर सौर मंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में क्विपर बेल्ट में स्थित है।
- अलिट्मा थुले का अर्थ है "थुले से दूर", जात दुनिया की सीमाओं से दूर दूरस्थ क्विपर बेल्ट और क्विपर बेल्ट वस्तुओं की खोज का प्रतीक्त्व करना है।
- मानव जाति द्वारा अभी तक तस्वीर लिए गए ब्रह्मांडीय पिंडों में यह सबसे दूर स्थित है और संभवतः सबसे पुराना भी है।
- यह लगभग 30 कि.मी. व्यास का और अनियमित आकार का है।

न्यू हॉरिजॉन्स

- यह वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और पिछले नौ वर्षों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है।
- न्यू हॉरिजॉन का मुख्य विज्ञान मिशन, प्लूटो और कैरन की सतह का मानचित्रण करना, प्लूटो के वातावरण का अध्ययन करना और तापमान रीडिंग लेना है।

साइड ए.डी.35 (SIDEAD35): यह एक प्रकार का जीन है जो विषाणुजनित संक्रमण, गर्भी के तनाव से लड़ने में टमाटर की मदद करता है।

- नई दिल्ली आधारित राष्ट्रीय पादप जिनोम अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.जी.आर.) के वैज्ञानिकों ने टमाटर के पौधे में एकल जीन साइड ए.डी. 35 की महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या की है, जिसकी अभिव्यक्ति गर्भी के तनाव और विषाणुजनित संक्रमण दोनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है।
- संयुक्त तनाव के खिलाफ सहनशीलता अथवा प्रतिरोध के लिए विकासशील प्रणालियां भविष्य के फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संबंधित जानकारी

- यह जात है कि आर.एन.ए. कुंडली, सबसे बड़े जीन परिवारों में से एक है जो आर.एन.ए. चयापचय के लगभग सभी पहलुओं में कार्य करते हैं और जो प्रजाति की वृद्धि, विकास और तनाव प्रतिक्रिया में भूमिका निभाते हैं।

- वे जीवाणु से लेकर मनुष्यों तक के साथ-साथ पौधों में और अधिकांश सूक्ष्मजीवों में उपस्थित होता है।
- हालांकि, टमाटर के पौधे की पर्यावरणीय तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के संदर्भ में इसकी भूमिका ज्ञात नहीं थी।
- अब टीम ने यह अवलोकन किया है कि दो जीन (साइड ए.डी. 23 और साइड ए.डी.35) पौधों की जैविक और अजैविक तनाव का सामना करने में मदद करते हैं।

पाकिस्तान मंत्रिमंडल ने चीनी मुद्रा में पांडा बॉन्ड जारी करने को मंजूरी प्रदान की है।

- पाकिस्तान की सरकार ने चीनी पूँजी बाजारों से क्रृष्ण जुटाने के लिए पांडा बॉन्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है।
- यह चीनी मुद्रा को वह दर्जा प्रदान करने की दिशा में पाकिस्तान की मदद करेगा, जो दर्जा कभी पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को दिया जाता था।
- पांडा बॉन्ड, विदेशी वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने और विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण हेतु अपने बहुआयामी वृष्टिकोण का हिस्सा है।
- पांडा बॉन्ड, पूँजी बाजार जारीकर्ता के निवेशक आधार में विविधता लाने और रॅन्जिन्बी जुटाने का एक स्रोत प्रदान करने में पाकिस्तान की मदद करेगा।
- चीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- चीनी मुद्रा में पूँजी जुटाने से पाकिस्तान को घाटा कम करने में मदद मिलेगी।

संबंधित जानकारी

पांडा बॉन्ड

- ये बांड, एक गैर-चीनी जारीकर्ता से चीनी रॅन्जिन्बी-नामक बांड हैं, जिसे चीनी जनवादी गणराज्य में बेचा जाता है।
- फिलीपींस ने वर्ष 2018 में पहल बार पांडा बॉन्ड जारी किए थे। पांडा बॉन्ड जारी करने वाला यह पहला आसियान सदस्य था।

सरकार को गणतंत्र दिवस से पहले 100% घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- विद्युत मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस से पहले 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

हाल ही का परिवर्तन

- भारत ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना के अंतर्गत लक्षित 2.49 करोड़ परिवारों में से 2.39 करोड़ परिवारों को बिजली तक पहुंच प्रदान की है।
- विद्युतीकरण दर्जे के अंतर्गत भारत ने दिसंबर, 2018 तक 25 राज्यों में परिवारों के सौ प्रतिशत विद्युतीकरण को प्राप्त कर लिया है।
- अब मात्र 4 राज्यों असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़ में लगभग 10.48 लाख घरों का विद्युतीकरण होना शेष है।

संबंधित जानकारी

सैभाग्य अथवा 'सभी के लिए बिजली' योजना

- प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर, 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिह्नित करने हेतु "सभी के लिए बिजली" योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना का नाम 'सैभाग्य' रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, मीटर और तारों जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- यह योजना आवेदकों का घर पर पंजीकरण करने का वादा करती है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.), इस योजना के कार्यान्वयन के समन्वय हेतु प्रधान संस्था है।
- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011 आंकड़ों का उपयोग करके योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए संभावित लाभार्थी परिवारों की पहचान की जाती है।

स्थायी जी.डी.पी. विकास दर जारी रहेगी: CII

- भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार, भारत स्थायी जी.डी.पी. विकास दर के साथ सबसे तेजी

से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा, स्थायी जी.डी.पी. विकास दर के वर्ष 2019 तक जारी रहने की आशा है।

- भारतीय उदयोग परिसंघ ने यह बयान सेवा क्षेत्र के स्थायी संचालकों, बुनियादी ढांचा गतिविधि और बेहतर मांग स्थितियों के आधार पर दिया था।

वे कारक जो वर्ष 2019 में 7.5% की सीमा तक स्थायी जी.डी.पी. विकास दर को बनाए रखने में योगदान देंगे:

- बेहतर मांग स्थितियां
- जी.एस.टी. कार्यान्वयन निपटारा
- अवसंरचना में बढ़ते निवेश के परिणामस्वरूप क्षमता विस्तार
- कार्य के अंतर्गत ली गई सुधार नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को जारी रखना और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में 24% की दर से ऋण में सुधार होना

सी.आई.आई ने विकास के सात प्रमुख संचालकों की पहचान की है जिन्हें वर्ष 2019 में संवर्धित करने की आवश्यकता है:

- जी.एस.टी. दर स्लैब की संख्या कम करना
- दिवालियापन को कम करना
- दिवालियापन ढांचा
- व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- अन्य के मध्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना

सिनेरिउस गिद्ध

- हाल ही में, सिनेरिउस गिद्ध को झारखंड के हजारीबाग में देखा गया है।

संबंधित जानकारी

- सिनेरिउस गिद्ध, एक बड़ा शिकारी पक्षी है जिसे यूरेशिया के बहुत से हिस्सों में पाया जाता है।
- इसे काला गिद्ध, भिक्षु गिद्ध अथवा यूरेशियाई काले गिद्ध के नामों में भी जाना जाता है।
- यह विश्व के दो सबसे बड़े पुराने गिद्धों में से एक है।
- आई.यू.सी.एन. स्थिति: खतरे के नजदीक है

असम की विरासत की सुरक्षा हेतु नई समिति का गठन किया जाएगा।

- असम के निवासियों को किस प्रकार संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित करना शामिल है।
- यह निर्णय वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के अनुसार लिया गया है जिसमें परिकल्पित किया गया था कि असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन हेतु उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- यह समिति, असमी और राज्य की अन्य देशीय भाषाओं को संरक्षित करने, असम सरकार के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण का अनुपात और असम की विरासत की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों का मूल्यांकन भी करेगी।
- समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें, गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएंगी।

संबंधित जानकारी

- मंत्रिमंडल ने बोडो समुदाय से संबंधित उत्कृष्ट मुद्रों का हल करने हेतु कई उपायों को मंजूरी प्रदान की है।
- वर्ष 2003 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बोडोलैंड प्रादेशिक की स्थापना हुई थी।
- मंत्रिमंडल ने बोडो संग्रहालय-सह-भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना, वर्तमान के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है।

विदेशी पेड़, पश्चिमी घाट के घास के मैदानों को नष्ट कर रहे हैं।

- नवीनतम अध्ययनों से जात हुआ है कि पिछले चार दशकों में देश के पश्चिमी घाट के लगभग एक-चौथाई अधिक उच्च ऊर्चाई वाले घास के मैदान समाप्त हो गए हैं।

- इसके लिए प्रमुख रूप से विदेशी आक्रामक पेड़ जिम्मेदार हैं।

संबंधित जानकारी

- इससे पहले के उपग्रह चित्रों से जात हुआ था कि 60 प्रतिशत शोला-घास के मैदानों के भू-दृश्य बदल गए हैं, लगभग 40% (516 वर्ग कि.मी.) देशीय उच्च-ऊंचाई वाले घास के मैदान समाप्त हो गए हैं।
- इस नुकसान का अधिकांश भाग नीलगिरि, पलानी और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं के पहाड़ों की ओटी पर हुआ है, जो घाट के शोला-घास के मैदानों के आधे से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बने हैं।
- इनके समाप्त होने का प्रमुख कारण, विदेशी पेड़ों (देवदार, बबूल और यूकेलिप्टस) का विस्तार है।
- बाद में वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने यह अद्ययन करने का निर्णय लिया है कि वर्ष 1972 से 2017 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ियों से लेकर तमिलनाडु की अशाम्बू पहाड़ियों तक घाटों में शोला-घास के मैदानों में किस प्रकार बदलाव हुआ है।
- मोटे तौर पर, तमिलनाडु में शोला-घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में कमी की उच्चतम दर को देखा गया है।
- घास के मैदानों से परिपक्व वृक्षारोपण सहित सभी विदेशी पौधों को हटाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की जानी चाहिए।

कृषि निर्यात क्षेत्र

- कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जेड.) का सिद्धांत वर्ष 2001 में एकिजम नीति 1997-2001 के माध्यम से शुरू किया गया था।
- यह अंतिम निर्यात का नेतृत्व करने वाले कच्चे माल, उनके प्रसंस्करण/ पैकेजिंग के विकास और सोर्सिंग के लिए सन्निहित क्षेत्र में स्थित विशेष उत्पादन/ उत्पादों पर व्यापक नज़र रखता है।
- यह सिद्धांत मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर आधारित है:

- मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय हस्तक्षेपों की देखभाल करने हेतु मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संमिलन पर
- विभिन्न हितधारकों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, प्रसंस्करण, निर्यातक आदि के मध्य साझेदारी पर
- आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान करने हेतु लक्षित उत्पादों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर
- ये सभी गतिविधियाँ अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र में निश्चित संदर्भों में लागू की जाएंगी।
- दिसंबर 2004 में, वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित एक आंतरिक सहकर्मी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिसूचित ए.ई.जेड., उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
- यह निर्णय लिया गया कि तब तक किसी भी नए ए.ई.जेड. का निर्माण नहीं किया जाएगा जब तक कि मजबूत और बाध्यकारी कारण नहीं होंगा।
- वर्ष 2004 के बाद किसी भी नए ए.ई.जेड. को स्थापित नहीं किया गया है।
- सभी अधिसूचित ए.ई.जेड. ने अपना 5 वर्ष का उद्देश्यपूर्ण कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब उन्हें बंद कर दिया गया है।

आर.बी.आई. ने एस.आर.पी.एच.आई. लॉन्च किया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने व्यक्तिगत खुदरा भुगतान आदतों (एस.आर.पी.एच.आई.) पर सर्वेक्षण शुरू किया है।
- यह सर्वेक्षण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और गुवाहाटी के शहरों में व्यक्तियों के भुगतान की आदतों के संदर्भ में जानकारी एकत्र करेगा।

संबंधित जानकारी

- इस सर्वेक्षण के फील्डवर्क का संचालन कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिग्मा रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है।

- इस सर्वेक्षण के अंतर्गत छह शहरों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 6000 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
- यह सर्वेक्षण व्यक्तियों की भुगतान आदतों पर उनसे गुणात्मक प्रतिक्रिया चाहता है।
- सर्वेक्षण के निष्कर्ष, डिजिटल भुगतान उत्पादों की जागरूकता और उपयोग की आदतों के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

केरल की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने हेतु "दीवार" का निर्माण किया है।

- पूरे केरल की महिलाओं ने लैंगिक समानता और पुनर्जागरण के लिए 620 किलोमीटर लंबी महिलाओं की दीवार बनाई है, जो उत्तरी केरल के कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी ज़िले तक फैली हुई है।
- यह अद्यत्ता मंदिर में सभी महिलाओं के प्रार्थना करने के सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय के कारण सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप लिया जाने वाला राज्य-प्रायोजित कदम था।

कृषकबोध योजना

- पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कृषकबोध योजना की घोषणा की है।
- इस योजना के अंतर्गत, यदि 18 से 60 वर्ष की आयु के किसान की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 2 लाख रु का भुगतान करेगी।

संबंधित जानकारी

- पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अन्य पहले की गई हैं जिसमें किसानों को एक एकड़ भूमि पर एक ही फसल उगाने के लिए वर्ष में दो बार 2,500 रुपये मिलेंगे।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने संकट में किसानों की मदद करने के लिए कृषि भूमि पर कर और उपकर पहले ही माफ कर दिया है।
- हाल ही में, उड़ीसा सरकार ने "आजीविका एवं आय संवर्धन हेतु कृषक सहायता (कालिया)" योजना के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है।

बी.वी.आर. मोहन रेड्डी समिति ने तकनीकी शिक्षा पर ए.आई.सी.टी.ई. को एक रिपोर्ट सौंपी है।

- तकनीकी शिक्षा पर सरकारी समिति ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इस समिति के अध्यक्ष बी.वी.आर. मोहन रेड्डी हैं।

समिति की सिफारिशें

- इस समिति ने ए.आई.सी.टी.ई. को वर्ष 2020 से नए कॉलेजों की स्थापना की अनुमति नहीं देने की सलाह दी है।
- इस समिति ने ए.आई.सी.टी.ई. को प्रत्येक दो वर्ष में नई क्षमता निर्माण की समीक्षा करने की सिफारिश की है।
- इस समिति ने अनुशंसित किया है कि नई तकनीकियों के विकास हेतु पारंपरिक विषयों में वर्तमान क्षमता को बदलने हेतु संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- समिति ने ए.आई.सी.टी.ई. से विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के लिए स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया है।
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता
 - ब्लॉकचैन
 - रोबोटिक
 - क्वांटम कंप्यूटिंग
 - डेटा विज्ञान

ए.आई.सी.टी.ई.

- यह तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की सर्वाच्च सलाहकार संस्था है।
- इसे वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- यह भारत में समन्वित और एकीकृत ढंग से तकनीकी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देता है।
- यह नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करने और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश क्षमता में बदलाव करने हेतु अनुमोदन प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

मध्य प्रदेश को 'आध्यात्मिक विभाग' प्रदान किया जाएगा।

- मध्य प्रदेश सरकार कई मौजूदा विभागों को मिलाकर एक आध्यात्मिक विभाग (आध्यात्मिक विभाग) बनाने जा रही है।
- धार्मिक न्यास एवं धर्मासव विभाग (धार्मिक विश्वास एवं दान विभाग), आनंद विभाग (खुशी का विभाग) के अतिरिक्त धार्मिक विश्वास एवं दान निदेशालय, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण और राज्य आनंद संस्थान से मिलकर प्रस्तावित आध्यात्मिक विभाग (आध्यात्मिक विभाग) का गठन किया जाएगा।
- सरकार द्वारा स्थापित 'आनंद विभाग' (खुशी का विभाग), देश का पहला ऐसा विभाग है जिसे नए विभाग में निर्गमित किया जाएगा।

तीन वर्षों (2015-2018) में भारत में रिकाई 377

खाद्यान मौते हुई हैं।

- खदानों में दुर्घटनाओं के कारण कोयला खदानों में सबसे ज्यादा मौते हुई हैं। 377 में से, आधे से अधिक 210 लोगों की मौत कोयला खदानों में हुई है।
- ये आंकड़े श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे।
- झारखंड में पिछले तीन वर्षों में 69 मौतें हुई हैं, जहां खदानों के भीतर होने वाली दुर्घटनाओं में कोयला खदान मजदूरों की सबसे ज्यादा मौत हुई है।
- झारखंड के गोडा में वर्ष 2016 में सबसे बड़ी खान दुर्घटनाओं में से एक हुई थी, उस वर्ष दिसंबर में इस दुर्घटना में 23 मजदूर मारे गए थे।

सरकार ने "ग्रीन-ए.जी.", जी.ई.एफ.-सहायता परियोजना की शुरुआत की है।

- भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के सहयोग से ग्रीन-ए.जी. नामक जी.ई.एफ. सहायता परियोजना की शुरुआत की है, यह वैश्विक पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता एवं वन परिवृश्य के संरक्षण हेतु भारतीय कृषि का रूपांतरण है।
- इसे सितंबर, 2018 में मध्य प्रदेश (चंबल परिवृश्य), मिजोरम (डम्पा परिवृश्य), उड़ीसा

(सिमिलिपाल परिवृश्य), राजस्थान (मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान परिवृश्य) और उत्तराखण्ड (कॉर्बेट-राजाजी परिवृश्य) नामक पांच राज्यों के उच्च संरक्षण-मूल्य वाले परिवृश्य में शुरू किया गया था।

- यह परियोजना भारतीय कृषि में मुख्यधारा की जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सतत भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और अभ्यासों को पूरा करने का प्रयास करती है।
- परियोजना का समग्र उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिवृश्य के संरक्षण का समर्थन करने हेतु भारत के कृषि क्षेत्र के परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करना है।

यह परियोजना भारत के लिए किस प्रकार लाभकारी है?

- यह परियोजना भारत की कृषि और पर्यावरणीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं एवं निवेशों के मध्य सामंजस्य का इस प्रकार समर्थन करेगी कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने और उनकी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को पूरा करने की भारत की क्षमता से समझौता किए बिना राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों की उपलब्धियों को पूर्ण रूप से महसूस किया जा सके।

संबंधित जानकारी

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.)

- इसकी स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हमारे ग्रह की सबसे गहन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने हेतु की गई थी।
- जी.ई.एफ. राष्ट्रीय सतत विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्रदों को संबोधित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओ.) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 183 देशों को एकत्र करता है।

इसके अतिरिक्त जी.ई.एफ. निम्नलिखित सम्मेलनों हेतु वित्तीय तंत्र के रूप में भी कार्य करता है:

- जैविक विविधता पर सी.बी.डी. सम्मेलन
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.)
- मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.सी.डी.)
- निरंतर कार्बनिक प्रदूषकों (पी.ओ.पी.) पर स्टॉकहोम सम्मेलन
- पारे पर मिनामाता सम्मेलन

केंद्र बजट सत्र में वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक पेश करेगा।

अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक, 2017 की विशेषताएं

- अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक, 2017 का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और प्रयोग को सुनिश्चित करते हुए अंतरिक्ष गतिविधियों का विनियमन करना है।
- विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं:
 1. यह विधेयक, वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि करने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस हेतु पेश किया गया है।
 2. यह विधेयक, केंद्र सरकार को लाइसेंस के लिए उपयुक्त तंत्र, पात्रता मानदंड और शुल्क निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 3. देश के लिए अंतरिक्ष गतिविधि योजनाओं का विकास करने और सभी अंतरिक्ष वस्तुओं (पृथकी के चारों ओर किसी भी वस्तु को लॉन्च करने अथवा लॉन्च करने का इरादा रखने) के लिए आंकड़ों को बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार की आवश्यकता होगी।
 4. केंद्र सरकार सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगी और भारत की प्रत्येक अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन की निगरानी करेगी और अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन से संबंधित किसी भी घटना अथवा दुर्घटना की जांच करेगी।
 5. यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि को बिना प्राधिकृत के करता है तो उसे 3 साल तक के कारावास की सजा अथवा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना अथवा दोनों

देने का दंडात्मक प्रावधन विधेयक में पेश किया गया है।

6. बाहरी अंतरिक्ष को दूषित होने से अथवा पृथकी के वायुमंडल को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य के साथ संचालन करने हेतु विधेयक में लाइसेंसधारक संस्थाओं की आवश्यकता होगी।

विधेयक से संबंधित समस्याएं-

- यह विधेयक अंतरिक्ष-आधारित गतिविधियों को अलग से संबोधित नहीं करता है।
- यह परिभाषा प्रत्येक अंतरिक्ष वस्तु को अपने दायरे में रखती है, जिसका अर्थ है कि हार्डवेयर जो जी.पी.एस. रिसीवर को ले जाता है उसे भी लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है।
- यह विधेयक गूगल मैप, ओला और उबर जैसी कंपनियों द्वारा प्रदान की गई नेविगेशन सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

असम समझौता: 'भारतीय नागरिक' और 'असमी' के मध्य मामूली अंतर

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 1985 के असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन की जांच करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

विशेष रूप से एन.आर.सी. और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के संदर्भ में खंड 6 महत्वपूर्ण क्यों हैं?

खण्ड 6 क्या है?

- यह असम समझौते का एक हिस्सा है जो बांग्लादेश से आप्रवासन के खिलाफ एक आंदोलन की परिणति के रूप में आया था।
- खंड 6 के अनुसार- "असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन हेतु संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा, जिस प्रकार वे उचित हों, प्रदान की जाएंगी।"
- नागरिकों के रूप में मान्यता के लिए समझौता 24 मार्च, 1971 को कटऑफ के रूप में निर्धारित करता है।

महंत द्वारा वर्णित "स्वदेशी लोग" अथवा खंड 6 में वर्णित "असमी लोग" कौन हैं?

- अधिकांश हितधारक इस बात से सहमत हैं कि 1951 के एन.आर.सी. को प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के लिए योग्य "असमी लोगों" को परिभाषित करने हेतु कटऑफ के रूप में लिया जाना चाहिए।
- समिति में भट्टाचार्या और तत्कालीन राष्ट्रपति सरबानंद सोनोवाल, वर्तमान के असम के मुख्यमंत्री सहित तीन ए.ए.एस.यू. सदस्यों को शामिल किया गया था।
- विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 संगठनों से परामर्श करने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रणब गोगोई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में "असमी लोगों" को परिभाषित करने के आधार के रूप में 1951 एन.आर.सी. की सिफारिश की गई थी।

क्या यह वर्तमान एन.आर.सी. अपडेट के लिए कटऑफ से अलग नहीं होगा?

- अपडेट 24 मार्च, 1971 पर आधारित है, जो नागरिकता को परिभाषित करता है। खण्ड 6 "असमी लोगों" से संबंधित है।
- क्या 1951 को कटऑफ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह होगा कि जो लोग वर्ष 1951 और वर्ष 1971 के बीच पलायन कर गए थे वे भारतीय नागरिक होंगे, लेकिन "असमी लोगों" के आधार पर सुरक्षा उपायों के लिए पात्र नहीं होंगे।

ये सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- प्रस्तावित समिति चुनावी सीटों, भूमि और राजनीतिक अधिकारों के आरक्षण के रूप में महंत के विचारों "सुरक्षा उपायों" को परिभाषित करना चाहती है।
- इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और स्वदेशी लोगों की संस्कृति का संरक्षण भी शामिल है।

प्रस्तावित समिति क्या करेगी?

- समिति, खण्ड 6 को लागू करने के लिए वर्ष 1985 से कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच करेगी।
- यह सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगी और असमी लोगों के लिए विधानसभा और स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण की मात्रा का मूल्यांकन करेगी।
- यह असमी और असम की अन्य राज्य भाषाओं, राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण और अन्य उपायों की सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्णयों का भी मूल्यांकन करेगी।

संसद ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी प्रदान की है।

- संसद ने राज्यसभा की मंजूरी के साथ जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी प्रदान की है।

राष्ट्रपति शासन

- भारत में राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकार का निलंबन है और राज्य में प्रत्यक्ष केंद्र सरकार कानून लागू होता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, इस स्थिति में कि जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप, कार्यकारी प्राधिकरण को केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के अनुसार कार्य करना होता है, जिसके पास उनकी सहायता हेतु अन्य प्रशासकों को नियुक्त करने का अधिकार होता है।

जम्मू-कश्मीर का मामला

- जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन में सरकारी कार्यों के परिणाम विफल रहे, जिसे जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 का आवहन करके लागू किया गया था।
- भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद राज्य का राज्यपाल उद्घोषणा जारी करता है।

- यदि लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यपाल शासन को रद्द करना संभव नहीं है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

नोट: 1994 के बोम्बई मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के एकपक्षीय आरोपण को प्रतिबंधित कर दिया है।

एक पेपर सेंसर जो दूध की ताजगी का पता लगा सकता है।

- आई.आई.टी., गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक साधारण पेपर किट विकसित की है जो दूध की ताजगी का परीक्षण कर सकती है और यह बता सकती है कि इसे कितनी अच्छी तरह से पाश्चयुरीकृत किया गया है।
- स्मार्टफोन ऐप्लीकेशन की सहायता से किट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि दूध बहुत खट्टा होने से कितना पहले तक प्रयोग किया जा सकता है।

यह सेंसर कैसे काम करता है?

- एक दूध एंजाइम, एल्कालाइन फॉस्फेट को दूध की गुणवत्ता का एक संकेतक माना जाता है क्यों कि पाश्चयुरीकरण के बाद भी इसकी उपस्थिति रोगाणुओं की उपस्थिति को इंगित करती है जो कि पाश्चयुरीकरण के दौरान निष्क्रिय नहीं किए गए हैं।
- शोधकर्ता, डिटेक्टर तैयार करने के लिए साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग करते थे।
- फिल्टर पेपर को छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और सामान्यतः ए.एल.पी. के साथ अभिक्रिया करने वाली रासायनिक जांचों के साथ निषेचित किया जाता था।
- उपयोग किए गए 'जांच' एंटीबॉडी हैं जो विशेष रूप से ए.एल.पी. से बंधे होते हैं। जब ए.एल.पी., जांच के संपर्क में आता है, तो यह श्वेत पत्र डिस्क को एक रंगीन में बदल देता है।
- पेपर डिस्क पर रंग परिवर्तन की फोटों स्मार्टफोन कैमरा द्वारा खींची जाती है और संगत रंग मान

प्राप्त करने के लिए फोटों को प्रसंस्कृत किया जाता है।

- इन मानों की तुलना फोन में संग्रहीत मानक डेटा से की जाती है।
- इस प्रकार न केवल ए.एल.पी. की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है बल्कि दूध में इसकी मात्रा भी मापी जा सकती है।

यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत कुछ संगठन प्रतिबंधित किए गए हैं।

- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यू.ए.पी.ए.) की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों के प्रयोग में सरकार के इस बात पर संतुष्ट होने पर कि संगठन गैरकानूनी हो गया हैं, सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संगठनों को गैरकानूनी संगठनों के रूप में घोषित किया गया है:
 - इस्लामिक अनुसंधान संस्थान (आई.आर.एफ.)
 - त्रिपुरा में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (एन.एल.एफ.टी.)
 - त्रिपुरा टाइगर मंच (ए.टी.टी.एफ.)
- यू.ए.पी.ए. की धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों के प्रयोग में सरकार इस बात पर संतुष्ट है कि संगठन आतंकवाद में शामिल है, सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.ए.पी.ए. की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संगठनों को जोड़ा है:
 - भारतीय उप-महाद्वीप में अल-कायदा (ए.क्यू.आई.एस.) और इसकी सभी अभिव्यक्तियाँ
 - खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आई.एस.के.पी.) / आई.एस.आई.एस. विलायत खोरासन/ इस्लामिक राष्ट्र इराक और शाम-खोरासन (आई.एस.आई.एस.-के.) और इसकी सभी अभिव्यक्तियाँ
 - खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इसकी सभी अभिव्यक्तियाँ

आई.ओ.सी. का पहला एल.एन.जी. आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू किया जाएगा।

- राष्ट्र की सबसे बड़ी तेल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) ने तमिलनाडु के एन्नोर में अपने पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आयात टर्मिनल के चालू किए जाने की घोषणा की है।
- आई.ओ.सी. ने स्वयं पहले एल.एन.जी. आयात टर्मिनल का निर्माण किया है और जनवरी, 2019 के अंत तक यह चालू हो जाएगा।
- आई.ओ.सी. के पास एन्नोर एल.एन.जी. आयात टर्मिनल की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी.आई.डी.सी.ओ.) के पास 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- यह फर्म प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने पर भी काम कर रही है, जो पुदुचेरी से होते हुए तमिलनाडु में एन्नोर टर्मिनल से नागापट्टिनम तक जाती है।
- एल.एन.जी. की मांग को पूरा करने के लिए मदुरई, तूतीकोरिन और बैंगलुरु में शाखा पाइपलाइन बिछाई जाएंगी।

देश के सभी 640 जिले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना के अंतर्गत आते हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.)

- यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी।
- इस योजना के उद्देश्य- बाल लिंगानुपात में सुधार करना, संरक्षण देना और बेटी को शिक्षित करना हैं।
- इस योजना में तीन मंत्रालय- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल हैं।
- प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत कम बाल लिंगानुपात वाले केवल 100 जिले शामिल थे।
- इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रव्यापी जागरूकता, वकालत अभियान और बहुक्षेत्रीय कार्रवाई शामिल हैं।

- बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई में पूर्व अवधारणा, पूर्व-जन्म नैदानिक तकनीकों (पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी.) अधिनियम, मां की जन्म से पूर्व/ जन्म के बाद देखभाल, विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में सुधार, सामुदायिक सहभागिता/ प्रशिक्षण/ जागरूकता सृजन आदि के प्रभावी प्रवर्तन शामिल हैं।

एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (ए.आर.आई.ए.)

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (ए.आर.आई.ए.) कानून पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह अधिनियम "भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक हितों और मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी अमेरिकी रणनीति स्थापित करता है।"
- विशेष रूप से, ए.आर.आई.ए. पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए खर्च करने में \$ 5 बिलियन का प्राधिकरण करेगा और "भारत-प्रशांत क्षेत्र और अन्य उद्देश्यों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक वृष्टि और एक व्यापक, बहुमुखी और सैद्धांतिक संयुक्त राज्य नीति विकसित करेगा।"
- ए.आर.आई.ए. चीन, भारत, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) के दस सदस्य देशों और पूर्वतर एशियाई मित्र राष्ट्रों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी संबंधों पर ध्यान आकर्षित करता है।
- इसके अतिरिक्त यह अधिनियम उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिकी नीति को संबोधित करता है।
- राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से "सभी देशों को लाभ पहुँचाने वाली एक नियम आधारित अंतर्गत्रीय प्रणाली के समर्थन में एक ऐसी कूटनीतिक रणनीति विकसित करने को कहा जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगियों और भागीदारों के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में नेवीगेशन संचालन करने की स्वतंत्रता और संयुक्त समुद्री प्रशिक्षण करने हेतु काम करना शामिल है, जिसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर शामिल हैं।"

पंज तीरथः एक प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल है।

- पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार ने पेशावर में प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है।
- इस स्थल के नाम की उत्पत्ति पांच जल कुंडों से हुई है जो इस संपत्ति का हिस्सा हैं, जिनमें एक मंदिर भी शामिल है।

संबंधित जानकारी

- ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के पौराणिक राजा पांडु ने कार्तिक माह के दौरान इन कुंडों में स्नान किया था और इस क्षेत्र में दो दिनों तक खजूर के पेड़ के नीचे पूजा की थी।
- कथित रूप से यह क्षेत्र वर्ष 1747 में अफगान दुर्गनी की सल्तनत के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और वर्ष 1834 में सिख युग के दौरान स्थानीय हिंदुओं द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था।
- खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल को नुकसान पहुँचाने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के जुर्माने की ओर पांच साल के कारावास के दंड की घोषणा की है।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्गः पर्व अधिनियम का संवर्धन

- केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के लिए निधि आवंटित की है।
- 1360 किलोमीटर लंबा भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत, म्यांमार और थाईलैंड से संबंधित एक पहल है।
- भारत, म्यांमार में इस त्रिपक्षीय राजमार्ग के दो खंडों के निर्माण का कार्य शुरू कर रहा है, जिनके नाम निम्न हैं
 - 120.74 कि.मी. लंबे कालवा-याग्यी सङ्क खंड का निर्माण
 - 149.70 कि.मी. लंबे तमू-किगोन-कलेवा (टी.के.के.) सङ्क खंड से जुड़े हुए मार्गों तक 69 पुलों का निर्माण कार्य

- उपर्युक्त दर्शायी गई दोनों परियोजनाएं, म्यांमार सरकार को अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही हैं।

संबंधित जानकारी

- इस राजमार्ग का निर्माण एन.एच.ए.आई (यह एन.एच.ए.आई की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है) की मदद से किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य भारत, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निर्बाध परिवहन आवागमन प्रदान करना है।
- यह परियोजना भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जा रही है।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आई.एम.टी.) राजमार्ग

- आई.एम.टी. त्रिपक्षीय राजमार्ग, एक क्षेत्रीय राजमार्ग है जिसे क्षेत्र में संचार को बढ़ावा देने हेतु भारत की अधिनियम पूर्व नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है।
- यह भारत में मोरेह को म्यांमार के रास्ते के माध्यम से मैसॉट, थाईलैंड से जोड़ेगा।
- इस राजमार्ग से आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के शेष भागों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.)

- इसे एन.एच.ए.आई. अधिनियम, 1988 के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- फरवरी, 1995 में इसे आधिकारिक रूप से एक स्वायत्त निकाय बनाया गया था।
- यह सङ्क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रधान संस्था है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।

आंध्र प्रदेश ने दूसरे सबसे बड़े शिला कला कोष का अनावरण किया है।

- आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शिलाचित्र स्थल की खोज कुरनूल जिले के मेकाला बैंची में की गई है, जिसमें लगभग 80 शिलाचित्र हैं।
- ये शिलाचित्र अथवा शिला नक्काशियां, दक्षिण भारत में नवपाषाणकाल बस्तियों के एक प्रमुख स्थल के रूप में कुरनूल के महत्व पर अधिक बल देती हैं।

संबंधित जानकारी

- 200 शिलाचित्रों के साथ कंदानाथी भी कुरनूल जिले में स्थित है।
- जब कि मेकाला बैंची के शिलाचित्र, नवपाषाण काल से लेकर मेगालिथिक काल तक के हैं, कंदानाथी के शिलाचित्र, प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के हैं।

शिलाचित्र

- शिलाचित्र, छवियां हैं जो काटकर, खोटकर, नक्काशी अथवा खुरचकर चट्टान के भाग को हटाकर बनाई जाती हैं, ये शिला कला का भी एक रूप है।
- शिलाचित्र शब्द को शिलालेख शब्द के साथ अमित नहीं किया जाना चाहिए, यह एक छवि है जिसे चट्टान की सतह पर बनाया अथवा चित्रित किया जाता है।

वैज्ञानिकों ने एशिया के पहले जीवाश्म डायोस्कोरिया रतालू पत्ती की खोज की है।

- एक अद्वितीय जीवाश्म पत्ती, हाल ही में की गई उन खोजों में से एक है जो भारत के अतीत पर प्रकाश डालती है।
- यह जीवाश्म पत्ती, एशिया से पहला डायोस्कोरिया रतालू है और इन पौधों का गोंडवाना मूल के होने का संकेत मिलता है।
- ये जीवाश्म तब पाए गए थे जब वैज्ञानिक पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में युग्मन-युग (38-56 मिलियन वर्ष पहले) में खुदाई कर रहे थे, उन्हें बड़े पत्तों के दो अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म प्राप्त हुए थे।

संबंधित जानकारी

- टीम ने अपनी इस नई खोज का नाम "डायोस्कोरिया इकोसेनिक्स" रखा है: एशिया से रिकॉर्ड किया गया पहला डायोस्कोरिया जीवाश्म है।
- वर्तमान में भारत में डायोस्कोरिया की प्रजातियाँ देश के आर्द्ध, उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती हैं।
- खदानों में पाए गए अन्य जीवाश्म पौधे भी इस क्षेत्र में ऐतिहासिक जलवायु का सुझाव देते हैं, जो अब शुष्क हैं और इसमें रेगिस्तान वनस्पति शामिल हैं।

नकाबपोश नृत्य परंपरा विलुप्त होने के करीब है।

- कंबोडिया देश की सदियों पुरानी नकाबपोश नृत्य की परंपरा खमेर गाजा के "हत्या क्षेत्र (किलिंग फील्ड्स)" शासन द्वारा लगभग समाप्त कर दी गई थी।
- खमेर गाजा शासन द्वारा लाखोन खोल लगभग समाप्त कर दी गई है।
- हाल ही में, कंबोडिया के लाखोन खोल को और थाइलैंड के खोन को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

संबंधित जानकारी

- सभी विशिष्ट नर्तक, रामायण का चित्रण करते हुए विस्तृत चित्रित मुखोंटे पहनते हैं।
- कंबोडिया में आज भी कला शैली खमेर गाजा के भय से उबरने हेतु संघर्ष कर रही है, वर्ष 1975-79 के दौरान जिसके नरसंहार शासन में कम से कम 1.7 मिलियन लोग मारे गए थे, जिनमें कलाकार, नर्तक और लेखक शामिल थे। इनमें से अधिकतर की मृत्यु भुखमरी, अतिश्रम, बीमारी, निष्पादन अथवा यातना से हुई थी।

सांसदों की समिति ने एस.एस.सी. के लिए वैधानिक दर्जे हेतु प्रस्ताव दिया है।

- भूपेंद्र यादव की अद्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति (पी.एस.सी.) ने सिफारिश की है कि केंद्र, कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) को वैधानिक दर्जा प्रदान करे।
- एस.एस.सी., देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाओं में से एक है।

यह दर्जा क्यों?

- संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) और सभी राज्य लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक अथवा कानूनी दर्जा प्राप्त है। केवल एस.एस.सी. एक मात्र ऐसा संगठन है जो बहुत बड़े पैमाने पर समान कार्य करता है लेकिन उसे वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है।

कर्मचारी चयन आयोग

- यह भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है।
- आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) का एक संलग्न कार्यालय है जिसमें अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक भी शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ष एस.एस.सी. गैर-राजपत्रित अधिकारियों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती करने हेतु एस.एस.सी. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित करता है।

स्वच्छ सुंदर शौचालय

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले एक महीने लंबे अभियान "स्वच्छ सुंदर शौचालय" की शुरूआत की है।
- यह शौचालयों के स्वामित्व और निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने का एक प्रयास है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए करोड़ों शौचालयों को एक नया रूप प्रदान करता है।
- इस अभियान में एक अनोखी प्रतियोगिता शामिल है, जिसके अंतर्गत अपने शौचालयों को पेंट करने और सजाने हेतु परिवारों को जुटाया जा रहा है।
- यह ग्राम पंचायतों द्वारा जुटाए जाएंगे और जिला प्रशासन द्वारा समन्वित किए जाएंगे।
- इस अभियान में पूरे देश की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय शामिल होंगे।
- व्यक्तिगत परिवारों, ग्राम पंचायतों और जिलों को रंगे गए शौचालयों की संख्या और उनके काम

की गुणवत्ता और रचनात्मकता के आधार पर सम्मानित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ स्वच्छता कवरेज पहले ही 98% के आंकड़े को पार कर चुका है।
- सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं और खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) राष्ट्र को अपनाने की दिशा में शौचालयों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में जानकारी:-

- स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.), वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के लिए भारत का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- मिशन के दो भाग हैं: स्वच्छ भारत अभियान ("ग्रामीण" अथवा 'रुरल'), जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और स्वच्छ भारत अभियान ('शहरी'), जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है।
- इसका उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करना है।
- स्वच्छ भारत के उद्देश्यों में घर के मुखिया के स्वामित्व वाले और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को समाप्त करना और शौचालय उपयोग की निगरानी हेतु एक जिम्मेदार तंत्र स्थापित करना शामिल है।
- इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर तक "खुले में शौच मुक्त" (ओ.डी.एफ.) भारत का दर्जा प्राप्त करना है।

नोट: यह मिशन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य 6 (एस.डी.जी. 6) को प्राप्त करने में भारत के प्रयासों में भी योगदान देगा।

मासिक धर्म स्वच्छता योजनाएँ

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता की आवश्यकता को संबोधित किया है।
- सैनिटरी नैपकिन पैक की विकेन्द्रीकृत खरीद हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि प्रदान की जाती है।

इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मासिक धर्म स्वच्छता के संदर्भ में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उपयोग में सुधार करना।
- पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सेनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना।
- मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित मुद्राओं पर चर्चा करने के लिए किशोरियों के साथ मासिक बैठक आयोजित करने हेतु आशा को धन प्रदान करने का प्रावधान भी है।

नोट: पूरे देश में आशा प्रशिक्षित हैं और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्मार्टफोन को "टेक्नो" टाइम कैप्सूल में भूगर्भित किया गया है।

- जालंधर के लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में चल रहे 106वें भारतीय विज्ञान कांगेस के अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता इज़राइल के अवराम हर्शको और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफ. दुनकैन एम. हाल्डेन द्वारा आज की तकनीक का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं के साथ एक टाइम कैप्सूल और भारत की वैज्ञानिक शक्तियों को भूगर्भित किया गया है।
- टाइम कैप्सूल में 100 ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो भारत में अनुभव की जाने वाली आधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसे 10 फीट की गहराई पर दफन किया गया है और यह अगले 100 वर्षों तक दफन रहेगी।

संबंधित जानकारी

भारतीय विज्ञान कांगेस संघ

- भारतीय विज्ञान कांगेस संघ (आई.एस.सी.ए.), भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
- इस संघ का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किया गया था:

 - भारत में विज्ञान के कारणों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है।
 - भारत में उपयुक्त स्थान पर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना।
 - वांछनीय मानी जा सकने वाली कार्यवाहियां, पत्रिकाओं, हस्तांतरण और अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना
 - विज्ञान के संवर्धन हेतु निधि और दान को संरक्षण और प्रबंधन करना जिसमें संघ की संपत्तियों के किसी हिस्से अथवा सभी को बेंचकर अथवा छुटकारा पाने के अधिकार शामिल हैं।

राज्यसभा ने बच्चों के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।

- लोकसभा द्वारा जुलाई, 2018 में पारित किए गए विधेयक में विद्यालयों में नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करने की आवश्यकता थी।
- पहले के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों का अधिकार विधेयक ने विद्यालयों को छात्रों को उनके कमज़ोर प्रदर्शन के कारण भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें रोकने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है।
- इसका उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ाई को बीच में छोड़कर जाने की दर को कम करना और वर्ष के अंत में परीक्षाओं पर इसके प्रभाव को कम करना था।
- इसे पूरे साल छात्रों की प्रगति के निरंतर मूल्यांकन के साथ बदल दिया गया था।

बिल का प्रावधान

- राज्यों के पास नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखने या न रखने का निर्णय लेने की शक्ति है।
- राज्य, कक्षा 5 और 8 या दोनों के अंत में परीक्षा आयोजित कराने के विकल्प को चुन सकते हैं।
- जो छात्र परीक्षाओं को पास करने में असमर्थ रहेगे, उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिए जाएंगे और परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित होने का अवसर मिलेगा।
- यदि छात्र अभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाता हैं तो राज्य उन्हें पास करने अथवा फेल करने का निर्णय ले सकता है।
- प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

नो डिटेंशन पॉलिसी

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नो-डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने तक किसी भी छात्र को स्कूल से फेल अथवा निष्कासित नहीं किया जा सकता है।
- कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा।
- नीति का सार यह है कि बच्चों को कक्षा 8 तक फेल और निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।

मिशन शक्ति योजना

- उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों (एस.एच.जी.) के लिए 3 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा की है, यह निर्णय छह लाख समूहों से जुड़ी लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित करेगा।
- मिशन शक्ति, वर्ष 2001 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य एस.एच.जी. का गठन करके महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करना और उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियां शुरू करने हेतु कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त कराना है।

- इसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमशीलता का प्रोत्साहन किया है और अब उन्हें विकसित एवं समृद्ध करने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बना रहा है।

आंध्र प्रदेश ने अधिकारीन ब्राह्मणों के लिए योजनाओं का अनावरण किया है।

- आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश (ए.पी.) ब्राह्मण कल्याण निगम के माध्यम से अधिकारीन और आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया है।
- आंध्र प्रदेश, देश का पहला राज्य है जिसने ब्राह्मण निगम की स्थापना की है।
- ब्राह्मण निगम का उद्देश्य शिक्षा, कोचिंग, उद्यमिता, कौशल विकास और कल्याण एवं संस्कृति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ब्राह्मण परिवारों के गरीब लोगों की मदद करना है।
- इस योजना में बेरोजगार ब्राह्मण युवाओं को कार, ऋण और सब्सिडी का वितरण करना भी शामिल है।

एम.एस.एम.ई. के कार्यों का विनियमन

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ईज ऑफ ड्रॉइंग बिजनेस का संवर्धन करने हेतु विभिन्न पहलों की शुरुआत की है और इसमें उद्योग आधार समझौता जापन (यू.ए.एम.) को ऑनलाइन भरना भी शामिल किया गया है।
- मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं: एम.एस.एम.ई. समाधान पोर्टल- भुगतान में देरी से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से दर्ज करने हेतु पूरे देश के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है।

एम.एस.एम.ई. संबंध पोर्टल- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी में मदद करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है।

एम.एस.एम.ई. संपर्क पोर्टल- एक डिजिटल मंच जहां नौकरी करने के इच्छुक युवा (उत्तीर्ण हो

चुके प्रशिक्षा/ एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केंद्र के छात्र) और नियोक्ता एक-दूसरे से जुड़ते हैं। डिजिटल भुगतान- डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की योजनाओं के लाभों का वितरण करने हेतु इसे शुरू किया गया है।

संबंधित जानकारी

- एम.एस.एम.ई. के कार्यों को विनियमित करने के लिए सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम को अधिनियमित किया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

फास्ट टैग

- अग्रणी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों के माध्यम से फास्ट टैग की बिक्री हेतु भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड-आई.एम.एच.सी.एल. और बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी.एल. जैसी अग्रणी तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) के मध्य समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह फास्ट टैग प्रोग्राम के वितरण नेटवर्क का विस्तार करने में मदद करेगा जो वर्तमान में चयनित बैंक शाखाओं में सक्रिय है।
- यह एक बैंक-उदासीन फास्ट टैग है जिसे ग्राहकों की पसंद के बैंक खातों से जोड़ा जा सकता है।
- यह फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं को न केवल सुगमता और सुविधा प्रदान करता है बल्कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूलतम भी है क्यों कि इसमें के.वाई.सी. दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
- दो फास्ट टैग मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं:

द माई फास्टटैग कस्टमर ऐप में यू.पी.आई. के माध्यम से किसी भी फास्ट टैग के रियल टाइम रीचार्ज की विशेष सुविधा है, यह आई.एच.एम.सी.एल. फास्ट टैग को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ता है और कई बैंक अनुप्रयोगों को इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फास्ट टैग प्वाइंट ऑफ सेल्स ऐप में वितरण साझेदारों को बनाना और प्रबंधित करना संभव है, इसके साथ ही पेट्रोल पंपों के माध्यम से बिक्री की अनुमति देना भी संभव है।

संबंधित जानकारी

फास्ट टैग

- फास्ट टैग, भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है।
- यह इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए प्रीपेड अथवा बचत खाते से टोल भुगतान करने हेतु रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीकि (आर.एफ.आई.डी.) का प्रयोग करता है।
- इसे वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और हस्तांतरण के लिए बिना रूके हुए टोल प्लाजा से यात्रा करने में सक्षम बनाता है।
- टैग को आधिकारिक टैग जारीकर्ता अथवा सहभागी बैंकों से खरीदा जा सकता है।

नोट:- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण- एन.ई.टी.सी. कार्यक्रम, इसे सभी राज्यों/ शहरों के टोल प्लाजा को एक छतरी के नीचे लाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की विरासत और संस्कृति

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पी.वी.टी.जी. के कल्याण हेतु “विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का विकास” नामक एक योजना लागू की है।
- यह योजना लचीली है क्यों कि यह निवासी विकास दृष्टिकोण को अपनाकर और इनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सभी खंडों में हस्तक्षेप करने के द्वारा समुदाय की विरासत और परंपरा को बनाए रखने के दौरान राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यू.टी.) को पी.वी.टी.जी. से संबंधित क्षेत्रों और उनके सामाजिक-पारंपरिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

- पी.वी.टी.जी. के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, लिंक सइकों का निर्माण, संस्कृति, प्रकाश उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा किसी भी अन्य नवीन गतिविधि माध्यम का निर्माण करना।

पी.वी.टी.जी.

- 75 आदिवासी समूहों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
- पी.वी.टी.जी., 18 राज्यों और अंडमान एवं नीकोबार द्वीपसमूह के केंद्रशासित प्रदेश में रहते हैं।

मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है।
- स्वीकृत कोटा उन सभी समुदायों/ वर्गों के लिए है जो 50 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- यह सभी समुदायों के लिए होगा- आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि के लिए भी होगा।
- इससे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड:

- सामान्य श्रेणी के आरक्षण के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास अधिकतम निम्न प्रावधान होने चाहिए:
 - 8 लाख से कम की वार्षिक आय
 - 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि
 - 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय घर
 - अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम का आवासीय भूखंड
 - गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय भूखंड

संबंधित जानकारी

- निर्णय को लागू करने के लिए सरकार को कोटे की सीमा को अधिकतम 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी।
- इस निर्णय को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।
- अनुच्छेद 15 और 16, भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं।
- अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अितरिक्त, इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं, बच्चों या किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता है।
- अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है जिसमें धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

एच.आर.डी. मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु 70-सूत्री ग्रेडिंग सूचकांक पेश किया है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों द्वारा दी जाने वाली स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 70-सूत्री ग्रेडिंग सूचकांक पेश किया है।
- इस ग्रेडिंग प्रणाली में, राज्यों को 70 मानकों पर 1,000 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे।
- यह प्रत्येक राज्य की स्थिति का यथार्थ चित्रण करने में मदद करेगा। एक दूसरे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु यह एक उचित प्रतियोगिता होगी।

संबंधित जानकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्व में शिक्षा मंत्रालय था, जो वर्तमान में भारत में मानव संसाधनों के विकास हेतु जिम्मेदार है।
- मंत्रालय को दो विभागों में विभाजित किया गया है:

 1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित कार्यों को देखता है और
 2. उच्च शिक्षा विभाग, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप

- उत्तर मध्य रेलवे ने एक रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए इलाहाबाद पहुँचने वाले लागों की शहरों और मेला मैदानों के माध्यम से नेवीगेट करने में मदद करेगा।
- रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, इस अवधि के दौरान चलाई जाने वाली सभी 'मेला स्पेशल' ट्रेनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
- इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता को न केवल अपने वर्तमान स्थान का पता चल जाएगा बल्कि इलाहाबाद शहर के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों, मेला क्षेत्रों, प्रमुख होटलों, बस स्टेशनों और अन्य सुविधाओं तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा।
- यह स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं- पार्किंग स्थल, जलपान कक्ष, वेटिंग रूम, बुक स्टाल, फूड प्लाजा, ए.टी.एम. और ट्रेन पूछताछ के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

भगोड़ा अपराधी

- मुंबई की एक विशेष अदालत ने फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफ.ई.ओ.) घोषित किया है।
- नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.ई.ओ. घोषित होने वाले पहले व्यवसायी माल्या हैं, यह अधिनियम अगस्त, 2018 में अधिनियमित किया गया था।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

- यह विधेयक किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफ.ई.ओ.) घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है, यदि:

 1. किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जहां 100 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्य शमिल है और
 2. वह देश छोड़कर भाग गया हो और अभियोग का सामना करने के लिए वापस आने से इनकार करता हो।

- किसी व्यक्ति को एफ.ई.ओ. घोषित करने के लिए एक विशेष अदालत में जब्त की जाने वाली संपत्तियों के विवरण के साथ एक आवेदन दायर किया जाएगा (मनी लांडिंग अधिनियम, 2002 के प्रतिबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट) और इस विवरण में व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए।
- नोटिस जारी होने के कम से कम 6 सप्ताह के भीतर व्यक्ति का विशेष अदालत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक है।
- यदि व्यक्ति अदालत में पेश हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। यह विधेयक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने पर भी प्राधिकरणों को अनंतिम रूप से अभियुक्त की संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति प्रदान करता है।
- एफ.ई.ओ. घोषित हो जाने पर व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और उन्हें केंद्र सरकार में निहित किया जा सकता है, जो रुकावटों (संपत्ति में अधिकार और दावे) से मुक्त है।
- इसके एफ.ई.ओ. अथवा उससे जुड़ी किसी भी कंपनी को नागरिक दावों को दायर करने अथवा बचाव करने से रोका जा सकता है।

चक्रवात पाबुक

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने अंडमान द्वीप समूह के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है क्यों कि चक्रवाती तूफान पाबुक उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
- यह थाईलैंड की खाड़ी और पड़ोस में उत्पन्न हुआ है।

संबंधित जानकारी

- चक्रवात की चेतावनी राज्य सरकार के अधिकारियों को चार चरणों में जारी की जाती है।
- पहले चरण की चेतावनी को "पूर्व चक्रवात सावधानी (प्री साइक्लोन वॉच)" के नाम से जाना जाता है, इसे 72 घंटे पहले से जारी किया गया था, जिसमें उत्तर हिंद महासागर में एक चक्रवाती विक्षेप्ता के विकास के बारे में एक प्रारंभिक चेतावनी शामिल थी, इसके एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में तेज होने की संभावना है और तटीय बेल्ट में प्रतिकूल मौसम का अनुभव होने की संभावना थी।
- दूसरे चरण की चेतावनी को "चक्रवात अलर्ट" के रूप में जाना जाता है, इसे कम से कम 48 घंटे पहले जारी किया गया था।
- तीसरे चरण की चेतावनी को "चक्रवात चेतावनी" के रूप में जाना जाता है, इसे तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की अपेक्षित शुरुआत से कम से कम 24 घंटे पहले जारी किया गया था।
- चौथे चरण की चेतावनी को "पोस्ट लैंडफाल आउटलुक" के रूप में जाना जाता है, इसे लैंडफॉल के अनुमानित समय से कम से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है।

चक्रवात चेतावनी बुलेटिन के विभिन्न चरणों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंग कोड़:

- चक्रवात अलर्ट- पीला
- चक्रवात चेतावनी- नारंगी
- पोस्ट-लैंडफॉल आउटलुक- रेड

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (प्रयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक- 2019

- लोकसभा ने "डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (प्रयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक- 2019" पारित किया है।
- इस विधेयक को लापता व्यक्तियों, पीड़ितों, अपराधियों, परखाईन और अज्ञात मृतक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डी.एन.ए.)

तकनीक के प्रयोग और अनुप्रयोग के विनियमन की आवश्यकता को पहचानते हुए तैयार किया गया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य देश की न्याय वितरण प्रणाली को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए डी.एन.ए. आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करना है।

इस विधेयक के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- एक डी.एन.ए. विनियामक बोर्ड की स्थापना करना
- डी.एन.ए. परीक्षण, विश्लेषण करने वाली डी.एन.ए. प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना
- विधेयक में उल्लिखित है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय डी.एन.ए. डाटा बैंकों की स्थापना, फोरेंसिक जांच में सहायता करेगी।

संबंधित जानकारी

डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग (डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग, डी.एन.ए. परीक्षण अथवा डी.एन.ए. टाइपिंग)

- डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशिष्ट डी.एन.ए. प्रारूप को प्रोफाइल कहा जाता है, यह प्रोफाइल किसी एक व्यक्ति अथवा शारीरिक ऊतक के नमूने से प्राप्त किया जाता है।
- हम सभी अद्वितीय हैं लेकिन फिर भी हमारे अधिकांश डी.एन.ए. वास्तविकता में अन्य लोगों के डी.एन.ए. से समानता रखते हैं।
- हालांकि, लोगों के मध्य विशिष्ट क्षेत्र काफी भिन्न होते हैं। इन क्षेत्रों को बहरूपी कहा जाता है।
- लोगों के मध्य इन परिवर्तनशील क्षेत्रों में अंतर को बहरूपता के रूप में जाना जाता है।
- हम में से प्रत्येक को अपने माता-पिता से बहरूपता का एक अद्वितीय संयोजन जन्मजात रूप से प्राप्त होता है।
- डी.एन.ए. प्रोफाइल प्राप्त करने हेतु डी.एन.ए. बहरूपताओं का विश्लेषण किया जा सकता है।

डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग हेतु शॉर्ट टैंडेम रिपीट विधि

- डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग की वर्तमान तकनीकों में से एक है जिसमें बहरूपता का प्रयोग किया जाता है, उसे शॉर्ट टैंडेम रिपीट कहते हैं।

- शॉट टैंडेम रिपीट (या एस.टी.आर.) गैर-कोडिंग डी.एन.ए. के क्षेत्र हैं जिनमें समान न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का दोहराव होता है।
- उदाहरण के लिए, GATAGATAGATAGATAGATA एक एस.टी.आर. है जहाँ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम GATA छह बार दोहराया जाता है।
- एस.टी.आर., किसी व्यक्ति के डी.एन.ए. में विभिन्न स्थानों अथवा आनुवंशिक स्थानों पर पाए जाते हैं।
- एक डी.एन.ए. प्रोफ़ाइल के उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिक दस अथवा अधिक आनुवंशिक स्थानों पर एस.टी.आर. की जांच करते हैं। ये आनुवंशिक स्थान प्रायः विभिन्न गुणसूत्रों पर होते हैं।

डी.एन.ए. प्रोफ़ाइलिंग का अनुप्रयोग

- किसी अपराध अथवा अपराध स्थल से संबंधित शरीर तरल नमूने की संभावित मूल की पहचान करता है।
- पारिवारिक संबंधों को स्पष्ट करता है।
- आपदा पीड़ितों की पहचान करता है।

आई.आई.टी. मद्रास की टीम ने "अंतरिक्ष" स्थितियों के अंतर्गत गैस हाइड्रेट्स का उत्पादन किया है।

- भारतीय आई.आई.टी. मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्रायोगिक रूप से स्पष्ट किया है कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), तारों के मध्य के वायुमंडल में देखे गए ताप और दाब की स्थितियों पर गैस हाइड्रेट्स के रूप में मौजूद रह सकते हैं।
- गैस हाइड्रेट्स तब बनते हैं जब मेथेन जैसी गैस, क्रिस्टलीय ठोस बनाते हुए जल अणु के सुव्यवस्थित जालकों में संग्रहित होती है।
- स्थलीय स्थितियों में, गैस हाइड्रेट्स प्राकृतिक रूप से समुद्र तल के नीचे बनते हैं और ग्लेशियर, उच्च दाब, कम ताप की स्थितियों में बनते हैं।
- मेथेन हाइड्रेट, प्राकृतिक गैस का एक संभावित स्रोत है।

- आई.आई.टी. मद्रास, गेल के सहयोग से कृष्ण-गोदावरी घाटी से मेथेन हाइड्रेट से मेथेन प्राप्त करने और कार्बन डाइ ऑक्साइड को पृथक करने दोनों पर एक साथ काम कर रहा है।

CO₂ के पृथक्करण में अनुप्रयोग-

- प्रयोगशाला में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट, हाइड्रेट निर्माण के लिए अनुकूलतम वायुमंडलीय परिस्थितियों में मौजूद बर्फ का लाभ उठाकर कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित अथवा पृथक करने की संभावना को बढ़ाता है।
- CO₂ हाइड्रेट, मेथेन हाइड्रेट की तुलना में ऊष्मागतिकीय रूप से अधिक स्थायी है। अतः यदि मेथेन हाइड्रेट समुद्र तल के नीचे लाखों वर्षों तक स्थायी बना रहता है तो समुद्र तल के नीचे गैसीय अवस्था की CO₂ को ठोस हाइड्रेट के रूप में पृथक करना संभव होगा।

संबंधित जानकारी

कार्बन पृथक्करण

- यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने अथवा समाप्त करने हेतु कार्बन अधिग्रहण और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कार्बन के अन्य रूपों के दीर्घकालिक भंडारण में शामिल एक प्रक्रिया है।

सरकार, भारतीय वन सेवा का नाम बदलने की योजना

बना रही है।

- केंद्र ने भारतीय वन सेवा का नाम बदलकर भारतीय वन एवं जनजातीय सेवा करने हेतु अन्य जनजातीय उपाय प्रस्तावित किया है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने सेवा का नाम बदलने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श टिप्पणी की शुरुआत की है और जनजातीय और वनों में रहने वाले लोगों के प्रति अधिक ग्रहणशील होने हेतु अपने संवर्ग को प्रशिक्षित भी किया है।

संबंधित जानकारी

- भारतीय वन सेवा का नाम बदलने की सिफारिशें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(एन.सी.एस.टी.) द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में की गई थीं।

एन.सी.एस.टी. ने इस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

- एन.सी.एस.टी., संसाधन आधार के रूप में जनजातियों, वन और वन पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य घनष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- एन.सी.एस.टी. ने वन और वन पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य घनिष्ठ संबंधों को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय वन सेवा का नाम बदलकर भारतीय वन एवं जनजातीय सेवा करने की सिफारिश की है।
- एन.सी.एस.टी. का तर्क है कि वन और जनजातीय कल्याण प्रशासन को विलय करने से वन प्रबंधन में 'जनजातियों' की भागीदारी बढ़ेगी।
- एन.सी.एस.टी. का कहना है कि नाम बदलने से 'जनजातीय' समुदायों की आवश्यकता के प्रति वन विभाग की भूमिका की संवेदनशीलता उत्पन्न होगी।

भारतीय वन सेवा

- भारतीय वन सेवा (आई.एफ.ओ.एस.), भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।
- अन्य दो अखिल भारतीय सेवाएं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) हैं।
- इसे भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1966 में गठित किया गया था।
- ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1867 में राज्य संबंधी वन सेवा का गठन किया था।
- सेवा का प्रमुख शासनादेश, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और भागीदारी सतत प्रबंधन के माध्यम से देश की पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन है।
- प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला आई.एफ.एस. अधिकारी, हेड ऑफ़ फॉरेस्ट फोर्सेस (एच.ओ.एफ.एफ.) होता है।

- भारत सरकार के अंतर्गत पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.), भारतीय वन सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।

एच.डी. 21749 बी.- नया ग्रह

- अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) ने एक नए ग्रह की खोज की है।
- यह नासा के मिशन, ट्रांसिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वेक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.एस.) द्वारा खोजा गया तीसरा नया ग्रह है।

नए खोजे गए ग्रह की मुख्य विशेषताएं

- नया ग्रह एच.डी. 21749 बी. हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और 53 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बौने तारे की परिक्रमा करता है।
- एच.डी. 21749 बी. तारा समूह जालिका में एक चमकीले तारे की परिक्रमा करता है। टी.ई.एस.एस. द्वारा की गई तीनों खोजों में इसकी सबसे लंबी परिक्रमा अवधि है।
- एच.डी. 21749 बी. अपेक्षाकृत आराम से 36 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है।
- यह भविष्यवाणी की गई है कि नए ग्रह की सतह का तापमान लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होने की संभावना है, तारे से इसकी निकटता की तुलना में यह अपेक्षाकृत ठंडा है, जो लगभग सूर्य के समान उज्ज्वल है।

संबंधित जानकारी

टी.ई.एस.एस. द्वारा खोजे गए अन्य ग्रह: पी. मेन्से बी. और एल.एच.एस. 3844 बी. हैं।

टी.ई.ई.एस. मिशन

- टी.ई.एस.एस., नासा का खगोल भौतिकी अन्वेषक मिशन है।
- इस मिशन का उद्देश्य वर्षण से छोटे ग्रहों की खोज करना है, जो इतने चमकीले सितारों के परिवर्तन को स्पेक्ट्रोस्कोपी अवलोकनों का अनुसरण करने में सक्षम करते हैं जो ग्रह का द्रव्यमान और वायुमंडलीय स्थितियां प्रदान कर सकते हैं।

जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने बाजार का लाभ उठाने के लिए जैविक उत्पादकों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो कि घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में स्थिर रूप से प्रगति कर रहा है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.)

- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, वर्ष 2001 से एन.पी.ओ.पी. को लागू कर रहा है।
- इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:-
- अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जैविक कृषि और उत्पादों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के मूल्यांकन के साधन प्रदान करना।
- निर्धारित मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- दोनों देशों के मध्य समकक्ष समझौते के अनुसार अथवा आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, आयात करने वाले देशों के जैविक मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणन की सुविधा प्रदान करना।
- जैविक खेती और जैविक प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना।

नोट: ए.पी.ई.डी.ए., एन.पी.ओ.पी. की कार्यान्वयन संस्था है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.)

- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक निर्यात संवर्धन संगठन है।
- इसकी स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित ए.पी.ई.डी.ए. अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- ए.पी.ई.डी.ए. ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पी.एफ.ई.पी.सी.) को प्रतिस्थापित किया है।
- यह अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी के साथ अधिदिष्ट है।

पशुओं ने वायनाड अभ्यारण्य में पहुँचना शुरू कर दिया है।

- नीलगिरी बायोस्फेरर में तापमान में वृद्धि होने के साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु के वन्यजीव अभ्यारण्यों से वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस.) में वन्य जीवों का मौसमी पलायन शुरू हो गया है।
- कर्नाटक के निकटवर्ती बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यानों और तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से हाथी और गौरेया जैसे स्तनधारी डब्ल्यू.डब्ल्यू.एस. की ओर पलायन करके पहुँचने लगे हैं।

संबंधित जानकारी

वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य

- वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के केरल के वायनाड में स्थित एक पशु अभ्यारण्य है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, अब यह अभ्यारण्य, नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है।
- यह पूर्वोत्तर में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई से घिरा हुआ है।

नोट: केरल के वायनाड जिले में आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या है।

उत्तर प्रदेश सरकार को ओ.बी.सी. रिपोर्ट पर सहयोगियों के विरोध का समना करना पड़ रहा है।

- उत्तर प्रदेश में ओ.बी.सी. कोटे के उप-वर्गीकरण ने हितों के टकराव के मुद्दे पर सहयोगियों के मध्य विरोध उत्पन्न कर दिया है।
- सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बताती है कि पैनल ने 27% ओ.बी.सी. कोटे को तीन श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाले पैनल ने ओ.बी.सी. श्रेणी के अंतर्गत 79 उप-जातियों को सूचीबद्ध किया है।

- इनमें से नौ पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, 37 अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत और 33 सबसे पिछड़ी वर्गों के अंतर्गत आते हैं।
- पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उन्हें सूचीबद्ध किया गया है जो जिन्हें 7% कोटे तक सीमित रखा गया है, इसमें यादव, कुर्मा और जाट जैसी जातियां आती हैं।
- पैनल का कहना है कि ये जातियां सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से "मज़बूत" हैं और अपनी आबादी के अनुपात से अधिक में सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं, जब कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी आनंद ले रहे हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग का उप-वर्गीकरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में अपने आदेश में कहा था कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े या अधिक पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है और इसके अतिरिक्त यह भी कहा है कि यदि कोई राज्य ऐसा करना चाहे तो (उप-वर्गीकरण), यह कानून में अनुचित नहीं है।
- वर्तमान में, प्रत्येक राज्य से प्रविष्टियों के साथ एक एकल केंद्रीय ओ.बी.सी. सूची है। इन सभी श्रेणियों से संबंधित लोग केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों के लिए एकल 27% ओ.बी.सी. आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की मांग कर सकते हैं।
- वर्तमान में नौ राज्य पहले से ही ओ.बी.सी. को उप-वर्गीकृत कर चुके हैं।
- ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं।

केंद्र सरकार ने केरल में शास्त्रीय भाषा केंद्र के लिए मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्र सरकार ने तिरुर में थुँछठ एजुकेशन मलयालम विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषा केंद्र स्थापित करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- इसका उद्देश्य मलयालम भाषा में अध्ययन और अनुसंधान करना और मलयालम भाषा के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में

लाभकारी सिद्ध होने वाले मलयालम भाषा के अन्य पहलुओं का विकास करना है।

- अगस्त, 2013 में मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था।

संबंधित जानकारी

आधिकारिक भाषा

- अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, हमारे पास 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं।

शास्त्रीय भाषा

- वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा "शास्त्रीय भाषा" के लिए जरूरी निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भारतीय भाषाओं की घोषणा करने का निर्णय लिया गया था।
- अब तक शास्त्रीय घोषित की जाने वाली भाषाएँ तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलगू, मलयालम और उडिया हैं।

"शास्त्रीय भाषा" के रूप में वर्गीकरण हेतु विचार की जाने वाली भाषाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु मानदंड:

- 1500-2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों/रिकॉर्ड इतिहास की प्राचीनता होनी चाहिए।
- प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक निकाय, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।
- साहित्यिक परंपरा वास्तविक होनी चाहिए और किसी दूसरे भाषायी समुदाय से नहीं ली जानी चाहिए।
- शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने चाहिए, शास्त्रीय भाषा और इसके बाद के रूपों अथवा इसकी शाखाओं के मध्य अनिरंतरता भी हो सकती है।

आधुनिक बैंकिंग के रूप में सहकारी समितियों के लिए एन.सी.डी.सी. मॉडल

- कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.डी.टी.) की दूसरी शासकीय परिषदीय बैठक के दौरान सहकारी समितियों के लिए आधुनिक बैंकिंग इकाईयों के रूप में राष्ट्रीय

सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) मॉडल लांच किया है।

संबंधित जानकारी

एन.सी.डी.सी.

- यह सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जागरूकता और मूल्यांकन कार्यक्रमों हेतु जिम्मेदार है।
- एन.सी.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी समितियों में मानव संसाधन विकास को सुविधाजनक बनाना है।

एन.सी.डी.सी.

- इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों को विभिन्न स्तरों पर सशक्त करना और देश के दूरस्थ गांवों में किसानों के वित्तीय समावेशन को पूरा करना है।
- इस मॉडल में आई.टी. और डेटा सेंटर, इंटरप्राइज नेटवर्क एवं सुरक्षा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सी.बी.एस.), ए.टी.एम., पी.ओ.एस., ई-लॉबी आदि जैसे संबंधित ढांचों का उन्नयन और नयी स्थापना करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त इसमें इसकी समर्पित लक्ष्यमण्डार इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी के माध्यम से क्षमता निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना भी शामिल है।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना के पीछे का उद्देश्य पी.ए.सी.एस. की सभी गतिविधियों के स्वचालन का नेतृत्व करने वाला एक मजबूत आईटी मंच प्रदान करना है।
- इसके लिए एन.सी.डी.सी. ने आधुनिक बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारी समितियों के सशक्तीकरण हेतु एक व्यापक कदम उठाया है।

124वां संविधान संशोधन विधेयक

- लोकसभा ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया है।

- यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 15 में एक खंड जोड़कर संशोधन करता है जो राज्यों को "नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान" बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
- ये "विशेष प्रावधान", "शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित होंगे, इन संस्थानों में निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा बिना सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।"

संबंधित जानकारी

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368)

- संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक तीन प्रकार के होते हैं:-
- वे विधेयक जो साधारण बहुमत के साथ संसद द्वारा पारित किए जाते हैं
- वे विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 368(2) में वर्णित विशेष बहुमत के साथ संसद द्वारा पारित किए जाते हैं
- वे विधेयक पूर्वकत के अनुसार विशेष बहुमत के साथ संसद द्वारा पारित किए जाते हैं और राज्य विधानसभाओं के आधे से अधिक द्वारा मंजूर किए जाते हैं।
- वे विधेयक जो संविधान के अन्य सभी प्रावधानों में संशोधन करना चाहते हैं उन्हें "संविधान संशोधन विधेयक" कहते हैं, इसमें अनुच्छेद 368(2) के नियम में प्रगणित प्रावधान भी शामिल हैं।
- इन विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- यदि विधेयकों की प्रस्तावना हेतु एक निजी सदस्य उत्तरदायी होता है तो यह साधारण बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी भी प्रकार असहमति की स्थिति में विधेयक पर चर्चा हेतु संसद के सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है क्यों कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रत्येक

सदन को निर्धारित विशेष बहुमत से विधेयक को पारित करना आवश्यक है।

विशेष बहुमत

- संविधान संशोधन विधेयकों को संसद के प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए अर्थात् उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अधिक बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
- अभिव्यक्ति "कुल सदस्यता" का अर्थ भर्तियों या अनुपस्थितियों या अन्य किसी कारण के निरपेक्ष सदन के कुल सदस्यों की संख्या है।

मेघालय में प्रथम स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है।

- मेघालय ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित "उत्तर पूर्व सर्किट विकास: उमियम (झील दृश्य)-यू. लुम सोफेटबनेंग- मावदियांगदियांग- आर्किड लेक रिझॉर्ट" परियोजना का उद्घाटन किया है।
- इस परियोजना को जुलाई, 2016 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- इस परियोजना के अंतर्गत मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जनजातीय कायाकल्प केंद्र, पर्यटक सूचना केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, लॉग हट्स, कैफेटेरिया, साउंड एंड लाइट शो, स्मारिका दुकानें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी कई सुविधाएं विकसित की हैं।

संबंधित जानकारी

स्वदेश दर्शन योजना

- इसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इन पर्यटक सर्किटों को समाकलित प्रकार से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर विकसित किया जाएगा।
- यह सार्वजनिक वित्तपोषण के लिए शुरू की गई परियोजना घटक हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषित योजना है।

- इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहलों के अंतर्गत स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ लेने का भी प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है।
- इसे कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया गया है, जो योजना को लागू करने हेतु राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार है।

"वेब-वंडर वूमेन" अभियान

- भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने #डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू: वेब- वंडर वूमेन' नामक एक ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है।
- इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों की खोज करना और उनका जश्न मनाना है, जो महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक एजेंडा चला रहीं हैं।
- यह अभियान इन प्रतिभाशाली महिलाओं के प्रयासों को पहचानेगा और उन्हें सम्मानित करेगा।
- यह एक अभियान है जो विशेषतः ऐसी आवाजों को सम्मानित और प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने अपनी स्वयं की क्षमता से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।

संबंधित जानकारी

- यह अभियान निर्धारित मानदंडों के अनुसार दुनिया भर के नामांकनों के माध्यम से प्रविष्टियों को आमंत्रित करता है।
- विश्व में कहीं पर भी कार्यरत अथवा निवास करने वाली भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन हेतु योग्य हैं।

गैलापागोस द्वीप को डार्विन के बाद बड़े पैमाने पर रिलीज के बाद अपना पहला गोह मिला है।

- लगभग 1,400 से अधिक गोह के एक समूह को गैलापागोस द्वीपसमूह के एक द्वीप में इनके यहां से विलुप्त होने के लगभग दो शताब्दियों के बाद फिर से लाया गया है।
- यह पहल पारिस्थितिक बहाली कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
- सैटियागो द्वीप में गोह को आखिरी बार वर्ष 1835 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन द्वारा देखे जाने के आंकड़े पाए जाते हैं।
- भूमि गोह, शाकाहारी है जो बीजों को फैलाकर और वनस्पतियों से रहित खुले स्थानों की देखभाल करके पारिस्थितिकी प्रणालियों में मदद करती है।
- आई.यू.सी.एन. स्थिति: कमज़ोर

संबंधित जानकारी

गैलापागोस द्वीप समूह

- गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर गणराज्य का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दोनों ओर वितरित ज्वालामुखी द्वीपसमूहों का एक द्वीप है।
- गैलापागोस द्वीपसमूह में अद्वितीय वन्यजीव और वनस्पतियां शामिल हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और विश्व के सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।

नंदन नीलेकणी, डिजिटल भुगतान पर आर.बी.आई. के पांच सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में सुधार करने के तरीके सुझाने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है।
- यह पैनल, वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तरों का मूल्यांकन करेगा।
- यह पैनल, डिजिटल भुगतान के बचाव और सुरक्षा को सशक्त करने के उपाय भी सुझाता है।
- यह डिजिटल हस्तांतरण का उपयोग करने में ग्राहकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप प्रदान करता है और डिजिटल भुगतान को सशक्त बनाने हेतु एक मध्यम अवधि की रणनीति का सुझाव देता है।

- यह समिति अपनी पहली बैठक से 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

संबंधित जानकारी

डिजिटल भुगतान?

- डिजिटल भुगतान, भुगतान का एक तरीका है जो डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है।
- डिजिटल भुगतानों में, भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हैं।
- इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है।

जल चर्चा

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री ने नई दिल्ली में मंत्रालय की मासिक पत्रिका- जल चर्चा का उद्घाटन विमोचन जारी किया है।
- 25 पृष्ठीय जल चर्चा का उद्घाटन विमोचन, एक यात्रा की शुरुआत है जिसका उद्देश्य केंद्रीय स्तर पर सूचित निर्णय निर्माण में भारत के लोगों के साथ संलग्न होना है।
- यह पत्रिका राष्ट्रीय स्तर पर जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अन्यासों को लाने का प्रयास है और देश के लोगों के दिमाग में जल जागरूकता पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ने का भी एक प्रयास है।

कुछ साँप, अन्य की तुलना में इतने प्राणघातक क्यों होते हैं?

- वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि कुछ सांपों का जहर, उन्हें अन्य की तुलना में इतना प्राणघातक क्यों बनाता है।
- इस अध्ययन में 100 से अधिक विषैली सांप प्रजातियों की रिकॉर्ड विष प्रभावशीलता और गुणात्मकता की तुलना कर इस पहली का समाधान निकाला गया है, विषैली सांप प्रजातियों में नाग, कोबरा और पेड़ों में निवास करने वाले अफ्रीका के बूमस्लैंग से लेकर समुद्री सांप और बिलों में रहने वाले सांप भी शामिल थे।

विकासवादी दृष्टिकोण

- वैज्ञानिकों ने इस बात के पुख्ता सबूत पाए हैं कि जहर, उन जानवरों के खिलाफ अधिक प्रभावशील हो जाता है जो जानवर, सांप द्वारा सामन्यतः खायी जाने वाली प्रजातियों से संबंधित होते हैं।
- ये परिणाम एक विकासवादी वृष्टिकोण से समझ में आते हैं क्यों कि हम उम्मीद करते हैं कि क्रमागत उन्नति ने जहर को अपने शिकार को मारने में और अधिक सक्षम बना दिया है।
- अनुसंधान से जात होता है कि एक सांप में जहर की मात्रा, उसके आकार और उसके आवासीय पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है।

खुराक-निर्भर

- बड़ी स्थलीय प्रजातियों में सबसे अधिक जहर होता है, जब कि छोटी, पेड़ों में रहने वाली अथवा जलीय प्रजातियों में सबसे कम जहर होता है।

चिंता क्या है?

- सांप का काटना, पूरे विश्व में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय है, प्रत्येक वर्ष सांप काटने के 2.7 मिलियन मामले पाए जाते हैं।
- विष कैसे विकसित होता है, यह समझ लेना हमारी यह पहचानने में मदद करेगा कि मनुष्यों को विभिन्न सांप समूहों से कितना खतरा है और संभावित रूप से मकड़ी, बिचू, चालीसपद और जेलिफिश जैसे जहरीले जानवरों से कितना खतरा है।

संबंधित जानकारी

विष

- सांप, मकड़ी और बिचू जैसे जानवरों द्वारा स्रावित एक जहरीला पदार्थ और सामान्यतः काटने अथवा डंक मारने के द्वारा शिकार अथवा हमलावरों में प्रवेश कराया जाता है।

भारत, वर्ष 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा: डब्ल्यू.ई.एफ.

- विश्व आर्थिक मंच ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत, वर्ष 2030 तक केवल संयुक्त

राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहकर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्तमान में उपभोक्ता खर्च 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक छह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
- भारत, वर्तमान में विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- 'फास्ट-ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट में उपभोग का भविष्य' शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत ने भी यह पाया है कि मध्यम वर्ग के विकास में वृद्धि होगी, लगभग 25 मिलियन परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे।

फारस खाड़ी क्षेत्रीय संवाद मंच

- ईरान ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद सम्मेलन में फारस की खाड़ी संवाद मंच को प्रस्तावित किया है।
- इसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में दीर्घकालिक संघर्षों और अविश्वास का समाधान करना है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) के निरंतर क्षरण की पृष्ठभूमि, क्षेत्र में शांति और समृद्धि ला सकती है।
- प्रस्तावित मंच में शामिल हैं:
- ऐसे मंच में प्रवेश सामान्यतः मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और साझा उद्देश्यों को स्वीकार करने पर आधारित होना चाहिए।
- मंच को अनुलंघनीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रस्तुत करना चाहिए और बल के प्रयोग को अननुज्ञय करना चाहिए।
- मंच का एजेंडा सभी पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए विभिन्न सदस्य देशों के लोगों से जुड़ना होना चाहिए।
- सदस्य देशों को आत्मविश्वास-निर्माण के उपायों के एक सेट का अनुसरण करना चाहिए।
- इन उपायों में नेविगेशन की स्वतंत्रता, ऊर्जा के मुक्त प्रवाह का आश्वासन और खाड़ी की नाजुक

समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा शामिल हो सकती है।

संबंधित जानकारी

खाड़ी सहकारी संघ (जी.सी.सी.)

- जी.सी.सी. एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें इराक को छोड़कर फारस की खाड़ी के सभी अरब राष्ट्र शामिल हैं।
- इसके सदस्य राष्ट्र बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
- जी.सी.सी. का घोषणा पत्र 25 मई, 1981 को हस्ताक्षरित किया गया था।

रायसीना संवाद

- रायसीना संवाद, प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय सम्मेलन है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।
- यह भूराजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरकर आया है।
- इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक स्वतंत्र प्रबुद्ध मंडल, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है।

अनुसंधान सलाहकार समिति

- बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है।
- यह समिति पूंजी बाजार के विकास और विनियमन के लिए अनुसंधान प्रासंगिक को शुरू करने हेतु नीतियों को तैयार करने में सहायता करेगी।
- यह अपने अनुसंधान कार्यों को सशक्त करेगी और नीति निर्धारण हेतु अपने अनुबंधन को बढ़ाएगी।
- इस समिति में प्रमुख वित्तीय अर्थशास्त्री और बाजार व्यवसायी शामिल होंगे।
- इस समिति की अध्यक्षता शंकर डे करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह पूंजी बाजार विनियमन अनुसंधान के लिए भी प्रासंगिक डेटाबेस बनाए रखेगी।

संबंधित जानकारी

सेबी

- यह सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार का विनियमन करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।

गंगाजल परियोजना

- प्रधानमंत्री ने आगरा शहर में 2,980 करोड़ रुपये की गंगाजल परियोजना का शुभारंभ किया है।
- इसका उद्देश्य बेहतर और अधिक आश्वासित जल आपूर्ति प्रदान करना है।
- उन्होंने आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखी है।
- यह आगरा में पर्यटन ढांचे के विकास और संवर्धन को गति प्रदान करेगा।
- इससे निवासियों और पर्यटकों दोनों को लाभ होगा।

भारत का स्वास्थ्य संकट

- नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एन.एच.पी.) 2018 के अनुसार, भारत न्यूनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च वाले देशों में शामिल है।
- सरकार वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निवेश करना चाहती है, जब कि वैश्विक औसत लगभग 6 प्रतिशत है।
- भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे निम्न-आय वाले देश भी अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य पर जी.डी.पी. का क्रमशः 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत खर्च करते हैं।
- लोग, निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों (7.5%) में चार गुना कम खर्च करते हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के वर्ष 2017 के स्वास्थ्य वित्तोषण प्रोफाइल से जात होता है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल खर्च के 67.78% भाग का भुगतान आमदानी से बाहर किया गया था। विश्व का औसत फुटकर खर्च मात्र 18.2% है।

- स्वास्थ्य देखभाल खर्च का राज्यवार वितरण निम्न है:
- मिज़ोरम का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 5,862 रुपये (राज्य की जी.डी.पी. का 4.2%) है, जो भारतीय औसत का लगभग पांच गुना है।
- मिज़ोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश (5,177 रु) और सिक्किम (5,126 रु) शीर्ष पर हैं।
- स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर बिहार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति 491 रुपए खर्च करता है जो भारतीय औसत के आधे से भी कम है, यह राज्य स्वास्थ्य पर अपनी जी.डी.पी. का 1.33 प्रतिशत खर्च करता है।
- बिहार के ठीक बाद मध्य प्रदेश (716 रुपए) और उत्तर प्रदेश (733 रुपए) हैं।
- जब कि दिल्ली स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति 1,992 रुपये खर्च करती है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एन.एच.पी.)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य में मानव संसाधनों पर व्यापक जानकारी के साथ जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य वित्त संकेतक शामिल हैं।
- सी.बी.एच.आई., वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल प्रकाशित कर रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया व्यूरो (सी.बी.एच.आई.)

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में मुदालियार समिति की सिफारिशों पर संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य खुफिया विंग है।
- इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (एच.आई.एस.) को मजबूत बनाना है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) का शुभारंभ किया है।
- यह सहयोगात्मक और सहभागितापूर्ण प्रकृति का कार्यक्रम है, यह राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- इस योजना को पूरे देश में "प्रदूषण के खिलाफ युद्ध" के नाम से जाना जाता है।
- इसने अगले पांच वर्षों के भीतर पी.एम.2.5 और पी.एम.10 की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी का 'प्रयोगात्मक' राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- सांद्रता की तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष माना गया है।
- यह लक्ष्य पूरे देश के 102 प्रदूषित शहरों में प्रभावी होगा।
- यह 102 गैर-प्राप्ति शहरों की सूची में 43 स्मार्ट शहरों में एन.सी.ए.पी. का शुभारंभ करने हेतु स्मार्ट शहर कार्यक्रम का भी उपयोग करेगा।
- इसमें 'मध्यावधि नीति समीक्षा' का प्रावधान भी है।

संबंधित जानकारी

पी.एम.2.5 और पी.एम.10:

- पी.एम.5 और पी.एम.10 वायुमंडलीय कणिका तत्वों (पी.एम.) को संदर्भित करते हैं जिनका व्यास क्रमशः 2.5 मइक्रोमीटर और 10 मइक्रोमीटर के बराबर अथवा उससे कम होता है।
- कणिका तत्व, पृथ्वी के वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस अथवा तरल पदार्थ हैं।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

- सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एस.डी.एफ.) ने विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में यू.बी.आई. को शामिल करने का निर्णय लिया है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक योजना को लागू करना है।
- इसने पहले से ही अर्थात् प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को प्रस्तावित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- अतः सिक्किम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यू.बी.आई.) को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

संबंधित जानकारी:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यू.बी.आई.):

- यू.बी.आई., काम की आवश्यकता अथवा काम की इच्छा के बिना सभी नागरिकों को अशर्त वितरित किया जाने वाला एक नियमित और आवर्ती नकद भुगतान है।
- यू.बी.आई. के पीछे का मुख्य विचार गरीबी को समाप्त करना अथवा कम करना और नागरिकों के मध्य समानता को बढ़ाना है।
- आवश्यक सिद्धांत यह विचार है कि सभी नागरिक एक जीवंत आय के हकदार हैं, चाहे वे जिस भी परिस्थिति में पैदा हुए हों।

सिक्किम के संदर्भ में कुछ तथ्य:-

- सिक्किम, विश्व का पहला पूर्णतया जैविक राज्य है।
- सिक्किम को वर्ष 2018 में शेष विश्व के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र भविष्य नीति गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- सिक्किम, संविधान (36वें संशोधन) अधिनियम, 1975 के बाद भारतीय संघ का 22 वां राज्य बना था।

कार्ड हस्तांतरण का टोकनीकरण

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी कार्ड भुगतान नेटवर्कों को टोकन सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है।
- इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
- डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड हस्तांतरण के टोकनीकरण की अनुमति प्रदान की गई है।
- इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बढ़ाना है।

संबंधित जानकारी:

टोकनीकरण:

- टोकनीकरण में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक यूनिक टोकेन में कार्ड का संवेदनशील विवरण होता है।

- इस टोकेन का उपयोग प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) टर्मिनलों, क्रिक रिस्पांस (क्यू.आर.) कोड भुगतानों आदि पर संपर्क रहित माध्यम में कार्ड हस्तांतरण करने हेतु किया जाता है।
- इस प्रकार, टोकनीकरण एक कोड से कार्ड के विवरण को प्रतिस्थापित करेगा, जिसे "टोकन" कहते हैं।

प्रणव आर. मेहता, वैशिक सौर परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

- प्रणव आर. मेहता ने 1 जनवरी, 2019 से वैशिक सौर परिषद (जी.एस.सी.) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था।
- आज, भारत को दुनिया के शीर्ष 5 सौर खिलाड़ियों में शामिल किया गया है और यह तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार है।

वैशिक सौर परिषद (जी.एस.सी.)

- वैशिक सौर परिषद (जी.एस.सी.) को 6 दिसंबर, 2015 को ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यू.एन.सी.ओ.पी. 21) के बाद लॉन्च किया गया था।
- जी.एस.सी., अधिकतम सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले 30 से अधिक राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में अस्तित्व में आया था और इसने अधिक से अधिक अच्छे के लिए अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने का निर्णय लिया था।
- जी.एस.सी. का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका में स्थित है।

"एक परिवार, एक नौकरी" योजना

- सिक्किम के मुख्यमंत्री ने गंगटोक में "एक परिवार, एक नौकरी" योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का आवंटन किया जाएगा।
- यह योजना गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में "रोज़गार मेला" के दौरान शुरू की गई थी।
- सिक्किम, देश का पहला राज्य बन गया, जिसने लोगों को राज्य सरकार कर्मचारी लाभों को प्राप्त

करने में समर्थ बनाने हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम को लागू किया है।

संबंधित जानकारी

गर्वित माता योजना (प्राउड मदर स्कीम)

- सिक्किम सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन क्षमता को बढ़ाने हेतु गर्वित माता योजना को कार्यान्वित किया है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार, पहली और दूसरी जीवित संतान को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
- संबंध गर्वित माता योजना के अंतर्गत वास्तविक सिक्किमी नागरिकों को शामिल किया गया है जिसमें लेपचा, भूटिया और नेपाली शामिल हैं।

रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना

- केंद्रीय जल संसाधन, शिपिंग एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने ऊपरी यमुना घाटी में रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संबंधित जानकारी

रेणुका जी बांध परियोजना

- उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियाँ- टौंस और गिरी पर इस तीन चरणीय परियोजना का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है।
- इसमें शामिल है
 1. उत्तराखण्ड में यमुना नदी पर लखवार परियोजना,
 2. उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में टौंस नदी पर किशाऊ
 3. हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुकाजी
- वर्ष 2008 में इन तीन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत सिंचाई और पेयजल घटक की लागत की 90% निधि केंद्रीय सहायता के

रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और सिंचाई एवं पेयजल घटक की शेष 10% लागत लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।

- इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.) द्वारा निष्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली और अन्य घाटी राज्यों को 23 क्यूमेक पानी की आपूर्ति हेतु 148 एम. उच्च चट्टान से भरे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

बांध के प्रभाव

- इस बांध के निर्माण के बाद गिरि नदी का प्रवाह लगभग 110% बढ़ जाएगा, जो दिल्ली और अन्य घाटी राज्यों की पेयजल आवश्यकताओं को कम समय में कुछ सीमा तक पूरा करेगा।
- रेणुकाजी बांध के संग्रहित जल का उपयोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के एन.सी.टी., वजीराबाद बैराज से दिल्ली के एन.सी.टी. और ओखला बैराज से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान प्रयोग करेंगे।

नागरिकता विधेयक मुद्रा: असम में मौन भोगाली बिहू उत्सव

- भारत के पड़ोस से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के ठहरने को विधिसम्मत बनाने वाले एक विवादास्पद विधेयक के कारण असम में कई लोगों ने दावत के कृषि महोत्सव के दौरान व्रत रखकर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने का निर्णय लिया है।

संबंधित जानकारी

भोगाली बिहू

- माघ बिहू (जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है), असम में मनाया जाने वाला एक फसल महोत्सव है।
- यह मकर संक्रांति का असम उत्सव है, जिसमें एक सप्ताह तक भोज किया जाता है।
- उरुका, माघ बिहू से पहले मनाया जाता है।

- उरुका को अलाव जलाकर और मेजी अथवा भेलाघर पर भोज करके मनाया जाता है, यह बांस, धास और सूखे पौधे के पत्तों से बनाई गई एक अस्थायी संरचना होती है।

व्यभिचार और समलैंगिकता, सेना में स्वीकार्य नहीं हैं।

- सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश में व्यभिचार और समलैंगिकता को वैध किए जाने के बावजूद भी ये सेना में स्वीकार्य नहीं हैं।

संबंधित जानकारी

आई.पी.सी. की व्यभिचार धारा 497

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.पी.सी.+ की 158 साल पुरानी धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया, जिसके अनुसार एक विवाहित व्यक्ति को व्यभिचार के अपराध के लिए दंडित किया जाता है यदि वह व्यक्ति किसी विवाहित महिला के साथ "उसके पति की सहमति अथवा स्वीकृति के बिना यौन संबंध रखता है"।

भारत में व्यभिचार कानून क्या है?

- भारतीय दंड संहिता की धारा 497, व्यभिचार से संबंधित मामलों से निपटने वाला एक अनुभाग था।
- इस कानून के अंतर्गत, एक महिला को व्यभिचार के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।
- भारत में इस अपराध के अंतर्गत केवल दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध रखने वाले पुरुष को दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति "व्यभिचार में रहता है" तो उसका साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण

- सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को असंवैधानिक घोषित किया क्यों कि यह "एक पति के साथ एक स्वामी के समान व्यवहार करता है।"

- व्यभिचार का अपराध महिलाओं को चल संपत्ति के रूप में मानता है, जिससे उनकी गरिमा भंग होती है।
- न्यायालय ने मनमानी और भेदभाव के खिलाफ समानता के अधिकार और गारंटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर धारा 497 का परीक्षण किया है।

नए प्रावधान

- अपने व्यभिचारी साथी से तलाक लेने के इच्छुक पीड़ित पति-पत्नी को तलाक देकर, व्यभिचार को जार रखा जा सकता है।
- यदि पति/ पत्नी में से किसी ने भी अपने साथी के व्यभिचारी स्वभाव के कारण आत्महत्या कर ली तो अपराधी को उकसाने के आपराधिक अपराध के खिलाफ अभियोग किया जा सकता है।

समलैंगिकता: आई.पी.सी. की धारा 377

- इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से औपनिवेशिक कानून को आई.पी.सी. की धारा 377 के अंतर्गत निरस्त कर दिया है जिसने वयस्कों के मध्य सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इस फैसले के बाद, एल.जी.बी.टी. अर्थात लेसबियन, गे, बाइसेक्सुअल और किन्नर समुदाय भी संविधान के अंतर्गत अन्य नागरिकों की भांति समान अधिकारों को प्राप्त करेंगे।

कोटा विधेयक हेतु राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

- हाल ही में, संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 और 103 संशोधन अधिनियम, 2019 ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया है।
- गुजरात, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है।

संबंधित जानकारी

- अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके बाद की प्रक्रिया) का प्रावधान है कि संविधान के भाग III के अंतर्गत

- आने वाले मौलिक अधिकार में संशोधन हेतु राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
- अतः इस विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलते ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
 - संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संबंधों अथवा शक्तियों के विभाजन को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों को राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

समानता का अधिकार

- इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंडों को जोड़कर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।
- ये दोनों अनुच्छेद संविधान में 'मौलिक अधिकारों' के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद 15 में नया खंड (6) सरकार को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण देने की अनुमति प्रदान करता है, इन शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत निजी संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों अथवा गैर-सहायता प्राप्त हों।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इससे छूट प्रदान की गई है।
- समान प्रकार से अनुच्छेद 16 में नया खंड (6) सरकारी सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्तियों में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए कोटा प्रदान करता है।

नोट:

- इंदिरा साहनी फैसले ने आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित कर दिया था।
- अब, नए विधेयक आरक्षण की सीमा को 60% तक बढ़ा दिया है।

मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थापन को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थापन (बी.सी.ए.) हेतु एक समझौते में प्रवेश करने और आर.बी.आई. एवं बैंक ऑफ जापान के मध्य 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम धनराशि के, द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थापन पर हस्ताक्षर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्य विशेषताएं:

- विनिमय व्यवस्थापन, भारत और जापान के मध्य विदेशी मुद्रा में अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए भुगतान संतुलन के उपयुक्त स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू मुद्रा के लिए अधिकतम 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि का अनिवार्य रूप से विनिमय और पुनर्विनियमन करने हेतु एक समझौता है।

लाभ:

- कठिनाई के समय में एक-दूसरे की सहायता करने के रणनीतिक उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बहाल करने के लिए बी.एस.ए., भारत और जापान के मध्य आपसी सहयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
- यह सुविधा, भारत के उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली पूँजी की सहमत राशि को सक्षम करेगी। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था के साथ विदेशी पूँजी के दोहन में भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में सुधार होगा क्यों कि इससे देश की विनिमय दर की स्थिरता में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा।
- आउट ऑफ बैंलेस ऑफ पेमेंट (बी.ओ.पी.) से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए ऐसी विनिमय सेवाओं की उपलब्धता घरेलू मुद्रा पर अव्यवहार्य हमलों से बचाती है और विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने की आर.बी.आई. की क्षमता को बढ़ाती है।

नोट: यह व्यवस्थापन, भारत और जापान के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग, विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी में एक अन्य मील का पत्थर है।

इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की शुरूआत की है।

- वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में महान भारतीय मानव छलांग लगाने वाले गगनयान को शीघ्र ही एक नए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और एक समर्पित टीम के अंतर्गत क्रैकिंग मिल जाएगी।
- इसरो ने उन्नीकृष्णन नायर को इस मिशन को चलाने वाले व्यक्तिके रूप में नामित किया है, जिन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अपने उन्नत अंतरिक्ष परिवहन कार्यक्रम को संचालित किया था। इसरो ने इन्हें, नए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक के रूप में भी नामित किया है।

गगनयान परियोजना

- यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जो इसरो और रूस की संघीय अंतरिक्ष संस्था रॉसकॉसमॉस के सहयोग से संचालित किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत वर्ष 2022 तक अर्थात् 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पांच से सात दिनों की अवधि के लिए तीन मनुष्यों (गगनयात्रियों) को अंतरिक्ष में अर्थात् निम्न पृथ्वी कक्षा (एल.ई.ओ.) में भेजने की योजना बना रहा है।
- इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72 वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी।
- इस मिशन के अंतर्गत, तीन अंतरिक्षयात्रियों के चालक दल अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी पर परीक्षण करेंगे।
- यह मिशन भारत को विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बना देगा।

महासागर तेज गति से गर्म हो रहे हैं: रिपोर्ट

- शोधकर्ताओं ने कहा कि विश्व के समुद्र तेज गति से गर्म हो रहे हैं क्यों कि ग्लोबल वार्मिंग से

समुद्री जीवन की विविध श्रेणियों को और ग्रह के लिए एक प्रमुख खाद्य आपूर्ति को खतरा है।
जलवायु परिवर्तन में महासागर की भूमिका

- महासागर का गर्म होना जलवायु परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है।
- लगभग 93% अतिरिक्त ऊष्मा, ग्रीनहाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के चारों ओर समाहित हैं जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती हैं जो दुनिया के महासागरों में जमा होते हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2014 और 2017 के मध्य प्रकाशित चार अध्ययनों पर निर्भर करती है, जिन्होंने समुद्र की ऊष्मा के अतीत के रुझानों के संदर्भ में अधिक सटीक अनुमान दिए हैं, जो वैज्ञानिकों को पूर्व अनुसंधानों को अपडेट करने और भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- एक समुद्र निगरानी बैडे में अधिक यर्थाथ संख्याओं के साथ प्रमुख कारक को एरगो कहते हैं, जिसमें लगभग 4,000 तैरने वाले रोबोट शामिल हैं जो "दुनिया के महासागरों में गोताखोरी कर सकते हैं, प्रत्येक कुछ दिनों में 2000 मीटर की गहराई तक गोता लगाते हैं और समुद्र का तापमान, पी.एच., खारापन और वापस आते समय जानकारी के अन्य पहलुओं को मापते हैं।
- एरगो ने "2000 के दशक के मध्य से समुद्र की ऊष्मा पर निरंतर और व्यापक डेटा प्रदान किया है।
- नए विश्लेषण से जात होता है कि बढ़ते हुए वायु तापमान के मापन के साथ महासागरों में गर्मी तेज गति से बढ़ रही है।

नोट: यह मॉडल भविष्यवाणी करता है कि विश्व के महासागरों के शीर्ष 2,000 मीटर का तापमान सदी के अंत तक 0.78 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।

भारत महिला जैविक महोत्सव

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चंडीगढ़ में तीन दिवसीय 6वें भारत महिला जैविक महोत्सव का आयोजन किया है।

- इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय महिला उद्यमियों और किसानों को अधिक खरीदारों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस प्रकार, भारत में जैविक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए वित्तीय समावेशन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसकी विभिन्न पहलों और योजनाओं के संदर्भ में लोगों को जानकारी प्रदान करना है।

संबंधित जानकारी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- इसके संरक्षण के अंतर्गत कार्यरत मंत्रालय के 6 स्वायत्त संगठन हैं-

 - राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.)
 - राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.)
 - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.)
 - केंद्रीय अभियहण संसाधन संस्था (सी.ए.आर.ए.)
 - केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.)
 - राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.)

लोकतंत्र सूचकांक 2018

- हाल ही में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ई.आई.यू.) द्वारा वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले लोकतंत्र सूचकांक 2018 को जारी किया गया है।
- यह सूचकांक विश्व के 165 स्वतंत्र राज्यों और दो क्षेत्रों के लिए विश्व लोकतंत्र की स्थिति का एक आशुचित्र प्रदान करेगा।
- इकानॉमिस्ट का लोकतंत्र सूचकांक, राष्ट्रों को पाँच मापदंडों के आधार पर रैंक प्रदान करता है:-

 - चुनावी प्रक्रिया और बहलवाद
 - सरकार के कामकाज
 - राजनीतिक भागीदारी
 - राजनीतिक संस्कृति
 - नागरिक स्वतंत्रता

भारत की स्थिति और प्रदर्शन

- भारत 41वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से ऊपर है।

- भारत ने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सूचकांक में 7.23 का स्कोर प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष के समान है।
- भारत का स्थान अमेरिका (सूचकांक में 25 वें स्थान पर) और अन्य तथाकथित त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों जैसे इटली, फ्रांस, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रिका से नीचे है।
- सूचकांक के अनुसार, सूचकांक के प्रकाशन के बाद से सूचकांक में भारत के लिए यह सबसे कम स्कोर है।
- भारत को हमेशा एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह रिपोर्ट एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र को उन राष्ट्रों के रूप में परिभाषित करती है जहां "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और फिर भी समस्याएं होने पर भी (जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता पर उल्लंघन), बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है।"
- हालांकि, लोकतंत्र में अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण कमजोरियां हैं, जिनमें शासन, अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी के निम्न स्तर शामिल हैं।

देवादासी प्रथा

- हाल ही में, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एन.एल.एस.आई.यू.), बैंगलोर और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) द्वारा देवादासी प्रथा पर किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि 36 वर्ष से अधिक समय बाद कर्नाटक देवादासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1982 पारित हुआ था, राज्य सरकार द्वारा अभी भी कानून के प्रशासन हेतु नियम जारी करना शेष है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं

- अध्ययनों में यह पाया गया है कि देवादासियों के रूप में समर्पित किए जाने वाले शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता वाले लगभग 19 प्रतिशत विशिष्ट बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से सीमांत समुदायों की लड़कियां निरंतर इस परंपरा का शिकार होती रहीं

हैं और इसके बाद उन्हें व्यावसायिक यौन संबंध रेकेट में शामिल कर दिया जाता है।

- आई.पी.सी. में कानून: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 और किशोर न्याय (जे.जे.) अधिनियम, 2015 ने बच्चों के यौन उत्पीड़न के रूप में इसके संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिया है।

संबंधित जानकारी

देवादासी प्रणाली

- देवादासी प्रणाली, भारत के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधित एक धार्मिक प्रथा है जिसमें मातापिता, बेटी की शादी एक देवता अथवा एक मंदिर से कर देते थे।
- यह विवाह सामान्यतः लड़की के यौवनावस्था तक पहुंचने से पहले कर दिया जाता था।
- दिसंबर, 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस जघन्य प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, यह प्रथा महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

नागरिकता विधेयक: चकमा और हाज़ोंग समुदाय सुर्खियों में हैं।

- विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 ने असम में बंगाली हिंदुओं को सुर्खियों में ला दिया है।
- नागरिकता विधेयक, चकमा और हाज़ोंग शरणार्थियों के दावों को असम राज्य के स्थानीय लोगों के रूप विधिसम्मत बनाने में एक कानूनी आधार के रूप में कार्य करेगा।

संबंधित जानकारी

- चकमा और हाज़ोंग, संजातीय लोग हैं जो चटगांव के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश में स्थित हैं।
- चकमा, मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जब कि हाज़ोंग, हिंदू हैं।
- वे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं।
- चटगांव के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चकमा और हाज़ोंग, वर्ष 1964-65 में कर्नाफुली नदी

पर कपतई बांध के विकास में अपनी जमीन खो देने पर वे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान भाग गए थे।

चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात प्रबंधन हेतु रोबोट "रोडियो" पेश किया है।

- चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने रोबोट "रोडियो" पेश किया है जो यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद करेगा और चेन्नई की सड़कों पर पैदल चलने वालों की सहायता करेगा।
- यह रोबोट, पैदल चलने वालों को विशेष रूप से बच्चों को सड़क पार करते समय सुरक्षित महसूस कराएगा।

संबंधित जानकारी

- यह ट्रैफिक पुलिस के काम को भी आसान करेंगे क्यों कि इन रोबोटों को ट्रैफिक सिग्नलों के साथ एकीकृत कर सकने के साथ ही एक ब्लूटूथ ऐप्लीकेशन के माध्यम से मैन्युअल रूप से संचालित किया जा सकता है।
- लोगों से संवाद करने और यातायात चिन्हों को दर्शाने हेतु रोबोट के दो हाथ हैं।
- पड़ोसी सहायक की भावना पैदा करने हेतु इसकी अत्यंत भावबोधक आंखे हैं और महत्वपूर्ण संदेशों को दर्शाने हेतु इसमें एक डिस्प्ले भी है।

वाणिज्य मंत्रालय ने "जी.ई.एम. पर वोमेनिया" लॉन्च किया है।

- यह पहल महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों [डब्ल्यू.एस.एच.जी.] को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तशिल्प और हथकरघा, एक्सेसरीज आदि बेचने में सक्षम बनाएगी।
- यह पहल, विशेष रूप से महिला उद्यमियों से सरकारी खरीद में 3 प्रतिशत हिस्से को आरक्षित करने हेतु एम.एस.एम.ई. के लिए सरकार की पहलों के साथ संरेखित है।
- यह पहल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लक्ष्यों और उद्देश्यों को संबोधित करेगी, लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने

और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्ति करने के लक्ष्यों को पूरा करेगी।

संबंधित जानकारी

सरकारी ई-बाजार (जी.ई.एम.)

- जी.ई.एम., सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं द्वारा उत्पादों और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म है।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना और अष्टाचार को समाप्त करना है।
- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आपूर्ति और व्यवस्थापन महानिदेशालय (डी.जी.एस. एंड डी.) के अंतर्गत काम करता है।
- यह पूर्णतया कागज रहित, नकदरहित और प्रणाली संचालित ई-बाजार है जो न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस के साथ सामान्य उपयोग के उत्पादों और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 126

- आर.पी. अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रवाधानों और अन्य भागों की आदर्श आचार संहिता के प्रवाधानों में संशोधन और बदलाव की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिंहा ने की है।

समिति के निम्नलिखित कार्य के क्षेत्र हैं:

- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली समग्री को खारिज किया जाना चाहिए, यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार का निर्देश जारी करने के 3 घंटे भीतर शीघ्र और नवीनतम रूप से किया जाना चाहिए।

- देश में संचार प्रौद्योगिकी अथवा मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रकार, श्रेणी अथवा प्रगति की जांच करना और 48 घंटे की निषेधात्मक अवधि के लागू होने पर बहुचरणीय चुनाव के दौरान इन मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने में कठिनाइयों की जांच करना।
- मतदान समाप्त होने के पूर्व 48 घंटे की निषेधात्मक अवधि के दौरान नए मीडिया प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया के प्रभावों और धारा 126 के प्रावधानों के मद्देनजर इसका आशय जात करना।
- उपर्युक्त मुद्राओं से संबंधित आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के वर्तमान प्रावधानों की जांच करना और इसके संदर्भ में संशोधन का सुझाव देना।

आगे का रास्ता:

- समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने पर वे गतिविधियों के संभावित हस्तक्षेप को कम करने में मदद करेंगी, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रदान की गई 48 घंटे की मूल्यवान मौन अवधि के दौरान मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना है।
- अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आयोग द्वारा समिति की सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

तृष्णा गैस परियोजना

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने ओ.एन.जी.सी. की तृष्णा गैस परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है जो त्रिपुरा के गोमती जिले में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में संचालित की जाएगी।
- तृष्णा गैस परियोजना के लिए ओ.एन.जी.सी. ने तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में 10-12 गैस संग्रहण कुओं की खोज की है।
- इन कुओं से निकाली गई गैस की आपूर्ति त्रिपुरा के सिपाहिजला जिले के सोनमुरा उपखंड के मोनारच क्षेत्र में उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.) के स्वामित्व वाले 100 मेगावाट गैस-आधारित ताप विद्युत परियोजना को की जाएगी।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक संगठन है।
- यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में और इसके आसपास के क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने हेतु एक सर्वोच्च निकाय है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में शामिल हैं:
- इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं।
- अन्य सदस्यों में 15 गैर-सरकारी सदस्य, 19 पद के अनुसार सदस्य, सचिव जैसे 10 सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य

- यह त्रिपुरा, भारत में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है।
- इस अभ्यारण्य की वनस्पतियां, उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन, पूर्वी हिमालयी निचले भानसरल, नम मिश्रित पर्णपाती वन और सवाना वुडलैंड की चार व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

अमाघरे एल.ई.डी. योजना

- उड़ीसा सरकार ने अमाघरे एल.ई.डी. योजना की शुरूआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत, राज्य में लगभग 95 लाख परिवारों में प्रत्येक को चार एल.ई.डी. बल्ब निशुल्क दिए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एस.एफ.एस.सी.) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को 9-वाट के एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए जाएंगे।
- उड़ीसा विद्युत हस्तांतरण निगम लिमिटेड (ओ.पी.टी.सी.एल.), इस योजना को लागू करेगा और पूरे राज्य में शिविरों और पी.डी.एस.

- आउटलेट के माध्यम से बल्ब वितरित किए जाएंगे।
- योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा।

2019 की पहली विलुप्तप्राय प्रजाति: हवाई का पेड घोंघा

- हाल ही में एक रिपोर्ट में यह जात हुआ है कि पिछली जात अचातिनेल्लापेक्सफुलवा को अब वर्ष 2019 की पहली विलुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

संबंधित जानकारी

अचातिनेल्लापेक्सफुलवा

- यह अचातिनेल्ला परिवार में रंगीन, उष्णकटिबंधीय, वानस्पतिक पल्मोनेट भूमि घोंघा की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो एक समय में ओआहू, हवाई में पाई जाती थी।
- यह प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीपसमूह में ओआहू द्वीप के वनों के लिए स्थानिक थी, लेकिन अब यह वनों लुप्त हो गई है।
- अप्रैल, 2011 में यह जात हुआ था कि यह प्रजाति कम होकर एक एक बची है।
- वनों में इसकी जनसंख्या में कमी का एक प्रमुख कारण रोसी भेड़िया घोंघा था।

नोट: जनवरी, 2019 में यह जात हुआ है कि इस प्रजाति के अंतिम सदस्य, जॉर्ज नामक एक 14 वर्षीय घोंघे की मृत्यु हो गई है।

चीनी-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा

- चीनी-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा (एस.आई.डी.सी.ओ.पी.), भारतीय आई.टी. कंपनियों और चीनी उद्यमों को एक ए.आई.सी. सक्षम मंच पर एक-दूसरे के निकट लाने हेतु एक पहल है, जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया है।
- यह राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) की गुड्यांग और दालियान की निकाय सरकारों के साथ एक साझेदारी है।

संबंधित जानकारी

चीनी-भारतीय डिजिटल सहयोग प्लाजा (एस.आई.डी.सी.ओ.पी.)

- इस पहल का उद्देश्य भारतीय आई.टी. कंपनियों और चीनी उद्यमों को एक ए.आई. सक्षम मंच पर एक-दूसरे के करीब लाना है।
- इस मंच का प्रबंधन, एक भारतीय और चीनी कंपनी के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य जटिल व्यावसायिक वातावरण में आई.टी. उपकरणों का उपयोग करके व्यवसाय परिवर्तन और परिचालन अनुकूलन में भारतीय आई.टी. उद्यमों की विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना है।

नैसकॉम

- यह एक गैर-लाभकारी उद्योग संघ है और भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- इसका उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर और बी.पी.एम. उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सेवा गुणवत्ता और प्रवर्तन के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

डी.डी. विज्ञान और भारत विज्ञान

- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान संचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और प्रसार भारती द्वारा शुरू की गई दो राष्ट्रीय स्तर की पहलों का अनावरण किया है।
- विज्ञान को एक उत्सव के रूप में प्रगति कराने और रोजमर्रा के जीवन में नजदीक लाने हेतु ये दो विज्ञान संचार मंच, राष्ट्रीय स्तर की पहलों के भाग हैं।
- ये दोनों चैनल, डी.एस.टी. द्वारा समर्थित और विचार में लाए गए हैं और डी.एस.टी के एक स्वायत्त संगठन, विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वयन और प्रबंधित किए जा रहे हैं।
- भारत में विज्ञान संचार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में ये दो विज्ञान चैनल, देश के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान चैनल बनाने की दिशा में पहला कदम है।

संबंधित जानकारी

डी.डी. विज्ञान

- यह दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर एक घंटे का कार्यक्रम होगा, जो सोमवार से शनिवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक प्रसारित किया जाएगा।

भारत विज्ञान

- यह एक इंटरनेट-आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट-सक्षम डिवाइस पर उपलब्ध होगा और लाइव, शेड्यूल प्ले और वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं की पेशकश भी करेगा।

महा एग्रीटेक: वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु एक पहल है।

- महाराष्ट्र सरकार ने महा एग्रीटेक नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उपग्रहों और ड्रोन तकनीक का प्रयोग करते हुए बीजारोपण से लेकर फसल की कटाई तक कृषि के क्षेत्रफल, जलवायु और फसलों की बीमारियों की डिजिटल रूप से निगरानी की जाएगी।
- यह परियोजना महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एम.आर.एस.ए.सी.) और इसरो द्वारा समर्थित है।
- फसलों के नक्शे और उपज के पूर्वानुमान के मुख्य उपयोगकर्ता सरकार और कृषि व्यवसाय हैं जो मांग का मूल्यांकन करने, कीमतों का अनुमान लगाने और संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं।

संबंधित जानकारी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य कार्यक्रम/परियोजनाएँ:-

- अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकनों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (फसल)
- राष्ट्रीय कृषि सूखा मूल्यांकन एवं निगरानी प्रणाली (एन.ए.डी.ए.एम.एस.)
- किसान (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके फसल बीमा)
- चमन (भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम)

- फसल गहनता: रबी फसल के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाद के खरीफ चावल की बंजर भूमि की मैपिंग और निगरानी करना।

इमेक्स 2018-19

- यह भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण है।
- इसके उद्देश्य निम्न हैं:

 - यह दोनों राष्ट्रों के सैन्य कर्मियों को एक दूसरे के प्रशिक्षण, रणनीति, प्रक्रियाओं और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के संदर्भ में समझ प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र मिशनों में प्रभावी ढंग से सेवा करने के अवसर प्रदान करता है।
 - संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आग लेने हेतु म्यांमार प्रतिनिधिमंडल को प्रशिक्षित करना है।
 - संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत, सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है और भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा देने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।

फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशियल पुरस्कार

- भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया द्वारा प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार व्यक्तियों, लाभ और गह की तीन प्रमुख आधारों रेखाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह प्रतिवर्ष किसी राष्ट्र के नेता को प्रदान किया जाएगा।
- फिलिप कोटलर, अमेरिका के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में विपणन के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं।

अलवणीकरण पौधे, पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं: संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में अलवणीकरण पौधे अत्यधिक खारा अपशिष्ट जल और विषाक्त रसायनों का उत्पादन करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
- यह अध्ययन इस शोध का एक हिस्सा था कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या के लिए ताजे पानी को संरक्षित किया जाए।
- दुनिया भर में अलवणीकरण पौधों को खारे स्थानों से पहले विश्वास किए गए की तुलना में कहीं अधिक दूर तक उखाड़ा जा रहा है।
- लवण जल, लवणता के स्तर को बढ़ाता है और समुद्री जीवन एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है।
- लवण जल, वह पानी जिसमें लगभग 5% नमक होता है, इसमें प्रायः अलवणीकरण में प्रयोग किए जाने वाले क्लोरीन और तांबे जैसे विषाक्त तत्व होते हैं। इसके विपरीत, वैश्विक समुद्री जल में लगभग 3.5% नमक होता है।
- आधे से अधिक लवण जल चार मध्य पूर्वी देशों से आता है। ये देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कत हैं। अकेले सऊदी अरब इसके प्रवाह के 22% हेतु जिम्मेदार है।

संबंधित जानकारी

अवणीकरण

- अलवणीकरण, पानी से नमक निकालकर ऐसे पानी का उत्पादन करने की प्रक्रिया है जो विभिन्न मानव प्रयोगों की गुणवत्ता (लवणता) आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
- समुद्री अलवणीकरण, जल आपूर्ति को उपलब्ध मानकों से आगे बढ़ा सकता है, जो जलविज्ञान संबंधी चक्र से उपलब्ध होती है, यह एक "असीमित", जलवायु-स्वतंत्र और उच्च गुणवत्ता वाले पानी की स्थिर आपूर्ति प्रदान करता है।

नोट: यह सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) 6 के साथ सीधे विरोध में है, जिसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

कुंभ मेले हेतु विशेष मौसम संबंधी सेवाएं

- केंद्रीय मंत्रालय ने कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज आने वाले लोगों के लाभ हेतु विशेष मौसम सेवाओं की शुरुआत की है।
- यह सेवा चार स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए.डब्ल्यू.एस.) और एक मोबाइल वैन ए.डब्ल्यू.एस. के माध्यम से वहां के वर्तमान मौसम और अगले 3 दिनों के लिए मौसम संबंधी भविष्यवाणी करेगी। यह मोबाइल वैन ए.डब्ल्यू.एस. प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर स्थापित और संचालित है।
- यह 5-10 कि.मी. के दायरे में सभी चार दिशाओं को कवर करेगी।
- यह पूरे कार्यक्रम के कुशल प्रबंधन हेतु वास्तविक समय पर विशिष्ट स्थान आधारित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने में स्थानीय और राज्य अधिकारियों के लिए सहयोग होगी और इसके अतिरिक्त नवीनतम मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करके तीर्थयात्रियों को लाभान्वित करेगी।

उड़ीसा ने कछुआ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है।

- उड़ीसा के समुद्र तट पर 13 जनवरी, 2019 को पहला कछुआ महोत्सव मनाया गया था, जहां पर पारिस्थिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक, शोधकर्ता और पर्यावरणविद् एकत्र हुए थे, जो परिणामस्वरूप ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में मदद कर सकता है।
- इसे एक परोपकारी पर्यटन कंपनी की शाखा कॉक्स एंड किंग्स फाउंडेशन ने ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल-इंडिया (एच.आई.एस.- इंडिया) और कुछ स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी करके आयोजित किया था।
- ओडिशा में पूरे विश्व के ओलिव रिडले कछुओं की आधी आबादी निवास करती है, भारत की 90 प्रतिशत कछुआ आबादी इस राज्य में निवास करती है।

संबंधित जानकारी

ओलिव रिडले कछुआ

- ओलिव रिडले कछुए, सबसे छोटे होते हैं और विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं, यह प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में रहते हैं।
- ये कछुए, अपने कजिन कैप्स रिडले कछुओं के साथ अपने अद्वितीय सामूहिक घोसला बनाने की प्रक्रिया हेतु प्रसिद्ध हैं जिसे अर्रिबडा कहते हैं, जहां हजारों मादा कछुए भी समान तट पर अंडे देने के लिए एक साथ आते हैं।
- इस प्रजाति को आई.यू.सी.एन. की रेड सूची में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थिकी तंत्र का केरल में अनावरण किया गया है।

- केरल सरकार को भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थिकी तंत्र प्राप्त हुआ है।
- केरल स्टार्टअप मिशन (के.एस.यू.एम.) के अंतर्गत एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में मेकर गांव की अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा प्रदान करती हैं।

संबंधित जानकारी

स्टार्टअप क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार एक इकाई को 'स्टार्टअप' के रूप में वर्णित किया गया है:

- इसके निगमन/ पंजीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक मान्य है,
- यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इसकी कुल बिक्री 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो और
- इसके कार्य प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित सेवाओं, प्रक्रियाओं अथवा नए उत्पादों के नवाचार, विकास, प्रविस्तार अथवा व्यवसायीकरण की दिशा में होने चाहिए।

स्टार्टअप: ध्यान रखने योग्य बिंदु

- पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्निर्माण के द्वारा गठित किसी भी इकाई को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

- कर लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त परिभाषा के अंतर्गत पहचाने गए स्टार्टअप को अंतरमंत्रालयी प्रमाणीकरण बोर्ड से योग्य व्यापार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, यह बोर्ड निम्न से मिलकर बना होता है:

 1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,
 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि,
 3. जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

- किसी इकाई की इसके निगमन/ पंजीकरण की तारीख से पांच साल पूरा होने पर अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर इसकी स्टार्टअप की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- इकाई का अर्थ है एक निजी लिमिटेड कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) अथवा एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के भाग 59 के अंतर्गत पंजीकृत) अथवा सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) है।

प्रथम वार्षिक निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले फेलोशिप कार्यक्रम

- विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में पहले वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के फेलोशिप कार्यक्रम का अनावरण किया है।
- इस फेलोशिप कार्यक्रम में 27 देशों से युवा राजनीयिक भाग ले रहे हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को निरस्त्रीकरण, अप्रसार, हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्रों पर ज्ञान और वृष्टिकोण से सुसज्जित करना है।

मंत्रालयी वार्षिक जनगणना

- वार्षिक जनगणना में भितरकनिका में समुद्री मंत्रालयी की आबादी में वृद्धि हुई है। यह

जनगणना हाल ही में समाप्त हुई है जिसमें 1,742 मंत्रालयी गिने गए हैं।

- पिछले वर्ष प्रगणकों ने 1,698 सरीसृप गिने थे।

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

- यह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में केंद्रपारा जिले के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है।
- यह नदियों के मुहाने से संबंधित मंत्रालयी की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है।
- इसे 16 सितंबर, 1998 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और 19 अगस्त, 2002 को यनेस्को द्वारा रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
- यह ब्रह्माणी, बैतरणी, धामरा, पाथसाला नदियों द्वारा घिरा हुआ है।

संबंधित जानकारी

- वर्ष 1975 में, वानिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यू.एन.डी.पी. के सहयोग से डांगमाला में एक पार्क के भीतर मंत्रालयी प्रजनन एवं पालन परियोजना की शुरुआत की थी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खान, परीक्षण एवं अनुसंधान स्टेशनों में सुरक्षा (एस.आई.एम.टी.आर.ए.एस.) पर समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस.आई.एम.टी.आर.ए.एस. के माध्यम से खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.), भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया की क्वीसलैंड सरकार के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं ऊर्जा विभाग के मध्य एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है।
 - यह समझौता जापन डी.जी.एम.एस. और एस.आई.एम.टी.आर.ए.एस. के मध्य निम्न के लिए एक साझेदारी स्थापित करने में मदद करेगा:
1. जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण प्रदान करना

- व्यवसायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य अकादमी और राष्ट्रीय खदान आपदा केंद्र स्थापित करना और डी.जी.एम.एस. की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण करना
- यह समझौता जापन हस्ताक्षर की तारीख से प्रवर्त्तनशील हो जाएगा और अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

पृष्ठभूमि:

- विश्व में सबसे कम खनन दुर्घटना दर ऑस्ट्रेलिया में है।
- ऑस्ट्रेलिया, खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन की तकनीक का प्रयोग करके खनन क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की संकल्पना करने और कार्यान्वयन करने में अग्रणी है।
- एस.आई.एम.टी.आर.ए.एस. को खान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में मेधालय में कोयला खदानों में दुर्घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है।

जय किसान क्रृषि योजना

- मध्य प्रदेश सरकार ने 'जय किसान क्रृषि मुक्ति योजना' की शुरुआत की है।
- यह किसानों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कृषि क्रृषि माफी योजना है।
- केवल वे किसान जिन्होंने जी.एस.टी. और आयकर का भुगतान करने के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन

- केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रिप, सूक्ष्म छिकाव और अन्य स्थानीय सिंचाई प्रणालियों में सर्वोत्तम प्रबंधन अभ्यासों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के अनुभव को साझा करना था।

- इस सम्मेलन की थीम: "सूक्ष्म सिंचाई एवं आधुनिक कृषि" थी।
- इस सम्मेलन का आयोजन जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।

संबंधित जानकारी

सूक्ष्म सिंचाई

- सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई का एक आधुनिक तरीका है जिसमें ड्रिप, छिकाव, फागर्स और सतह पर अथवा भूमि की उपसतह पर अन्य उत्सर्जकों के माध्यम से पानी का प्रवेश कराया जाता है।
- व्यापक सिंचाई वाली फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त है।
- सूक्ष्म छिकाव सिंचाई प्रणाली का प्रयोग अधिकतर रेतीली अथवा दोमट मिट्टी में किया जाता है।
- यह प्रणाली मुख्य रूप से बागवानी फसलों और छोटी घासों के लिए सबसे उपयुक्त है।

लाभ

- पानी की बचत और अधिक उपज होना
- उच्च गुणवत्ता और फलों का बढ़ा हुआ आकार
- सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होना
- फर्टिंगेशन और रसायनीकरण की आसान विधि
- मजदूरी और खेत तैयार करने की लागत में बचत होना

हानि

- उच्च प्रारंभिक निवेश
- उत्सर्जक की कर्तृगिंग
- जानवरों आदि के कारण प्रणाली के घटकों को संभावित नुकसान होना

आर.बी.आई. ने ई.सी.बी. मानदंडों को आसान बनाया है और क्षेत्रवार सीमाओं को बढ़ाया है।

- आर.बी.आई. ने मौजूदा क्षेत्रवार सीमाओं को प्रतिस्थापित करते हुए सभी योग्य उधारकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 750 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने हेतु एक नया बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) ढांचा तैयार किया है।
- केंद्रीय बैंक ने योग्य उधारकर्ताओं और मान्यता प्राप्त क्रृषदाताओं की सूची का भी विस्तार किया है।

- कच्चे तेल की खरीद के लिए डॉलर की मांग विदेशी मुद्रा बाजार में उत्पन्न अस्थिरता पर अंकुश लगाने हेतु यह ढांचा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को विशेष छूट प्रदान करता है।
- यह अनिवार्य हेजिंग और व्यक्तिगत सीमा आवश्यकताओं के बिना स्वचालित मार्ग के अंतर्गत तीन वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एम.ए.एम.पी.) के साथ कार्यशील पूँजी उद्देश्यों के लिए ई.सी.बी. को \$10 बिलियन की समग्र सीमा के साथ बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है।
- एफ.डी.आई. प्राप्त करने हेतु योग्य सभी संस्थाओं को शामिल करने के लिए उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है।

परिपक्वता अवधि

- ई.सी.बी. के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि तीन वर्ष होगी, यह ढांचा विनिर्माण कंपनियों को एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में \$ 50 मिलियन तक की सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, यदि ई.सी.बी. को एक विदेशी इक्विटी धारक से उठाया जाता है और कार्यशील पूँजी, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों अथवा रूपये के ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है तो परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी।

एफ.डी.आई. (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.), एक निवेश है जो किसी अन्य देश में स्थापित एक संस्था के द्वारा एक देश में व्यापार के स्वामित्व के नियंत्र के रूप में है।
- ये दो मार्ग हैं जिनसे भारत, एफ.डी.आई. प्राप्त करता है।
- स्वचालित मार्ग-** इस मार्ग से एफ.डी.आई. को सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- सरकारी मार्ग-** इस मार्ग के माध्यम से सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है। एफ.डी.आई. के विनियमन हेतु जिम्मेदार संस्था

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को मई 24, 2017 को समाप्त कर दिया गया था।

ए.एस.ई.आर. 2018

- वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट स्थिति (ए.एस.ई.आर.) 2018 के अनुसार, ग्रामीण भारत में कक्षा 8 के चार छात्रों में से एक छात्र पढ़ने में असमर्थ है।
- यह रिपोर्ट शिक्षा एक स्वायत इकाई- एन.जी.ओ. प्रथम के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद बनाई गई थी।
- इस सर्वेक्षण में 596 ग्रामीण जिलों में तीन से सालह वर्ष की आयु के 5,46,527 बच्चों और लगभग 3.5 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- इसके अतिरिक्त कक्षा 8 का प्रत्येक दो में से एक छात्र सामान्य भागफल के प्रश्नों को नहीं हल कर सकता है।
- कक्षा 5 में नामांकित सभी बच्चों के केवल आधे से कुछ अधिक बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं।
- यह सुधार हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम द्वारा किए गए बेहतर प्रदर्शन के कारण देखा जा सकता है।
- भारत में पहली बार विद्यालय में दाखिला नहीं लेने वाले बच्चों का प्रतिशत 3% से घटकर 2.8% हो गया है।
- इसके अतिरिक्त 15 से 16 आयु वर्ग की विद्यालय में नामांकन नहीं लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत वर्ष 2008 में 20 प्रतिशत से घटकर 13.5 प्रतिशत हो गया है।
- उपयोग योग्य शौचालयों वाले लड़कियों के विद्यालयों की संख्या वर्ष 2010 से 2018 के मध्य दोगुनी हो गई है, ग्रामीण भारत के सभी लड़कियों के विद्यालयों के दो-तिहाई विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

वैशिक विमानन शिखर सम्मेलन 2019

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से नागरिक उड़ान मंत्रालय ने मुंबई में वैशिक वैमानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है।
- वैशिक वैमानिक शिखर सम्मेलन की थीम "सभी के लिए उड़ान- विशेष रूप से अगले 6 अरब हेतु" है।
- इसका उद्देश्य विमानन उद्योग के भविष्य पर विचार-विमर्श हेतु हितधारकों को एक मंच प्रदान करना और प्रगति क्षेत्रों की पहचान करना है।
- यह ड्रोन, एयर टैक्सी, नए जेट और अल्ट्रा-लाइट हवाई विद्युत वाहन आदि जैसी नवीनतम अवधारणाओं को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है।

संबंधित जानकारी

- शिखर सम्मेलन के दौरान विमानन क्षेत्र हेतु विजन 2040 भी लॉन्च किया गया था।
- विजन दस्तावेज भारतीय विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में वृद्धि की क्षमता और वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डालता है।

पहला मानवाधिकार टी.वी. चैनल

- मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व के पहले टेलीविजन चैनल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बेधशाला (आई.ओ.एच.आर.) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह एक वेब-आधारित चैनल होगा और यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों तक मानवाधिकार मुद्राओं की खबरें पहुँचाएगा।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में अंग्रेजी में प्रसारित किए जा रहे हैं और अंततः यह आशा है कि इस कार्यक्रम को फारसी, तुर्की, अरबी और रूसी सहित अन्य भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।

उद्देश्य

- मानवाधिकार चैनल का उद्देश्य प्रमुख मीडिया द्वारा अनदेखा की गई छिपी हुई खबरों को लोगों तक पहुँचाना है।
- यह चैनल शरणार्थियों, प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के उत्थान, अतिवाद, महिलाओं के अधिकारों, एल.जी.बी.टी.+ मुद्राओं और विश्व के राज्यविहीन लोगों की दुर्दशा जैसे मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

संबंधित जानकारी

आई.ओ.एच.आर.

- यह लंदन में स्थित एक गैर-लाभकारी एन.जी.ओ. है।
- आई.ओ.एच.आर., पूरे विश्व में न्याय के लिए प्रयासों और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों का सम्मान करने हेतु स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह के साथ साझेदारी में है।
- आई.ओ.एच.आर. का उद्देश्य अन्यायपूर्ण जेल में बंद पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, शरणार्थियों और उत्पीड़न के शिकार लोगों सहित उनके अधिकारों की गरिमा की रक्षा करना है।

केरल में आध्यात्मिक सर्किट

- प्रधानमंत्री ने हाल ही में केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरनमुला और सबरीमाला के तीन महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों को शामिल करते हुए आध्यात्मिक सर्किट के विकास हेतु एक परियोजना का उद्घाटन किया है।
- श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, भगवान विष्णु के 108 दिव्यदेशमों में से एक है।
- यह परियोजना, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

संबंधित जानकारी

स्वदेश दर्शन योजना:

- स्वदेश दर्शन योजना, देश में विषयगत सर्किट के विकास के लिए योजनाबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

- यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत, सरकार एक तरफ आगंतुकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है।
- योजना के मिशन उद्देश्यों और दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एन.एस.सी.) का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के मंत्री करेंगे।

जन्मजात केंद्रीय हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम (सी.सी.एच.एस.)

- हाल ही में, नई दिल्ली अस्पताल में जन्मजात केंद्रीय हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम (सी.सी.एच.एस.) नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक नवजात का इलाज किया जा रहा है।

रोग के संदर्भ में जानकारी:-

- यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, विश्व में इसके कुल 1000 जात मामले हैं।
- इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है यदि वह गहरी नींद में सो जाए।
- यह तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जिसमें रोगी को गहरी नींद आने पर उसकी सांस लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
- इसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर में कार्बन डाइ ऑक्साइड का निर्माण होने लगता है।
- सांस लेने में कमी होने पर होठ नीले पड़ने लगते हैं।
- इसे ऑनडाइन के अभिशाप के रूप में भी जाना जाता है। (ऑनडाइन, एक फ्रांसीसी पौराणिक चरित्र है।)

कारण

- पी.एच.ओ.एक्स.2बी. नामक जीन के परिवर्तन के कारण सी.सी.एच.एस. होता है।
- यह जीन, शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण है।

इलाज

- इसके उपचार में सामान्यतः यांत्रिक वेंटिलेशन अथवा एक डायाफ्राम पेसमेकर का उपयोग शामिल है।
- जिन लोगों का नवजात शिशुओं के रूप में इलाज किया गया है, उन्हें पूरे बचपन में हवादार होना चाहिए जिससे कि वे स्वतंत्र रूप से जी सकें।

सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीकि पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट

- केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा प्रबंधन में सुधार करने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एम.एच.ए. द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है।
- अंतरिक्ष तकनीकि के प्रयोग हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:
 1. द्वीप विकास
 2. सीमा सुरक्षा
 3. संचार और नेविगेशन
 4. जी.आई.एस. और कार्यान्वन योजना प्रणाली
 5. सीमा ढांचा विकास
- परियोजना को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए इसरो और रक्षा मंत्रालय के गहन समन्वय में पांच वर्ष में कार्यान्वयन हेतु एक लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना प्रस्तावित की गई है।
- उपग्रह संचार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) की तैनाती को भी समन्वित किया जाएगा।
- भारतीय क्षेत्रीय नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) आधारित जी.पी.एस. अधिक ऊर्चाई, दूरस्थ और कठिन सीमाओं और नक्सली क्षेत्रों में परिचालन दलों के लिए नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करेगा।
- बी.एस.एफ. को आधारीय खंड और नेटवर्क ढांचे के कार्यान्वन हेतु प्रमुख संस्था के रूप में नामित किया गया है, जिसमें पुरालेख सुविधा की स्थापना भी शामिल है।

सक्षम 2019

- "सक्षम" एक वार्षिक उच्च-गहनता मेंगा अभियान है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी.सी.आर.ए.) द्वारा शुरू किया गया है।
- इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ईंधन संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इसके साथ ही यह कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी मदद करता है।

पी.सी.आर.ए.

- यह भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है।
- यह गैर-लाभकारी संगठन, एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने का काम करती है।
- यह पेट्रोलियम संरक्षण हेतु नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सरकार की मदद करती है।

जल्लीकट्टू

- हाल ही में, अलंगानल्लूर तमिलनाडु में आयोजित जल्लीकट्टू कार्यक्रम में कुल 29 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं।

संबंधित जानकारी

- जल्लीकट्टू एक पारंपरिक तमाशा है जिसमें एक सांड अथवा इसी प्रकार की कंगायम नस्लों को लोगों की भीड़ में छोड़ा जाता है और कई प्रतिभागी व्यक्ति इस सांड की पीठ पर निकले के कूबड़ को दोनों हाथों से पकड़ने और सांड के बचकर भागने के दौरान कूबड़ को पकड़कर लटकने का प्रयास करते हैं।
- जल्लीकट्टू, विशेष रूप से भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन पोंगल महोत्सव के भाग के रूप में मनाया जाता है।

नोट: पशु अधिकार संगठनों ने इस खेल पर प्रतिबंध लगाने की मांग है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने पिछले

वर्षों में कई बार इस खेल को प्रतिबंधित किया है, लेकिन प्रतिबंध के खिलाफ लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण इस खेल को जारी रखने हेतु वर्ष 2017 में एक नया अध्यादेश बनाया गया था।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट

- विश्व अर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019, वैश्विक जोखिम परिवृश्य में वर्ष प्रति वर्ष होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है और वैश्विक आपदाकारी जोखिमों की पहचान करती है।
- यह रिपोर्ट जोखिमों के परस्पर संबंधों की भी जांच करती है और इस पर भी विचार करती है कि वैश्विक जोखिमों को कम करने हेतु रणनीतियों को किस प्रकार संरचित किया जा सकता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- यह रिपोर्ट पांच श्रेणियों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख जोखिमों की भविष्यवाणी करती है:

1. आर्थिक

- एक प्रमुख अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति अस्थिरता

2. पर्यावरणीय

- चरम मौसम संबंधी घटनाएं
- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की विफलता
- प्राकृतिक आपदा
- मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदाएँ
- जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र के पतन
- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की विफलता

3. भू-राजनीतिक

- सामूहिक विनाश करने वाले हथियार

4. सामाजिक

- बड़े पैमाने पर अनैच्छिक पलायन
- पानी की कमी
- संक्रामक रोगों का फैलना

5. तकनीकी संबंधी

- डेटा धोखाधड़ी अथवा चोरी

- साइबर हमले
- महत्वपूर्ण सूचना ढांचे का पतन

नोट: इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 में विकास के संदर्भ में चेतावनी दी गई है, जिसमें भू-आर्थिक तनावों को जारी रहने से 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ बहुपक्षीय व्यापारिक नियमों और समझौतों के भविष्य में क्षण की उम्मीद है।

कॉमन पोर्चार्ड

- "कॉमन पोर्चार्ड" जैसे प्रवासी पक्षियों के दिल्ली पहुँचने में देरी ने पर्यावरणविदों और पक्षी प्रेमियों आदि को विंता में डाल दिया है।

कॉमन पोर्चार्ड

- कॉमन पोर्चार्ड, एक मध्यम आकार की बतख है।
- यह अक्टूबर में मध्य एशिया से भारत की ओर पलायन करती है।
- जलवायु और मानव विज्ञान संबंधी कारणों से इस प्रजाति की संख्या विश्व स्तर पर घट रही है।
- आई.यू.सी.एन. स्थिति- कमज़ोर है।

फार्मा निर्यात की सहायता करने हेतु ईरान के साथ रुपया समझौता

- अब भारतीय फार्मा उद्योग के पास रुपए भुगतान तंत्र का अनुसरण करते हुए ईरान को निर्यात बढ़ाने का एक अवसर है, इस समझौते पर हाल ही में भारत और फारस की खाड़ी के राष्ट्र ने सहमति जतायी है।
- इस समझौते के अंतर्गत भारतीय रिफाइनर, ईरान से आयात किए जाने वाले तेल का आयात रुपये में करेंगे।
- इस समझौते में यूको बैंक द्वारा विनियमित नामित खाते शामिल किए गए हैं।
- इस प्रकार प्राप्त एक भाग का उपयोग ईरान द्वारा भारत से किए गए आयात हेतु भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल है।

संबंधित जानकारी

- ईरान में एक सुदृढ़ फार्मा उद्योग स्थापित है जो देश की 80 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- पिछले वित्त वर्ष में ईरान को किया जाने वाला भारतीय फार्मा निर्यात 05 मिलियन डॉलर था।
- शेष 20% आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से यूरोप से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूजीकरण को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकिजम बैंक के पुनर्पूजीकरण को मंजूरी प्रदान की है।
- विवरण निम्नानुसार हैं:
 1. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकिजम बैंक) में पूँजी लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार द्वारा पुनर्पूजीकरण बांड जारी किए जाएंगे
 2. इक्विटी का संचार किया जाएगा
- मंत्रिमंडल ने एकिजम बैंक की प्राधिकृत पूँजी को भी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी प्रदान की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए जाने वाले पुनर्पूजीकरण बांड भी तैयार किए जा रहे हैं।

गहरा असर:

- एकिजम बैंक, भारत की प्रमुख निर्यात क्रृति संस्था है।
- एकिजम बैंक में पूँजी लगाने से बैंक पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बढ़ी हुई क्षमता के साथ भारतीय निर्यात का समर्थन करने में सक्षम होगी।
- पूँजीकरण, भारतीय कपड़ा उद्योगों का समर्थन करने, रियायती वित्त योजना (सी.एफ.एस.) में संभावित बदलाव करने, भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक इरादों के व्यष्टिकोण से भविष्य में नए एल.ओ.सी. की संभावना जैसी नई पहलों की संभावनाओं को तेजी प्रदान करेगी।

भारतीय एकिजम बैंक

- इस बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत वित्तपोषण, सुविधाजनक और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सर्वोच्च वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- यह बैंक मुख्य रूप से भारत से निर्यात हेतु ऋण प्रदान करता है, जिसमें भारत की विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, उपकरण, उत्पाद और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी क्रेताओं और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना शामिल है।
- यह आर.बी.आई. द्वारा विनियमित है।

सीता रामा परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है।

- केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना के सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी होगी और इससे लगभग 1,930 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 157 गाँवों को लाभ मिलेगा।

सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

- इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना के तीन जिलों भद्रादिकोठागुडेम, खम्मम और महबूबाबाद जिलों में 72 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए गोदावरी नदी के पानी को मोड़ना है।
- गोदावरी नदी के पानी को मौजूदा डम्मुगुडेम एनीकट बैराज के ऊपर से निकाला जाएगा।
- गोदावरी नदी पर डम्मुगुडेम एनीकट में प्रमुख विनियामक का निर्माण किया जाएगा और लगभग 372 किलोमीटर लंबी रेखीय नहर का निर्माण किया जाएगा।

मनुष्य, चंद्रमा पर एक आधार स्थापित करने के नजदीक है।

- चीन के चांग-4 लैंडर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कपास का पौधा उगाया था लेकिन शीघ्र ही उस पौधे की मृत्यु हो गई थी।

- यह पहली घटना है जिसमें चंद्रमा पर नियंत्रित वातावरण में एक पौधा उगाया गया है।
- इसकी महत्ता इसलिए है कि अब हमारे पास यह सकारात्मक पुष्टि है कि हम चंद्रमा पर नियंत्रित वातावरण में भोजन उगा सकते हैं।
- अंतरिक्ष में यहां पर लगभग सब कुछ उगाया जा सकता है क्यों कि हम नियंत्रित वातावरण की बात कर रहे हैं और अतः शायद सीमित कारक केवल पानी, प्रकाश आदि जैसे अजैविक कारक हैं।

नोट: भारत को अभी अंतरिक्ष में अथवा चंद्रता की जमीन पर ऐसा परीक्षण करने वाला अंतरिक्ष भेजना है।

उन्नति कार्यक्रम

- विभाग के राज्य मंत्री ने बैंगलुरु, कर्नाटक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उन्नति कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है।
- उन्नति का पूरा नाम यूनीस्पेस नैनो उपग्रह परिषद एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- यह इसरो द्वारा बाहरी अंतरिक्ष की खोज और शांतिपूर्ण प्रयोग (यूनीस्पेस-50) पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50 वर्षगांठ को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष मामला कार्यालय की एक पहल के रूप में लांच किया गया है।

उन्नति

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत 18 देशों- अल्जीरिया, अर्जेटीना, अजरबेजान, भूटान, ब्राजील, चिली, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्रिस्को, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, ओमान, पनाम और पुर्तगाल से आए हुए 32 प्रतिभागियों को 2 महीने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- कुल मिलाकर यह कार्यक्रम इसरो के यू.आर. राव उपग्रह केंद्र द्वारा 3 वर्षों के लिए तैयार किया गया है।

- इसमें 3 बैच हैं और इसमें 45 देशों के अधिकारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मणिपुर का नया एंटी-लिंचिंग कानून

- सर्वोच्च न्यायालय ने 6 माह पूर्व भारत की बहुलवादी सामाजिक संरचना की भीड़ हिंसा से रक्षा करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को 'भीड़तंत्र की भयावह हरकत' बताया है।
- धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाली घृणित हिंसा के चार वर्षों की वृद्धि में न्यायालय कार्रवाई न कर पाने पर बाध्य महसूस कर रहा था। भीड़ घृणित हिंसा से निपटने के लिए इस प्रकार के कानून को पारित करने हेतु इसने संसद को विवश कर दिया था।
- मणिपुर, लिंचिंग के खिलाफ एक उल्लेखनीय कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया।
- इसकी लिंचिंग की परिभाषा व्यापक है और जघन्य अपराधों के कई रूपों को शामिल करती है।
- ये धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार प्रथाओं, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा किसी अन्य संबंधित मामलों के आधार पर भीड़ द्वारा किए गए हिंसात्मक कृत्यों अथवा कृत्यों की श्रृंखला अथवा ऐसे कृत्यों को भड़काना, उकसान में किए गए कार्य हैं, भले यह हिंसा अचानक अथवा योजनाबद्ध हो।

नागालैंड, नागरिकता विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।

- हाल ही में, नागालैंड सहित अन्य पूर्वतर राज्यों को लोकसभा में नागरिकता विधेयक, 2016 पारित होने के बाद कई विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है।

संबंधित जानकारी

अनुच्छेद 371 (A)

- नागालैंड राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान

- निम्न के संदर्भ में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक नागालैंड की विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा इस पर निर्णय नहीं लेती है।
 - नागाओं के धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवहार,
 - नाग प्रथागत कानून और प्रक्रिया,
 - नाग प्रथा कानून के अनुसार निर्णयों सहित नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन,
 - भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण, नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक नागालैंड की विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा इस पर निर्णय नहीं लेती है।
- नागालैंड राज्य के कानून और व्यवस्था के संबंध में नागालैंड के राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होगी।
- नागालैंड को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियमन 1873 द्वारा भी संरक्षित किया गया है, जिसके अंतर्गत नागाओं की नागरिकता, अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा हेतु बाहरी लोगों को इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है।

असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

- इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा का प्रावधान है।

इनर लाइन परमिट

- इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो सीमित समयावधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में भारतीय नागरिक की आंतरिक यात्रा की अनुमति प्रदान करता है।
- यह उन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है।
- वर्तमान में 3 राज्यों में इनर लाइन परमिट का प्रावधान है। ये राज्य- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड हैं।

हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने हथियार परीक्षण को पूरा कर लिया है।

- एच.ए.एल. के रोटरी विंग अनुसंधान एवं डिजाइन केंद्र (आर.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) द्वारा विकसित और डिजाइन किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एल.सी.एच.)) ने सफलतापूर्वक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है।
- भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था।
- इसे भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं हेतु विकसित किया गया था और इसकी क्षमताएं इस वर्ग के समकालीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की क्षमताओं से कहीं अधिक हैं।

एल.सी.एच. की विशेषताएं

- यह विश्व का एक मात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन ग्लेशियर जैसे स्थानों की ऊँचाइयों पर भी परिचालन करने में सक्षम है।
- इसे एक हेलिमेटनुमा दृश्य और सामने की ओर देखने वाली अवरक्त दृष्टि प्रणाली के साथ बनाया गया है।
- यह उन्नत दृष्टि प्रणाली, हेलीकॉप्टर को बिना किसी दिशा में मोड़े हुए किसी भी लक्ष्य पर मिसाइल से हमला करने में पायलट को सक्षम बनाएगी।
- एल.सी.एच., विछिन्न स्थानों से संचालन करने में और अतिनिम्न स्तरों पर उड़ सकने में सक्षम है।
- यह सभी हवाई खतरों से एक सुरक्षात्मक छत्र प्रदान करता है।

राजस्थान का राज्य पक्षी शीघ्र ही विलुप्त हो सकता है।

- हाल ही में, रिपोर्ट से जात हुआ है कि राजस्थान का राज्य पक्षी “ग्रेट इंडियन बस्टर्ड” शीघ्र ही विलुप्त हो सकता है, वनों में केवल 50 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में शेष बचे हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलें:-

- राजस्थान सरकार ने दो वर्ष पूर्व राजस्थान के राज्य पक्षी के संरक्षण हेतु कोटा जिले के सोरसन में बंदी प्रजनन केंद्रों की स्थापना और जैसलमेर के मोखला गाँव में हैरी की स्थापना करना प्रस्तावित किया था लेकिन सरकार इस लुप्तप्राय पक्षी को बचाने में विफल रही।
- केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रजाति को बचाने हेतु दो केंद्रों की सुविधा प्रदान की है और भारतीय वन्यजीव संस्थान को इनके संरक्षण का प्राधिकार प्रदान किया है।

संबंधित जानकारी

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक बस्टर्ड है।
- ये पक्षी प्रायः काले हिरण के समान एक ही निवास स्थान पर समूह में पाए जाते हैं।
- ये पक्षी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित हैं।
- नर में एक अच्छी तरह से विकसित गूलर थैली होती है जो प्रदर्शन के दौरान फूल जाती है और गहरी गुंजयमान ध्वनि का उत्पादन करने में मदद करती है।
- आई.यू.सी.एन. स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय है।

नोट: इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जैसलमेर जिले के सुदसरी में स्थापित एक ऊष्मायन इकाई को मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के गाढ़ अभ्यारण्य के रूप में माना जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) में उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों के संदर्भ में भारत को विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- चीन के 37,918 दस्तावेजों और अमेरिका के 32,421 दस्तावेजों के बाद भारत 12,135 दस्तावेजों के परीक्षण के साथ तीसरे स्थान पर है।

संबंधित जानकारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत

- सूचना प्रौद्योगिकी और ए.आई. में भारत की पारंपरिक क्षमता ने उद्योग और अकादमिक क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए कहा है, यह रिपोर्ट भारत में ए.आई.-आधारित अनुसंधान की स्थिति का मानचित्रण करने का एक प्रयास था।
- भारत में ए.आई.- अंतरिक्ष में लगभग 50 से 75 प्रमुख शोधकर्ता थे और उन्हें एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया था।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ए.आई. अनुसंधान के प्रमुख केंद्रों में से थे।
- जून, 2018 में नीति अयोग ने भारत में ए.आई. की परिवर्तनकारी क्षमता पर एक चर्चा पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि देश अपनी अर्थव्यवस्था में ए.आई. को एकीकृत करके अपनी अर्थव्यवस्था में \$ 1 ट्रिलियन जोड़ सकता है।
- ए.आई. से लाभान्वित होने वाले प्रमुख संभावित क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएं, मानसून का पूर्वानुमान, खुदरा और शिक्षा हैं और क्षेत्र के संबंध में एक प्रमुख वैशिक चिंता नौकरियों के विनाश के लिए "नेतृत्व करने की संभावना नहीं" थी।

डी.डी. अपना स्वयं का ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है।

- हाल ही में, भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन इंटरनेट पर दर्शकों को सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपना स्वयं का ओ.टी.टी. (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है।
- दूरदर्शन अपना स्वयं का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी योजना बना रहा है जहां वह अपने कंटेट को प्रसारित कर सकता है जिसे पूरे विश्व में उपलब्ध कराया जा सकता है।

संबंधित जानकारी

दूरदर्शन (डी.डी.)

- यह भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के दो प्रभागों में से एक के स्वामित्व

वाला और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है।

- इसकी स्थापना 15 सितंबर, 1959 को हुई थी।
- यह डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटरों पर भी प्रसारित होता है, महानगरीय और क्षेत्रीय भारत में टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन और मोबाइल सेवा प्रदान करता है और भारतीय नेटवर्क और रेडियो भारत के माध्यम से विदेशों में प्रसारण प्रदान करता है।

अंतरिक्ष में विस्फोट होने वाले विश्व के पहले कृत्रिम उल्कापात बौछार हेतु उपग्रह

- विश्व के पहले कृत्रिम उल्कापात बौछार को अंतरिक्ष में पहुंचाने हेतु मिशन पर उपग्रह ले जाने हेतु एक रॉकेट है।
- टोक्यो आधारित एक स्टार्ट-अप ने अगले वर्ष की शुरुआत में हिरोशिमा पर आकाशीय बौछार हेतु प्रारंभिक परीक्षण के रूप में सूक्ष्म उपग्रह विकसित किया था, जिसके लिए इसे "शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड" सेवा कहा गया था।
- यह उपग्रह, छोटी गेंदों को छोड़ता है, जो वायुमंडल के माध्यम से टकराते ही तेजी से चमकने लगती हैं और एक उल्का बौछार का अनुकरण करती हैं।
- यह एक छोटे आकार के एप्सिलॉन-4 रॉकेट की यात्रा में बाधा डालता है जिसे जापान एयरोस्पेस अन्वेषण संस्था (जे.ए.एक्स.ए.) द्वारा यूचिनौरा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- यह रॉकेट, कुल सात अति-छोटे उपग्रहों को ले गया है जो विभिन्न "नवीन" प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे।

जिला खनिज निधि

- पी.एम.के.के.के.वाई. का उद्देश्य खनन कार्यों से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खनन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों हेतु राजस्व का एक हिस्सा (खनिजों से रॉयल्टी आय का 10-30 प्रतिशत) प्रयोजित किया जाता है।

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) के अंतर्गत आवंटित 23,606 करोड़ के केवल 24 प्रतिशत को वास्तविकता में खर्च किया गया है, केंद्र ने वित्तीय डायर्वर्जन अथवा लीकेज को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को जिला खनन निधि (डी.एम.एफ.) कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च बढ़ाने की सलाह दी है।

संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.)

- इसका उद्देश्य जिला खनिज संघ (डी.एम.एफ.एफ.) द्वारा उत्पन्न निधियों का उपयोग करके खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों का कल्याण करना है।
- यह योजना शासनादेश करती है कि निधि के 60% हिस्से को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला और बाल देखभाल, वृद्ध और विकलांग लोगों के कल्याण, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाए।
- जिला खनिज निधि में संचित धन का उपयोग, पी.एम.के.के.वाई. को लागू करने के लिए किया जाएगा।

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम

- इसरो ने देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक पूल को बढ़ाने के लिए "युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम" की घोषणा की है।
- इस कार्यक्रम में 29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक राज्य से कक्षा 8 पास तीन छात्रों को चुना जाएगा।
- वे इसरो में एक महीने का समय बिताएंगे, जिसके दौरान उन्हें व्याख्यान दिए जाएंगे, अनुसंधान और विकास तक पहुंच प्रदान की जाएगी और एक उपग्रह बनाने का अनुभव प्रदान किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम, नासा के स्टूडेंट आउटरीच के समान है।

अरुणाचल प्रदेश में डिफ्फो पुल का उद्घाटन किया गया है।

- रक्षा मंत्री ने निम्न दिबांग घाटी जिले में चिपु नदी पर डिफ्फो पुल का उद्घाटन किया है।
- इस पुल की लंबाई 426 मीटर है और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू किया गया था।
- यह परियोजना सीमा सङ्क संगठन द्वारा पूरी की गई है।

सीमा सङ्क संगठन (बी.आर.ओ.)

- सीमा सङ्क संगठन (बी.आर.ओ.), भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सङ्क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है।
- 7 मई, 1960 को बी.आर.ओ. का गठन किया गया था।

किन्नर अखाड़ा

- किन्नर अखाड़ा धार्मिक गतिविधियों का अनुशीलन करने वाले किन्नर संतों का एक समूह है जो प्रयागराज कुंभ में महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरकर आया है।

संबंधित जानकारी

- किन्नर, सनातन धर्म का हिस्सा रहे हैं और उन्हें धार्मिक महाकाव्यों और हिंदू पौराणिक कथाओं की पुस्तकों में सम्मानजनक दर्जा प्रदान किया गया है।
- इस अखाड़े ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किन्नरों को एक मंच प्रदान किया है।

मणिपुर में प्रस्तावित पक्षी अभ्यारण्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

- बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने की मणिपुर सरकार की योजना को निकट के क्षेत्रों के ग्रामीणों के कड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है।

चिंता

- उत्तर-पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, लोकटक झील पर प्रत्येक वर्ष हजारों प्रवासी पक्षियों के समूह आते हैं लेकिन पिछले

कुछ वर्षों में झील पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में काफी कमी हुई है।

- धनुष की शाखाओं समान सींग वाले हिरण के अवैध शिकार की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, यह हिरण पहले से ही लुप्तप्राय है।

संबंधित जानकारी

लोकटक झील

- लोकटक झील, पूर्वतर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और झील पर तैरने वाले फुमदिस (अपघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के विभिन्न चरणों में विजातीय समूह) के लिए प्रसिद्ध है।
- इस फुमदिस पर कीबुललामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह उद्यान, लुप्तप्राय संगाई (राज्य पशु) की अंतिम प्राकृतिक शरणस्थली है, जो वृद्ध हिरणों की तीन उप-प्रजातियों में से एक है।
- इसे 16 जून, 1993 को मॉन्डूएक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी सूचीबद्ध किया गया था, जो "रामसर स्थलों का एक रिकॉर्ड है, जहां पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए थे, परिवर्तन हो रहे हैं या परिवर्तन होने की संभावना है"।

19 उभयचर प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं:

जेड.एस.आई. सूची

- हाल ही में, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड.एस.आई.) पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची जारी की गई थी, जिसमें 19 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 33 प्रजातियों को लुप्तप्राय माना गया था।
- इस रिपोर्ट में 19 प्रतिशत उभयचरों को अपूर्ण जानकारी प्रजातियों की श्रेणी में और लगभग 39 प्रतिशत प्रजातियों को आई.यू.सी.एन. द्वारा मूल्यांकन न की गई श्रेणियों में रूप में दर्शाया गया है।
- यह सूची जेड.एस.आई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) के अनुसार समय-समय पर अपडेट और जारी की जाती है।

संबंधित जानकारी

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड.एस.आई.)

- इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1916 को भारत सरकार के पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राणि विज्ञान अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्र में एक मुख्य भारतीय संगठन के रूप की गई थी।
- जेड.एस.आई. (जीव विज्ञान) के साथ-साथ ए.एस.आई. (पुरातत्व), बी.एस.आई. (वनस्पति विज्ञान), एफ.एस.आई. (वन), एफआई.एस.आई. (मत्स्य पालन), जी.एस.आई. (भूविज्ञान), आई.आई.ई.ई. (पारिस्थितिकी), एन.आई.ओ. (समुद्र विज्ञान), आर.जी.सी.सी.आई. (भारत की जनगणना) और एस.आई. (मानवित्रण) भारत के प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऊर्जा पहुंच को वित्तपोषित करने हेतु एक बैंक की योजना बना रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) अरबों तक ऊर्जा पहुंच को वित्तपोषण करने हेतु विशेष रूप से एक नए बैंक को प्रस्तावित करने जा रहा है।
- यह बैंक अभी भी वैचारिक अवस्था में है।
- आई.एस.ए. ने एशियाई विकास बैंक को एक संकल्पना टिप्पणी तैयार करने के लिए कहा है।
- प्रस्तावित बैंक हेतु एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी के संदर्भ में विचार जा रहा है, जो ऊर्जा तक पहुंच से वंचित 1.2 बिलियन लोगों के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच से वंचित 2.4 बिलियन लोगों के लिए कार्य करेगी।

संबंधित जानकारी

- विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2040 में भी 600 मिलियन लोगों की ऊर्जा तक कोई पहुंच नहीं होगी।
- मौजूदा बैंक सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं- जो अभी भी वंचित हैं वे गरीबों में सबसे गरीब हैं।

- बैंक को पहले ऊर्जा पहुंच को लक्षित करना चाहिए और फिर स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारतीय परिवृश्य

- अक्षय ऊर्जा को वर्ष 2015 में बढ़ावा मिला था, जब भारत ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.)

- आई.एस.ए. एक भारतीय पहल है, जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सी.ओ.पी.-21 की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।
- गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है-

 - जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के लिए काम करना।
 - पूरे विश्व में भविष्य के सौर उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकी हेतु निधि में \$ 1 ट्रिलियन जुटाएं।
 - आई.एस.ए. का सचिवालय भारत में है, इसका सचिवालय ग्वालपहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।
 - भारत को प्रारंभिक पाँच वर्षों के लिए आई.एस.ए. सचिवालय के खर्चों को पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया है।

पी.डब्ल्यू.सी. द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था निगरानी

- लंदन आधारित बहुराष्ट्रीय व्यवसायिक सेवा नेटवर्क- प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था निगरानी रिपोर्ट जारी की गई है।
- यह एक छोटा प्रकाशन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले रुझानों और मुद्दों पर ध्यान देता है और विश्व की प्रमुख

अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके नवीनतम अनुमानों का विवरण देता है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2019 में धीमी होने का अनुमान है क्यों कि जी.7 देश लंबे समय तक औसत विकास दर पर लौट रहे हैं।
- तनाव का मुख्य ध्यान अमेरिका-चीन व्यापार बने रहने की संभावना है लेकिन इसका व्यापक व्यापार संघर्ष में बदलने का जोखिम हमेंशा बना रहता है और विभिन्न परिवृश्यों के लिए योजना के अनुसार व्यवसायों की आवश्यकता होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2019 की मुख्य विशेषताएं:-

- वर्ष 2019 में भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकलने की संभावना है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विकास और लगभग समान अवसरों के समान स्तरों के स्वामित्व के कारण यू.के. और फ्रांस के स्थान नियमित रूप से बदलते रहते हैं, लेकिन भारत की रैंकिंग स्थायी रूप से बढ़ने की संभावना है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2019 में यू.के. के लिए 1.6%, फ्रांस के लिए 1.7% और भारत के लिए 7.6% की वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि का अनुमान लगाती है।
- वर्ष 2019-20 में भारत को 7.6% की स्वस्थ विकास दर पर वापस लौटना चाहिए, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध तेल में आपूर्ति झटके अथवा विकसित व्यापारिक तनाव जैसे कोई प्रमुख अवरोध नहीं आते हैं।
- नई सरकार के पहले वर्ष में अपेक्षित जी.एस.टी. और नीतिगत प्रोत्साहन से दक्षता लाभ की प्राप्ति के माध्यम से विकास का समर्थन किया जाएगा।

ऑपरेशन कबड्डी

- पूर्व सेना कमांडरों ने पुस्तक, लाइन ऑन फाइर: संघर्ष विराम उल्लंघन और भारत-पाकिस्तान वृद्धि डायनामिक्स में इस ऑपरेशन के विवरणों का खुलासा किया है।
- सितंबर, 2001 में नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) के किनारे पाकिस्तान की कम से कम 25

- चयनित चौकियों पर कब्जा करके एल.ओ.सी. पार घुसपैठ को समाप्त करने के लिए भारतीय सेना द्वारा नियोजित सबसे बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन कुछ कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।
- ऑपरेशन कबड्डी का उद्देश्य एल.ओ.सी. के भूगोल को सामरिक बिंदुओं तक पहुंच के साथ बदलना था, जो सेना की पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की घुसपैठ से निपटने में मदद करेगा।
 - ऑपरेशन कबड्डी में "विकसित दंडात्मक ऑपरेशनों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल होगा जैसे:
 - सैन्य और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जानबूझकर अग्नि हमलों का निष्पादन करना,
 - नियंत्रण रेखा के लक्षित क्षेत्र
 - एल.ओ.सी. के दोनों ओर घात और छापे मारना

रियो डी जनेरियो को विश्व वास्तुकला राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- रियो डी जनेरियो को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं पारंपरिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा वर्ष 2020 के लिए 'विश्व वास्तुकला राजधानी' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- रियो डी जनेरियो जुलाई, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला संघ (यू.आई.ए.) के विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला संघ (यू.आई.ए.) के विश्व सम्मेलन की थीम "सभी दुनियां, सिर्फ एक दुनिया है।"

संबंधित जानकारी

विश्व वास्तुकला राजधानी

- विश्व वास्तुकला राजधानी पहल, शहरी संदर्भ में वास्तुकला विरासतों को संरक्षित करने हेतु यूनेस्को और यू.आई.ए. की सामान्य प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

- यूनेस्को, यू.आई.ए. के साथ साझेदारी समझौते के अनुसार विश्व वास्तुकला राजधानी को नामित करता है।
- विश्व वास्तुकला राजधानी, यू.आई.ए. के विश्व सम्मेलन की भी मेजबानी करता है, यह कार्यक्रम प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित किया जाता है।

मधु बाबू पेंशन योजना

- उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मधु बाबू पेंशन योजना (एम.बी.पी.वाई.) के अंतर्गत प्रति माह 200 रुपये की बढ़ोतरी की है।

संबंधित जानकारी

मधु बाबू पेंशन योजना

- उड़ीसा सरकार ने 2008 में दो पेंशन योजनाओं- वृद्धावस्था पेंशन और उड़ीसा विकलांगता योजना का विलय करके मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों और निराश्रित विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्लास्टिक अपशिष्ट को खत्म करने हेतु "प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने हेतु संधि (ए.पी.ई.डब्ल्यू.)"

- कई संगठनों ने पर्यावरण में विशेषतः जल निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने के तरीकों में सुधार करने हेतु एक नई फर्म की शुरुआत की है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने हेतु संधि (ए.पी.ई.डब्ल्यू.) क्रास वैल्यू श्रृंखला वर्तमान में लगभग 30 सदस्य कंपनियों से मिलकर बना है, इस संधि ने पर्यावरण में प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने में मदद करने हेतु अगले पांच वर्षों में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने के लक्ष्य के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता की है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रबंधन और न्यूनीकरण करने हेतु समाधानों का मापन करने हेतु वैश्विक कंपनी संधि की शुरुआत होगी और विकसित होगी और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को सक्षम

- करने हेतु मदद करके प्रयोग की गई प्लास्टिक हेतु समाधानों को बढ़ावा देगा।
- यह गठबंधन एक गैर-लाभकारी संगठन है जिनमें प्लास्टिक बनाने, उपयोग करने, बेचने, संसाधित करने, एकत्र करने और रीसायकल करने वाली कंपनियां शामिल हैं।
- इसमें रासायनिक और प्लास्टिक निर्माता, उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां, खुदरा विक्रेता, कन्वर्टर्स और अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियां शामिल हैं, इसे प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है।
- यह गठबंधन, विश्व सतत विकास व्यापार परिषद के साथ एक संस्थापक रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रहा है।

स्टेपल में विविधता लाने हेतु अफ्रीका और एशिया एक वैश्विक पहल का नेतृत्व करने के लिए एक साथ आए हैं।

- सबसे पहले, प्रमुख खाद्य स्टेपलों में विविधता लाने हेतु अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़े कृषि संघों ने 13 जनवरी, 2019 को हैदराबाद में एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- शामिल संघ निम्न हैं:
 - एशिया प्रशांत कृषि अनुसंधान संस्थान संघ (ए.पी.ए.ए.आर.आई.),
 - अफ्रीका में कृषि अनुसंधान फोरम (एफ.ए.आर.ए.),
 - पश्चिम और मध्य अफ्रीकी कृषि अनुसंधान एवं विकास परिषद (सी.ओ.आर.ए.एफ.),
 - खाद्य कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन नीति विश्लेषण नेटवर्क (एफ.ए.एन.आर.पी.ए.एन.), और
 - अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आई.एस.ए.टी.), स्मार्ट खाद्य कार्यान्वयन परिषद के गठन हेतु एक साथ आए हैं।

स्मार्ट खाद्य कार्यकारी परिषद

- यह वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए स्मार्ट खाद्य पहलों के तत्वावधान में बनाया गया है और यह

भोजन की आवश्यकता के संदर्भ में रणनीतिक सोच से उपजा है जो उपभोक्ता के लिए अच्छा होने, यह के लिए अच्छा और किसान के लिए अच्छा होने के मानदंडों को पूरा करता है।

- यह एस.डी.जी. के लिए योगदान देगा:

 - गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने हेतु (एस.डी.जी. 1 और 2),
 - जिम्मेदार खपत और उत्पादन (एस.डी.जी. 12) के साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन (लक्ष्य 13)
 - लिए गए दृष्टिकोण में लैंगिक समानता (एस.डी.जी. 5) और भागीदारी के माध्यम से कार्रवाई (एस.डी.जी. 17) शामिल होगी।
 - यह नई साझेदारी एशिया और अफ्रीका के बीच सहयोग को मजबूत करती है और उपभोक्ताओं से लेकर प्रक्रमक तक, खानसामे के माध्यम से किसानों, शोधकर्ताओं और अन्य तक मूल्य श्रृंखला के साथ किसी भी बिंदु पर सेनाओं में शामिल होने के अवसरों को उपलब्ध करा सकती है।

अरुणाचल सरकार ने पक्के हॉर्नबिल उत्सव को 'राज्य उत्सव' के रूप में घोषित किया है।

- पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव (पी.पी.एच.एफ.), अरुणाचल प्रदेश का एक मात्र संरक्षण त्योहार है।
- पी.पी.एच.एफ. महोत्सव पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था, इस महोत्सव को पक्के बाघ रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण में निवासी न्यौशी जनजाति द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है।

ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल

- यह मुख्य रूप से फल खाने वाला पक्षी है लेकिन यह एक अवसरवादी पक्षी भी है और छोटे स्तनधारियों, सरीसृप और पक्षियों का शिकार करता है।
- आई.यू.सी.एन. स्थिति: लुप्तप्राय (वर्ष 2018 में खतरे के निकट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।

- यह साइट्स के अनुबंध I में भी सूचीबद्ध हैं।

लिंफ के फाइलरिया के लिए ट्रिपल-ड्रग थेरेपी

- महाराष्ट्र, तेजी से इस बीमारी को खत्म करने हेतु लिंफ के फाइलरिया के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा सिफारिश की गई ट्रिपल-ड्रग थेरेपी को शुरू करने के लिए तैयार है।
- यह एक पायलट परियोजना है जिसे नागपुर में शुरू किया गया है।
- नागपुर देश के पांच जिलों में से एक और महाराष्ट्र का एक मात्र जिला है जहाँ यह ट्रिपल-ड्रग थेरेपी अभियान शुरू किया जा रहा है।

ट्रिपल ड्रग थेरेपी

- डब्ल्यू.एच.ओ., लिंफ के फाइलरिया के वैश्विक उन्मूल को गति प्रदान करने हेतु ट्रिपल ड्रग ट्रीटमेंट की सिफारिश कर रहा है।
- आई.डी.ए. के नाम से ज्ञात उपचार में इवरमेक्टिन, डाइएथिलकार्बमैजाइन और अलबैंडाजोल का संयोजन शामिल है।
- इसे सेटिंग्स में प्रतिवर्ष प्रदान करने की सिफारिश की जा रही है जहाँ इसके उपयोग का सबसे अधिक प्रभाव होने की उम्मीद है।
- इस उपचार में प्रयोग की जाने वाली तीसरी दवा लिंफ के फाइलरिया के वयस्क कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद करेगी।
- सूक्ष्म फाइलरिया, जो वयस्क कीड़ों द्वारा उत्पन्न होती है, यह पैर सूजने का कारण है।

संबंधित जानकारी

लिंफ का फाइलरिया (फ़ीलपॉव)

- यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, यह संक्रमण तब होता है जब मच्छरों के माध्यम से फाइलरिया परजीवी मनुष्यों में स्थानांतरित हो जाते हैं।
- यह संक्रमण सामान्यतः बचपन में होता है, जो लसीका तंत्र को अज्ञात क्षति पहुँचाता है।
- यह परजीवी, मुख्य चार प्रकार के मच्छरों: क्यूलेक्स, मैनसनिया, एनोफिलिस और एडीज द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं।

नोट: भारत ने वर्ष 2015 और 2017 तक इस बीमारी के उन्मूलन हेतु पहले की समय सीमा को खो दिया है। वैश्विक समय सीमा अब वर्ष 2020 है और इस लक्ष्य को हासिल करने में तीन-दवा घटिकोण देश की मदद कर सकता है।

परियोजना रीवीव

- रीवीव परियोजना, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म “री-वेव डॉट इन” है जिसे वर्ष 2016 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हैंडलूम बुनकरों की सहायता करने हेतु लांच किया गया था।
- यह शिल्पकारों की प्रत्यक्ष रूप से क्रेताओं से जुड़ने में मदद कर उन्हें नए ग्राहकों और बाजारों का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।
- यह बुनकर समुदायों द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर संग्रह को प्रदर्शित करने, प्राकृतिक रंगों से बनाए गए पारंपरिक डिजाइनों और उत्पादों को ग्राहकों के व्यापक समूह को दर्शाने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- यह बुनकरों की उनकी आय को बढ़ाने और एक स्थायी आजीविका कमाने में मदद करता है, इसके अतिरिक्त यह भूती जा चुकी पारंपरिक भारतीय कला को पुनर्जीवित करता है।
- इस पहल के अंतर्गत, स्थायी आजीविका के साथ बुनकर परिवारों की उनकी शिल्प परंपरा को जीवित रखने में मदद करने हेतु ढांचा, वित्तपोषण और विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, चैतन्य भारती नामक एन.जी.ओ. साझेदार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत मासिक पेंशन में निम्नलिखित बदलाव लाने का प्रस्ताव दिया है:
 - बुजुर्ग गरीब, विकलांग और विधवा पेंशनों को मौजूदा 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया जाना चाहिए।

2. 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मौजूदा पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए महीना किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी:-

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
- यह संविधान के अनुच्छेद 41 में डी.पी.एस.पी. की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है और अनुपयुक्त इच्छा के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- वर्तमान में एन.एस.ए.पी. में पाँच योजनाओं से मिलकर बना हैं, अर्थात्:
 - (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)।
 - (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.)।
 - (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)।
 - (iv) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.)।
 - (v) अन्नपूर्णा

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने अपनी द्विवार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2018 का एक अपडेट जारी किया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में भारत की जी.डी.पी. बढ़कर क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- दोनों वर्षों में चीन की वृद्धि दर 6.2% अनुमानित की गई है।
- वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्रमशः 3.5% और 3.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी:-

- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित और प्रकाशित एक सर्वेक्षण है।
- यह द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और आंशिक रूप से वर्ष में दो बार अपडेट किया जाता है।
- डब्ल्यू.ई.ओ. के पूर्वानुमानों में जी.डी.पी., मुद्रास्फीति, चालू खाता और पूरे विश्व के देशों के राजकोषीय भुगतान जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक शामिल होते हैं।
- यह प्रमुख आर्थिक नीति मुद्दों से भी संबंधित है।

ऑक्सफैम वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट 2019

- ऑक्सफैम द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह है।
- इस रिपोर्ट का जारी होना स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की शुरुआत को चिन्हित करता है।
- रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं:
 1. 26 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इतनी संपत्ति है जो कि विश्व के आधे सबसे गरीब भाग को बनाने वाले 3.8 बिलियन लोगों के पास है।
 2. अत यथिक धनी धनी लोगों की संपत्ति में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि विश्व की जनसंख्या के सबसे गरीब आधे भाग की संपत्ति में 11 प्रतिशत की कमी हुई है।
 3. इन दोनों वर्गों के मध्य बढ़ता हुआ अंतर, गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मार्ग में बाधक है।
- इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 1% के संपत्ति कर से एक वर्ष में \$ 418 बिलियन (£ 325 बिलियन) की वृद्धि होने का अनुमान है।
- यह प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में शिक्षित करने के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा जो 3 मिलियन लोगों की जान बचाएंगी।

भारत के संदर्भ में तथ्य:-

- भारत के सबसे अमीर शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों 39 प्रतिशत अमीर हो गए हैं जब कि इसकी तुला में जनसंख्या आधे निचले स्तर के लागे की संपत्ति में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 6 करोड़ भारतीय, जो देश का सबसे गरीब 10 प्रतिशत का निर्माण करते हैं वे वर्ष 2004 से निरंतर कर्ज में बने हुए हैं।
- भारत में सबसे अमीर आबादी का शीर्ष 10% के पास, कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77.4% है।
- भारत सहित कई देशों में एक सभ्य शिक्षा अथवा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता बन गई है जो केवल अमीर ही वहन कर सकते हैं।
- भारत में गरीब परिवारों के बच्चे की अपने पहले जन्मदिन के पूर्व मरने की संभावना, अमीर परिवार के बच्चे की तुलना में तीन गुना अधिक होती है।
- इस रिपोर्ट में गणना और अंतरवेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नवीनतम व्यापक डेटा स्रोतों के आंकड़ों पर आधारित थे, जिनमें क्रेडिट सुइस वेल्थ डेटाबुक और वार्षिक फोर्ब्स बिलियनेयर्स शामिल हैं।

सी विजिल 2019

- यह इस प्रकार का पहला युद्धाभ्यास है जिसे भारत की संपूर्ण तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) के किनारे आयोजित किया जाएगा।
- तटरक्षकों और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल में नौसेना तट के किनारे दो दिवसीय रक्षा युद्धाभ्यास करेगी।
- इस युद्धाभ्यास को "समुद्री निगरानी (सी विजिल) 2019" के नाम से कोडित किया गया है और इतने बड़े पैमाने पर यह पहला युद्धाभ्यास है।
- इसमें सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और समुद्री हितधारक शामिल होंगे जिनमें मछुआरे और तटीय समुदाय शामिल होंगे।
- यह युद्धाभ्यास प्रमुख थिएटर स्तारीय तत्परता एवं कार्यान्वन युद्धाभ्यास (ट्रॉफेक्स) की दिशा

- में निर्माण कार्य है, जिसे भारतीय नौसेना प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित करती है।
- समुद्री निगरानी और ट्रॉफेक्स एक साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा के संपूर्ण मुद्दों को हल करेंगे जिसमें शांति से संघर्ष का हस्तांतरण शामिल है।

बिहार ने वर्ष 2017-18 में राज्य जी.डी.पी. में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है।

- क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार और आंध्र प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की 6.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में क्रमशः 11.3% और 11.2% की वृद्धि के साथ जी.डी.पी. वृद्धि के मामले में राज्यों का नेतृत्व किया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:-

- रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य श्रेणी के 17 में से 12 राज्यों ने राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में तेजी से वृद्धि की है।
- यह वृद्धि समान नहीं थी, पिछले पांच वर्षों में निम्न आय और उच्च आय वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अंतर में व्यापक वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2018 में:
 1. हमारे विश्लेषण में गैर-विशेष राज्य माने जाने वाले 17 राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वृद्धि के पदों में शीर्ष रैंक वाले राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात थे।
 2. इस श्रेणी में झारखंड, केरल और पंजाब सबसे नीचे थे।
- विश्लेषण में जात हुआ है कि वित्त वर्ष 2012-13 और 2016-17 के मध्य गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक औसत रूप से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्य थे।
- पिछले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार सबसे निचले स्थान पर थे।
- गुजरात और कर्नाटक में, विनिर्माण मुख्य कारक था जब कि मध्य प्रदेश में कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने विकास को औसत गति प्रदान की थी।

- राजकोषीय मोर्चे पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) की सबसे बड़ी कमी उनके वित्तीय घाटे को उनके सापेक्षिक राज्य जी.डी.पी. के 3% पर बनाए रखने की है।
- राजस्थान, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश पिछले तीन वर्षों में राज्य खर्च में कैपेक्स के समानुपात में शीर्ष पर रहे हैं।
- राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे ने वित्त वर्ष 2016 और 2017 दोनों में जी.एस.डी.पी. की देहली सीमा 3% को पार किया है।
- यह वित्त वर्ष 2018 में सुधरकर 3.1% हो गई लेकिन यह एफ.आर.बी.एम. सीमा से अधिक थी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) 2003

- यह भारत की संसद का एक अधिनियम है।

 - वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना,
 - भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना,
 - वृहद आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना और
 - एक संतुलित बजट बनाकर और राजकोषीय विवेक को मजबूत करके सार्वजनिक निधियों का समग्र प्रबंधन करना

- इसका मुख्य उद्देश्य देश के राजस्व घाटे को खत्म करना और मार्च, 2008 तक राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. की सीमांत 3% तक लाना था।
- हालांकि, वर्ष 2007 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण, अधिनियम में लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को शुरू में स्थगित कर दिया गया था और बाद में विभिन्न कारणों से कई बार निलंबित किया गया था।
- बजट 2018-19 ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में फिर से संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसने मार्च, 2021 के अंत तक 3% राजकोषीय घाटे-जी.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को स्थानांतरित कर दिया था।

मंत्रिमंडल ने "जी.एस.टी.ए.टी." की राष्ट्रीय पीठ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जी.एस.टी.ए.टी.) की राष्ट्रीय पीठ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ की स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी।
- जी.एस.टी.ए.टी. की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसमें एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।

संबंधित जानकारी

जी.एस.टी.ए.टी.

- यह जी.एस.टी. कानूनों में दूसरी अपील का रूप है और केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों के निपटान हेतु पहला सामान्य मंच है।
- केंद्र एवं राज्य जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए पहली अपील में आदेश के खिलाफ अपीलों को जी.एस.टी. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया है, जो केंद्रीय और राज्य जी.एस.टी. अधिनियमों के अंतर्गत एकसमान है।
- एक सामान्य मंच होने के रूप में जी.एस.टी. अपीलीय न्यायाधिकरण, जी.एस.टी. के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान में और इस प्रकार, पूरे देश में जी.एस.टी. के कार्यान्वयन में एकरूपता को सुनिश्चित करेगा।
- सी.जी.एस.टी. अधिनियम का अध्याय XVIII, जी.एस.टी. शासन के अंतर्गत विवादों के निपटान हेतु अपील और समीक्षा तंत्र प्रदान करता है। सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत इस अध्याय की धारा 109 केंद्र सरकार को परिषद की सिफारिश के आधार पर गठन करने का अधिकार प्रदान करती है।

ई-नाम पोर्टल

- हाल ही में, ई-नाम पर पहला अंतर्राज्यीय व्यापार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य तेलंगाना

राज्य में गढ़वाल मंडी और किसानों के मध्य किया गया है।

संबंधित जानकारी

ई-नाम

- कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने हेतु वास्तविक मंच के माध्यम से मौजूदा भौतिक विनियमित थोक बाजार (ए.पी.एम.सी. बाजार के रूप में जाना जाता है) को नेटवर्क करने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है।
- यह पोर्टल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है।

उद्देश्य

- ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना।
- यह दक्षता को बढ़ाने और कतार में लगने के समय को कम करने के लिए केंद्रीय किसान डेटाबेस को एकीकृत करता है।
- यह व्यापारियों की संख्या और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह ओपेन प्राइस डिस्कवरी और किसानों के बेहतर रिटर्न को भी सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय बेटी दिवस

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बेटी दिवस (एन.जी.सी.डी.) मनाएगा।
- यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना की वर्षगांठ का भी निरीक्षण करेगा।
- एन.जी.सी.डी. की थीम "एक उज्ज्वल कल हेतु बेटियों का सशक्तीकरण" है।

उद्देश्य

- घटते हुए बाल लिंगानुपात (सी.एस.आर.) के मुद्दे के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना
- बेटियों को सम्मान देने हेतु उनके चारों-ओर सकारात्मक वातावरण बनाएं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का त्रि-मंत्रालयीय प्रयास है।
- बी.बी.बी.पी. योजना, जिला स्तर घटक के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है और योजना के सुचारू संचालन हेतु निधि प्रत्यक्ष रूप से डी.सी./ डी.एम. के खाते में भेजी जाती है।

रोशनी: इष्टिबाधित लोगों की मदद करने हेतु एक एप्लीकेशन है।

- इष्टिबाधित लोगों की आसानी से मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का निर्धारण करने में मदद करने हेतु पंजाब के रोपड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इमेज प्रोसेसिंग और वैश्वलेषिकी का उपयोग करके "रोशनी" नामक एक ऐप विकसित किया है।

यह ऐप कैसे काम करता है?

- यह ऐप, एक अनुकूलनीय गहन शिक्षण ढांचे का उपयोग करता है जो आगे चलकर मुद्रा मूल्य वर्गों को निर्धारित करने और उनमें अंतर करने हेतु नोटों पर अंतरित प्रारूप और विशेषताओं का उपयोग करता है।
- आई.पी.एस.ए. में (इमेज प्रोसेसिंग, सुरक्षा एवं वैश्वलेषिकी) में भिन्न वास्तविक दुनिया की स्थितियों के अंतर्गत मुद्रा नोटों की 13, 000 से अधिक इमेजों का एक समृद्ध डेटासेट है।
- उपयोगकर्ता को फोन कैमरे के सामने करेसी नोट लाना है और ऐप, उपयोगकर्ता को मुद्रा नोट मूल्यवर्ग को सूचित करते हुए ऑडियो अधिसूचना प्रदान करेगा।

प्रवासी भारतीय दिवस

- 15वां प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी.) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किया गया था।

- इसकी थीम "एक नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासी की भूमिका" थी।
- इसे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) द्वारा आयोजित किया गया था।

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी.), प्रत्येक दो वर्षों में एक बार विदेशी भारतीय समुदायों के भारत सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने और उन्हें उनकी जड़ों से पुनः जोड़ने हेतु मनाया जाता है।
- यह 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने हेतु मनाया जाता है। लेकिन इस बार आयोजन में शामिल होने वाले मेहमानों को प्रयागराज में 'कुंभ मेले' में भाग लेने और गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने हेतु इस आयोजन को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।
- इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्यों कि उस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
- इस कार्यक्रम के दौरान, असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियों को भारत के विकास में उनकी भूमिका की सराहना करने हेतु उन्हें प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

दीनदयाल हस्तकला संकुल

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है।
- यह हस्तशिल्प के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र है।
- इस संकुल में शिल्प संग्रहालय, वाराणसी के पारंपरिक हथकरघा/ हस्तशिल्प उत्पादों का संरक्षण करेगा।

- इसका उद्देश्य हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में बुनकरों, शिल्पकारों और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करना है।

संबंधित जानकारी

- वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित और संवर्धित करने हेतु एक व्यापार सुविधा केंद्र और एक शिल्प संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी।

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र शीघ्र ही गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना की शुरूआत करेगा।

उद्देश्य:

- इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के लगभग 1100 टी.एम.सी. फीट पानी का सार्थक उपयोग करना है जो कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है।
- इस परियोजना में गोदावरी नदी से पानी तमिलनाडु के अंत तक लिया जाएगा।
- सरकार का उद्देश्य परियोजना के लिए या तो विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक से वित्त जुटाने का है।
- सरकार का उद्देश्य कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तटवर्ती राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी द्वारा सामना की जा रही पानी की कमी की समस्या और इसके परिणामस्वरूप उनके मध्य जल विवाद का निपटारा करना है।
- यह परियोजना नहरों के बजाय गोदावरी और कावेरी को जोड़ने के लिए एक विशेष उपचार के साथ कम मोटाई वाले स्टील पाइप का उपयोग करेगी क्यों कि वाष्पीकरण के नुकसान के कारण पानी की कमी होती है।

- कम मोटाई वाले स्टील पाइप के उपयोग से परियोजना लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

नदी इंटर-लिंकिंग परियोजना

- भारतीय नदियों को इंटर-लिंक करना एक प्रस्तावित बड़े पैमाने की सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के नेटवर्क से जोड़ना है और कुछ हिस्सों में निरंतर बाढ़ को कम करना और भारत के अन्य हिस्सों में पानी की कमी को समाप्त करना है।
- इंटर-लिंक परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है
 - (a) उत्तरी हिमालयी नदियां अंतर-लिंक घटक
 - (b) दक्षिणी प्रायद्वीपीय घटक और वर्ष 2005 से शुरू
 - (c) राज्यान्तरिक नदी लिंक घटक
- इस परियोजना का प्रबंधन जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।
- एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने हिमालयी घटक के लिए 14 इंटर-लिंक परियोजनाओं, प्रायद्वीपीय घटक के लिए 16 इंटर-लिंक परियोजनाओं और 37 राज्यान्तरिक नदी लिंकिंग परियोजनाओं पर अध्ययन और रिपोर्ट तैयार की है।
- केन-बेतवा को पहली नदी इंटर-लिंकिंग परियोजना के रूप में माना जाता है, जो लगभग 15 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचित करने में मदद करेगी।

केंद्रीय पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी तंत्र पर अनियोजित विकास के प्रभाव पर अध्ययन

- भारतीय अनुसंधान टीम ने केंद्रीय पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर अनियोजित विकास के संभावित प्रभावों की जांच करने हेतु एक अध्ययन किया है।

- यह अध्ययन, काली नदी पर केंद्रित है जिसका कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ ज़िले में उद्गम होता है और यह अरब सागर में मिलती है।
- इस नदी में छह प्रमुख बांध, वनस्पतियों की 325 प्रजातियाँ और जीव-जंतुओं की 190 प्रजातियाँ हैं और यह नदी पश्चिमी घाटों जितनी पुरानी है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- भारत में पश्चिमी घाटों के मध्य क्षेत्र में अनियोजित विकासात्मक गतिविधियाँ और भूमि उपयोग प्रारूप, सदाबहार वनों के क्षेत्रों और चिरस्थायी नदियों को कम कर रहे हैं।
- रिमोट सेंसिंग डेटा का अध्ययन करके शोधकर्ताओं ने पाया है कि वर्ष 1973 और वर्ष 2016 के मध्य वन क्षेत्र 85% से घटकर 55% हो गया है।
- वर्ष 1980-2000 के दौरान काली नदी पर बांध का निर्माण, कैगा परमाणु संयंत्र और डंडेली पेपर मिल जैसी विकासात्मक परियोजनाओं के कारण इस क्षेत्र में भूमि उपयोग का प्रारूप बदल गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है।
- जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1980-2000 की अवधि के दौरान सदाबहार वन 62% से घटकर 38.5% तक हो गए हैं और वन क्षेत्र की कीमतों से बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया है।
- इस अध्ययन में यह उद्धरित किया गया है कि चिरस्थायी नदियों उनक्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर 70% से अधिक वन क्षेत्र होता है जो भूमि उपयोगके साथ पारिस्थितिकी और जल विज्ञान को जोड़ता है।

आई.एन.एस. कोहासा- अंडमान में पक्षियों का नया घोसला है।

- नौसेना वायु स्टेशन शिबपुर को आई.एन.एस. कोहासा के रूप में साधिकार किया गया था।

- नीति आयोग द्वारा एन.ए.एस. शिबपुर की पहचान समग्र द्वीप विकास के हिस्से के रूप में 'प्रारंभिक पक्षी' परियोजना के रूप में की गई थी।
- आई.एन.एस. कोहासा का नाम एक सफेद-पेट वाले समुद्री चील के नाम पर रखा गया है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थानिक शिकारी पक्षी है।

संबंधित जानकारी

नौसेना वायु स्टेशन शिबपुर

- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में उत्तरी अंडमान में निगरानी बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयर बेस (एफ.ओ.ए.बी.) के रूप में की गई थी।
- कोको द्वीपों (म्यांमार) की अति निकटता और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) का व्यापक विस्तार, इस बेस को बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है।

बी.आई.एस. ने आई.ए.एफ. के सहयोग से जैव-जेट ईंधन के लिए नए मानक जारी किए हैं।

- सभी सैन्य और नागरिक विमानों में जैव-जेट ईंधन का उपयोग करने के लिए बी.आई.एस. ने आई.ए.एफ., अनुसंधान संगठनों और उद्योग के सहयोग से विमानन टरबाइन ईंधन के लिए एक नए मानक पेश किए हैं।
- ये विशिष्टताएं, भारतीय मानकों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करेंगी।

संबंधित जानकारी

जैव-जेट ईंधन का उपयोग करने के महत्व

- जैव-जेट ईंधन ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) उदासीन, कार्बन उदासीन है जो वायु प्रदूषण को कम करता है।
- जैव जेट ईंधन का उपयोग, ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) के उत्सर्जन को लगभग 15% तक कम करने और सल्फर ऑक्साइड (SOx) के उत्सर्जन को 99% से अधिक तक कम करने में मदद करेगा।
- इससे स्वदेशी जेट ईंधन आपूर्ति सुरक्षा प्रदान करने की आशा है।

- इसके उपयोग से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और यह एयरलाइन ऑपरेटरों की रखरखाव लागत को भी कम करता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)

- यह भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय है जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संरक्षण के अंतर्गत काम करता है।
- इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह भारत के लिए डब्ल्यू.टी.ओ.-टी.बी.टी. (व्यापार की तकनीकी बाधाएं) पूछताछ केंद्र के रूप में भी काम करता है।

एल.आर.एस.ए.एम. का सफल उड़ान परीक्षण

- कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अपनी ओर आने वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एल.आर.एस.ए.एम.) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

संबंधित जानकारी

लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एल.आर.एस.ए.एम.)

- सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान (एम.पी.ए.), हेलीकॉप्टर और सी-स्किमिंग मिसाइल जैसे सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को रोकने के लिए गहरे पानी और जमीन में प्रवेश करने हेतु इसमें लंबी दूरी की व्यवस्थापन क्षमता है।
- यह नई पीढ़ी की एंटी-शिप मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है।
- भारतीय नौसेना ने अपने सभी नौसैनिक जहाजों जैसे- आई.एन.एस. कोलकाता, आई.एन.एस. कोचिच्च और आई.एन.एस. चेन्नई को वायु और मिसाइल सुरक्षा हेतु बराक 8 एल.आर.ए.एम. के साथ निर्देशित मिसाइल विनाशक से सुरक्षित करने का निर्णय लिया है।

- बराक 8 एल.आर.एस.ए.एम. को डी.आर.डी.ओ. और आई.ए.आई. द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इज़राइल, इसे जहाज से लांच करने जा रहा है।
- यह लक्ष्य अवरोधन सीमा में उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता रखता है।
- 70 कि.मी. (जिसे बढ़ाकर 100 कि.मी. कर दिया गया है) की अधिकतम संचालन सीमा के साथ इसकी अधिकतम गति 2 माच है।

18 भारतीय संस्थान, नाइट्रोजन प्रदूषण पर अध्ययन करेंगे।

- दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब (एस.ए.एन.एच.) नामक 50 संस्थानों के समूह में भारत के 18 अनुसंधान संस्थानों को नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु यू.के. सरकार द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय मूल्यांकन के लिए चुना गया है।

संबंधित जानकारी

ग्रीनहाउस प्रभाव में नाइट्रोजन किस प्रकार मदद करती है?

- वायुमंडल में नाइट्रोजन, एक प्रमुख गैस है, यह निष्क्रिय गैस है और अभिक्रिया नहीं करती है।
- हालांकि, जब इसे कृषि, सीवर और जैविक कचरे से यौगिकों के हिस्से के रूप में प्राप्त किया जाता है तो नाइट्रोजन को "अभिक्रियाशील" माना जाता है और यह प्रदूषणकारी भी हो सकती है और यहां तक कि यह एक प्रबल ग्रीनहाउस (ऊष्मा ट्रैपिंग) प्रभाव भी डाल सकती है।
- नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली होती है लेकिन यह वायुमंडल में कार्बन डाइ ऑक्साइड के जितनी प्रसारित नहीं है।
- वायु प्रदूषण के अतिरिक्त नाइट्रोजन को जैव विविधता के नुकसान, नदियों और समुद्रों के प्रदूषण, ओजोन क्षरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आजीविका से भी जोड़ा जाता है।
- नाइट्रोजन प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों, पशुधन खाद और ज्वलंत जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन के कारण होता है।

- अमोनिया (NH3) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) जैसी गैसें निम्न वायु गुणवत्ता में योगदान देती हैं और श्वसन एवं हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों असामयिक मृत्यु होती हैं।
- रासायनिक उर्वरकों, खाद और उद्योगों से निकले हुए नाइट्रेट, नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करते हैं और मनुष्यों, मछलियों, प्रवाल और पौधों के जीवन के प्रति स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर स्वायत्त परिषदों को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

- मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची के लैंडमार्क संशोधन को मंजूरी प्रदान की है।
- यह संशोधन पूर्वोत्तर की छठी अनुसूची क्षेत्रों में 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में महत्वपूर्ण सुधार करेगा।
- केंद्र के अनुसार, यह संशोधन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाली लगभग 1 करोड़ जनजातीय आबादी को प्रभावित करेगा।

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं

- प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, छठी अनुसूची के क्षेत्रों असम, मिजोरम और त्रिपुरा के गाँवों और नगरपालिका परिषदों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- यह संशोधन सार्वजनिक कार्य, वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास और असम में करबी अंगलांग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के खाद्य और नागरिक आपूर्ति जैसे 30 अतिरिक्त विषयों के हस्तांतरण का अधिकार भी प्रदान करता है।
- वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग को अनिवार्य बनाने के लिए अनुच्छेद 280 में संशोधन किया गया है। यह स्वायत्त जिलों परिषदों के वित्तीय संसाधनों और शक्तियों में महत्वपूर्ण सुधार करेगा।

- कुछ मौजूदा स्वायत्त परिषदों को नाम बदला जाएगा क्यों कि इन परिषदों के वर्तमान क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिलों में फैले हुए हैं।
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित संशोधन निर्वाचित गांवों, नगरपालिका परिषदों को प्रदान किए जाएंगे।
- इन गांवों और नगरपालिका परिषदों के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसमें दलबदल विरोधी का भी प्रावधान होगा।
- सभी स्वायत्त परिषदों में कम से कम दो नामित सदस्य महिलाएं होंगी।

छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची देश के चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- राज्यपाल को क्षेत्रों को बढ़ाने अथवा घटाने का और स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है।
- जबकि 5 वीं अनुसूची में संघ की कार्यकारी शक्तिया उनके प्रशासन के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित हैं, 6वीं अनुसूची क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत हैं।
- संसद अथवा विधानसभा के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं अथवा इन्हें निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू किया जाता है।
- परिषदों को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियों के साथ संपन्न किया गया है, उदाहरण के लिए ग्राम न्यायालय आदि की स्थापना करना। हालांकि, इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

वैशिक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक-2019

- भारत ने वैशिक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक-2019 में 80वीं रैंक प्राप्त की है।

संबंधित जानकारी

वैशिक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक

- यह सूचकांक प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु देशों की क्षमता को मापने में मदद करता है।
- यह सूचकांक टाटा कम्प्यूनिकेशन और एडेको समूह के साथ साझेदारी में इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक की थीम "उद्यमी प्रतिभा और वैशिक प्रतिस्पर्धा" है।
- यह सूचकांक ईज ऑफ हायरिंग, लिंग आय में अंतर और फर्मों में प्रशिक्षण की व्यापकता जैसे मुद्दों पर विचार करता है।

भारत के संदर्भ में जानकारी:

- भारत की सबसे बड़ी चुनौती प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की अपनी क्षमता में सुधार करना है।
- भारत को कमजोर लैंगिक समानता और अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों के प्रति निम्न सहिष्णुता के संबंध में विशिष्ट क्षेत्रों में आंतरिक स्पष्टता के निम्न स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है।

भारतीय अफ्रीका क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास (आई.ए.एफ.टी.एक्स.) 2019

- भारतीय अफ्रीका क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास (आई.ए.एफ.टी.एक्स.) 2019 का पुणे में आयोजन किया गया था।

संबंधित जानकारी

आई.ए.एफ.टी.एक्स.

- यह एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों और भारत के मध्य एक संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है।
- आई.ए.एफ.टी.एक्स.-2019, अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य देशों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इससे देशों के मध्य पहले से ही मजबूत रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना

- प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की शुरूआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत, वर्तमान में विभिन्न देशों में मौजूद भारतीय मूल के समूह को वर्ष में दो

बार भारत के सभी धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा।

योजना हेतु पात्रता मानदंड

- व्यक्ति को भारतीय मूल का होना चाहिए और उसकी आयु 45 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- समूह को इन देशों में चयनित किया जाएगा, "गिरमितिया देश" जैसे- मॉरीशस, फिजी, सूरीनेम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और जमैका के लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी।
- भारत में सभी प्रमुख धर्मों के धार्मिक स्थलों को योजना में शामिल किया गया है और सरकार उनके निवास करने वाले देश से हवाई यात्रा सहित सभी खर्चों को वहन करेगी।

विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 'कलामसैट-वी 2'

- वर्ष 2019 के अपने पहले मिशन में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छात्रों के उपग्रह कलामसैट और एक इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट-आर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।
- यह इसरो के वर्कहॉर्स पी.एस.एल.वी. की 46वीं उड़ान है।

कलामसैट

- यह एक पेलोड है, जिसे पहली बार छात्रों और चेन्नई आधारित स्पेस किड्ज इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।
- माइक्रोसैट-आर उपग्रह, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के उद्देश्यों के लिए है।
- कलामसैट, पहला उपग्रह है जो रॉकेट के चौथे चरण को कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करता है।
- इसरो ने पहली बार पी.एस.एल.वी. सी. 44 के लॉन्च के चौथे चरण में एल्यूमीनियम टैंक का उपयोग कर रहा है। इसका प्रयोग वजन को कम करने के लिए और ठोस और तरल ईंधन के विकल्प के साथ चार-चरणीय इंजन एक्सपैडेबल रॉकेट में द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए किया गया है।

संबंधित जानकारी

- 29 नवंबर, 2018 को अपने अंतिम मिशन में इसरो ने भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हिसिस को पी.एस.एल.वी. सी.43 के द्वारा को अपनी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया था।

उड़ीसा के सतकोसिया बाघ रिजर्व में गश्त करने हेतु जंबोस की तैनाती की जाएगी।

- सतकोसिया बाघ रिजर्व में गश्ती को मजबूत करने हेतु यहां पर शीघ्र ही दो प्रशिक्षित हाथियों को तैनात किया जाएगा।
- इन दोनों हाथियों को सिमिलिपाल बाघ रिजर्व से लाया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

सतकोसिया बाघ रिजर्व

- यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है।
- यह अभ्यारण्य उस स्थान पर स्थित है जहां महानदी नदी, पूर्वी घाट के पहाड़ों में 22 कि.मी. लंबे पर्वतों के बीच के संकुचित मार्ग से गुजरती है।
- यह बाघ अभ्यारण्य, पूर्वी पहाड़ी इलाकों में नम पर्णपाती वनों के पारिस्थिक क्षेत्रों में स्थित है।
- सतकोसिया बाघ रिजर्व को वर्ष 2007 में नामित किया गया था और यह सतकोसिया कण्ठ वन्यजीव अभ्यारण्य और बगल में स्थित बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य से मिलकर बना है।

रक्षा मंत्रालय ने "आर.डी.पी. इंडिया 2019" लांच किया है।

- रक्षा मंत्रालय ने सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के साथ एक नई पहल के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मोबाइल ऐप 'आर.डी.पी. इंडिया 2019' लॉन्च किया है।
- यह न केवल राजपथ पर उपस्थित दर्शकों के लिए बल्कि पूरे विश्व की आम जनता के लिए भी गणतंत्र दिवस के आयोजन के मुख्य आकर्षणों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूर्ण करने में मदद करता है।

- इस ऐप में राजपथ, नई दिल्ली में परेड के बारे में जानकारी के साथ ही परेड के आदेश, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत झांकियों का विवरण, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतीत की उड़ान और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ताओं के नाम शामिल हैं।
- यह परेड के साक्षी बने दर्शकों के लिए अत्यंत सूचनात्मक था और इसे व्यापक रूप से सराहा गया था।
- इस ऐप में परेड की लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा थी।

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को गौरान्वित किया था।

- भारत के राष्ट्रपति ने 25 जनवरी को नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को गौरान्वित और संबोधित किया था।
- मतदाता दिवस 2019 की थीम "कोई मतदाता छूटना नहीं चाहिए" थी।
- इस दिवस को भारतीय चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।

प्रवासी लाभांश पेंशन योजना

- केरल सरकार ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की शुरूआत की है।

संबंधित जानकारी

योजना के संदर्भ में जानकारी:-

- यह योजना, केरल सरकार द्वारा प्रवासी मलयालियों के प्रति कल्याणकारी उपायों के भाग के रूप में प्रस्तावित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत, गैर-निवासी केरलवासियों को 5 लाख रुपये के एकल भुगतान पर एक नियमित पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस एकल भुगतान को ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु के.आई.आई.एफ.बी. (केरल ढांचागत निवेश निधि बोर्ड) में जमा किया जाएगा।

- सरकार ने राज्य की समग्र प्रगति और विकास के लिए केरल के गैर-निवासी भारतीयों की विशेषज्ञता, प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से लोक केरल सभा (एल.के.एस.) की शुरूआत की थी।

भारत ने 70वां गणतंत्र दिवस मनाया है।

- भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को भारत के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु मनाते हैं क्यों कि 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।
- इस गणतंत्र दिवस की थीम: "गांधी का जीवन" थी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है।
- दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति, सिरिल रामाफोसा, इस 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे।
- दूसरी बार दक्षिण अफ्रीकी नेता को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित किया गया है, इससे पूर्व वर्ष 1995 में नेल्सन मंडेला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

इस गणतंत्र दिवस के संदर्भ में अद्वितीय तथ्य:-

- 70वें गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली महिला अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक थी, जिसमें लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने 144 पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व किया था।
- भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने थलसेना सेवा दलों का नेतृत्व किया है।
- असम राइफल्स की एक पूर्णतया महिला टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था, यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसने पहली बार परेड में भाग लिया था।
- गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित किए जाने वाले शस्त्रों में डी.आर.डी.ओ. की मैद्यम-दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एम.आर.एस.ए.एम.) के साथ-साथ

- एम.777 और के.-9 अत्यंत हल्की तोरें शामिल हैं।
- भारतीय सशस्त्र बलों के लिए "शंखनाद" नामक एक सैन्य धुन बनाई गई थी जिसे पहली बार 70वें गणतंत्र दिवस की परेड में बजाया गया था।
 - स्वतंत्रता से लेकर अब तक, भारतीय रक्षा सेनाएं अंग्रेजों द्वारा निर्मित 'सैन्य धुनों' को बजा रहे हैं। 'शंखनाद', भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है।

संबंधित जानकारी

- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हआ था, इस तिथि को विशेष रूप से पूर्ण स्वराज दिवस की सालगिरह के कारण चुना गया था।
- 26 जनवरी, 1930 को 'पूर्ण स्वराज दिवस' या कांग्रेस द्वारा देश को उसके उपनिवेशवादियों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के संकल्प दिवस के रूप में चिह्नित किया गया था।

प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

- भारतीय राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख (मरणोपरांत) और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है।

भारत रत्न

- भारत रत्न, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- भारत रत्न का प्रावधान वर्ष 1954 में पेश किया गया था।
- यहां पर ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाना चाहिए।
- यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा/ प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रदान किया जाता है।

- यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही सीमित था लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में "मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र" को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया था।

नोट:

- संविधान के अनुच्छेद (1) में कहा गया है कि यह पुरस्कार, प्राप्तकर्ता के नाम में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि, इस पुरस्कार के विजेता को आवश्यक माना जाना चाहिए, वह व्यक्ति अपने बायोडाटा/ लेटरहेड / विजिटिंग कार्ड आदि में इस अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता है कि वह भारत रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है।

शहरी युवाओं हेतु "युवा स्वाभिमान योजना"

- मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग के युवाओं के लिए "युवा स्वाभिमान योजना" की शुरूआत की है।

योजना के संदर्भ में जानकारी:-

- यह योजना छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों में समाज के कमज़ोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस, एक मगरमच्छ प्रजाति है जिसे नर्मदा से निकाला जा रहा है।

- मगर मगरमच्छ को दलदली मगरमच्छ अथवा ब्रॉड-स्नॉउटेड मगरमच्छ भी कहा जाता है, यह एक प्रजाति (क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस) है जो मूल रूप से दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान से भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका के ताजे पानी आवासों में पाई जाती है।
- गुजरात वन विभाग ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परिसर में दो तालाबों से मगरों को

निकालना शुरू किया है, जिससे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जलविमान सेवा की सुविधा प्रदान की जा सके।

- यह प्रजाति पहले से ही भूटान और म्यांमार में विलुप्त हो चुकी है, इस मगर प्रजाति को वर्ष 1982 से आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।
- अधिनियम में छह अनुसूचियों में अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध प्रजातियों को उच्च श्रेणी का संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है और अपराधियों के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। अतः अनुमति के बिना इसका स्थानांतरण करना अथवा इसे पकड़ना अवैध है।

निवास

- नर्मदा बांध से 90 किलोमीटर दूर स्थित बडोदरा शहर, देश का एकमात्र शहर है जहां पर मगरमच्छ, मानव आबादी के बीच अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं।
- विश्वामित्री नदी में लगभग 300 मगरमच्छ हैं, इस नदी से प्रायः मगरमच्छ लोगों के घरों में घुस जाते हैं जिससे उन्हें मारने और पकड़ने की घटनाएं बढ़ गई हैं।
- इनमें से अधिकांश मगरमच्छों को बाद में मानव निवास से दूर नर्मदा बांध के पानी में छोड़ दिया जाता है।

मगरमच्छों का महत्व

- मगरमच्छ, अपनी त्वचा और मांस के लिए मूल्यवान हैं।
- कुछ मामलों में, उनकी पूजा भी की जाती है, जिसमें नर्मदा नदी भी शामिल है। नर्मदा देवी की मूर्तियों में मगरमच्छ उनकी सवारी के रूप में दिखाई देता है, नर्मदा बांध के परिसर में उनकी एक मूर्ति बनी हुई है।

- गुजरातियों के एक वर्ग द्वारा पूजी जाने वाली देवी खोदियार मां भी भूमि और पानी पर अपने वर्चस्व के प्रतीक के रूप में एक मगरमच्छ की सवारी करती हैं।

भारतीय रेलवे की सबसे तेज "ट्रेन 18" का नाम "वंदे भारत एक्सप्रेस" रखा गया है।

- भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन रहित हाई-स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है।
- यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के मध्य अधिकतम 160 कि.मी. प्रति घंटे की रफतार से दौड़ने के लिए तैयार की गई है।
- इस ट्रेन में 16 डिब्बे हैं, इसे आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली द्वारा 97 करोड़ रुपये की लागत से 18 महीनों में बनाया गया है।
- यह देश की पहली लोकोमोटिव-रहित ट्रेन भी है।
- यह पूर्णतया वातानुकूलित ट्रेन है।

उड़ीसा सरकार ने मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए "दमन" पहल की शुरूआत की है।

- उड़ीसा सरकार ने एक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम- "दुर्गमा अंछालारे मलेरिया निराकरण (दमन)" पहल की शुरूआत की है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान मलेरिया की सामूहिक जांच और पॉजिटिव मामलों के रोगियों के इलाज के साथ ही गहन निगरानी, मच्छर नियंत्रण उपाय और नियमित स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां सम्पन्न करना शामिल है।
- दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों की सामूहिक जांच और उपचार के लिए जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली 2 (डी.एच.आई.एस. 2) का प्रयोग किया जाता है, यह मलेरिया के लिए ओपन-सोर्स वेब-आधारित निगरानी तंत्र है।

मलेरिया के संदर्भ में ओडिशा की स्थिति

- उड़ीसा में पूरे देश के 40% प्रतिशत मलेरिया रोगी पाए जाते हैं, उड़ीसा ने राज्य में औसत

मासिक मलेरिया के मामलों में 85% की गिरावट दर्ज की है।

संबंधित जानकारी

मलेरिया

- यह रोग, प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है।
- मलेरिया, सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है जहां परजीवी जिंदा रह सकते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार:-

 1. भारत, मलेरिया के सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में से एक मात्र देश है जिसने इस बीमारी के मामलों को कम करने में पर्याप्त प्रगति दर्शायी है।
 2. भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 2015 में वर्ष 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने का संकल्प लिया था।
 3. भारत ने पांच वर्ष की राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रणनीतिक योजना (एन.एस.पी.एम.ई.) (2017-2022) की शुरूआत की है जो मलेरिया के "नियंत्रण" से "उन्मूलन" पर केंद्रित है।
 4. एन.एस.पी.एम.ई. में वर्ष 2022 तक भारत के 678 जिलों में से 571 जिलों में मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य भी शामिल है।

राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव

- दूसरे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव का शुभारंभ चिलिका के मंगलाजोड़ी में किया गया है।
- इस महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में पारिस्थिक-पर्यटन और पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है।
- इस महोत्सव का आयोजन, संयुक्त रूप से उड़ीसा पर्यटन और चिलिका विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव पुरस्कार, मंगलाजोड़ी पारिस्थिक पर्यटन समूह को पक्षी संरक्षण में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदान किया गया है।

चिलिका झील

- तटीय उड़ीसा में स्थित चिलिका झील, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
- अपनी समृद्ध जैव-विविधता और सामाजिक-आर्थिक महत्व के साथ चिलिका झील को वर्ष 1981 से रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि) के रूप में नामित किया गया है।
- यह पक्षियों के लिए मध्य एशियाई हवाई रास्ते में स्थित है, यह पूर्वी तट के किनारे उनके प्रवास पर जाने और प्रवास से लौटने के दौरान आर्कटिक और उप-आर्कटिक क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव है।

उड़ीसा सरकार ने "जीबन संपर्क" परियोजना की शुरूआत की है।

- उड़ीसा ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के कल्याण के लिए जीबन संपर्क परियोजना की शुरूआत की है।

जीबन संपर्क परियोजना

- इस परियोजना को यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य उड़ीसा में राज्य सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी पहलों पर, विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण पहलों के संदर्भ में पी.वी.टी.जी. के मध्य जागरूकता पैदा करना है।
- इस परियोजना के प्रमुख क्षेत्र जनजातीय समूहों के मध्य कौशल विकास, समुदायों का सशक्तीकरण, सहयोग और नवाचार हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.)

- पी.वी.टी.जी., भारत की अनुसूचित जनजातियों का कमज़ोर वर्ग है।
- यह वर्ग अपेक्षाकृत पृथक्कृत, शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ और सुविधाओं से दूर एक निवास स्थान में रहता है।
- पी.वी.टी.जी. एक संवैधानिक श्रेणी नहीं है और न ही ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त समुदाय हैं।
- यह भारत सरकार का वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को विशेष रूप से कम विकास वाले कुछ निश्चित

समुदायों की स्थितियों में सुधार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

- पी.वी.टी.जी. के निर्धारण हेतु अनुसरण किए जाने वाले मानदंड निम्नानुसार हैं:
 1. तकनीकि का कृषि से पहले का स्तर
 2. एक स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या
 3. बहुत कम साक्षरता
 4. अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर

जिरालिनोन टॉक्सिन

- जिरालिनोन एक फंफूटीय टॉक्सिन है जो गेहूं, मक्का और जौं जैसे अनाजों में पाया जाता है।
- हाल ही के कई अध्ययनों ने उत्तर प्रदेश के बाजारों के गेहूं, चावल, मक्का और जई में जिरालिनोन की उपस्थिति का पता लगाया है।
- यह फसलों पर उनके बढ़ने के दौरान हमला करते हैं, लेकिन ये तब भी विकसित हो सकते हैं जब अनाजों को पूर्णतया सुखाए बिना संग्रहित किया जाता है।

मुद्दा क्या है?

- फंफूटीय विषाक्त पदार्थ, सामान्यतः खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है।
- भारत इनमें से कुछ के स्तर को विनियमित करता है, जिसमें एफलाटॉक्सिन, डीऑक्सीनिवालीनॉल, एर्गोट और पातुलिन शामिल हैं।
- पहले तीन अनाजों पर हमला करने वाले टॉक्सिन हैं, जब कि पातुलिन, सेब में पाया जाता है।
- इनमें से प्रत्येक टॉक्सिन बीमारी के प्रकोप से संबंधित है।
- घातक एफलाटॉक्सिन का सेवन करने से लीवर कैंसर हो सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कर्क रोग अनुसंधान संस्था (आई.ए.आर.सी.) ने एफलाटॉक्सिन को ग्रुप 1 कैंसरजनक के रूप में वर्गीकृत किया है, इसका अर्थ है कि इसमें इसकी कैंसरजननशीलता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपस्थित है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में गैर-संचारी रोग शीर्ष जानलेवा बीमारियां हैं: डब्ल्यू.एच.ओ.

- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, गैर-संचारी रोग (एन.सी.डी.)- मुख्य रूप से हृदय रोग, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां, मधुमेह और कैंसर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में निरंतर रूप से शीर्ष जानलेवा बीमारियां बनी हुई हैं।

रिपोर्ट के परिणाम

- चार "प्रमुख" एन.सी.डी., चार परिवर्तनीय व्यवहार जोखिम कारकों के कारण काफी तक फैलती हैं:
 1. तंबाकू का उपयोग
 2. अस्वास्थ्यकर आहार
 3. अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि
 4. शराब का हानिकारक उपयोग
- पूरे विश्व में होने वाली मौतों के 70 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 41 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिए मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।
- इनमें 30 से 69 वर्ष की आयु के मध्य समय से पहले मरने वाले 15 मिलियन लोग शामिल हैं।

इसे कैसे कम किया जा सकता है?

- पूरे विश्व में किए गए एक अध्ययन से जात हुआ है कि फाइबर और साबुत अनाज का सेवन हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों से स्वास्थ्य जोखिम को कम कर सकता है।
- फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने से कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे में 16% से 24% तक कमी आती है।
- फाइबर के कम सेवन की तुलना में फाइबर का अधिक सेवन करना कम शरीरिक वजन, सिस्टोलिक रक्तचाप और कुल कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है।

कॉस्मिक माइक्रोवेव बैंकग्राउंड (सी.एम.बी.) परियोजना - भारत

- वैज्ञानिक अंतरिक्ष परियोजना सी.एम.बी.-भारत को इसरो के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- इस परियोजना को खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (आई.यू.सी.ए.ए.ए.), पुणे द्वारा विकसित किया गया है।
- इस परियोजना के अत्यंत प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और अत्यंत उच्च ऊर्जा भौतिकी के पहले स्पष्ट संकेत को प्रकट करने की उम्मीद है।
- यह निकट-परम सर्वेक्षण ध्रुवीकरण को प्रस्तावित करता है जो ब्रह्मांड विज्ञान के लिए स्वर्ण खदान में मौलिक जानकारी को समाप्त कर देगा।
- इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में सभी काले पदार्थ और अधिकांश बेरिओनों को मैप करना है।

गोवा का अटल सेतु

- गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा में मांडवी नदी पर "अटल सेतु" का अनावरण किया है।
- यह चार-लेन 5.1 किलोमीटर लंबा तारों पर आधारित पुल है जो राज्य की राजधानी, पणजी को उत्तरी गोवा से जोड़ता है।

संबंधित जानकारी

मांडवी नदी

- मांडवी को महादायी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे गोवा की जीवनरेखा के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- यह नदी कर्नाटक के बेलागवी जिले में पश्चिमी घाट में भीमगढ़ से निकलती है।
- इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र क्रमशः गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है।
- गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य नदी के पानी के बंटवारे पर मतभेद के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा किए गए दावों की जांच करने हेतु महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लिए कोटे को मंजूरी प्रदान की है।

- जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2014 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है, जो राज्य के पहाड़ी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करता है।
- इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है।

पहाड़ी समुदाय

- पहाड़ी एक भाषाई समूह है, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल हैं और यह मुख्य रूप से पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में रहते हैं।
- अपने निवास के क्षेत्रों की दूरदर्शिता और दुर्गमता के कारण पहाड़ी समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक संकट का सामना किया है जो समग्र सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है।

कोङ्डावीद् बौद्ध, सातवाहन काल के समय जितने पुराने हैं।

- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने बौद्ध को कोङ्डावीद् किला (गुंटुर, आंध्र प्रदेश) के सिवालयम के गर्भगृह (पवित्रम स्थल) के नीचे पाया है।
- ये अवशेष, अंतिम सातवाहन काल- पहली से दूसरी शताब्दी के समय के हैं।

पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने 'नीति आयोग 2.0' की स्थापना के लिए पहल की है।

- पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने 'नए नीति आयोग' अथवा नीति आयोग 2.0 की स्थापना के लिए पहल की है।
- समाजवादी-युग के योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को मोदी सरकार द्वारा प्रबुद्ध मंडल नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत को नीति आयोग 2.0 की आवश्यकता क्यों है?

- केलकर ने 'भारत के नए वित्तीय संघवाद की ओर' नामक शीर्षक के एक पेपर में तर्क दिया है

कि प्रबुद्ध मंडल नीति आयोग द्वारा योजना आयोग की जगह लेने से सरकार की नीति पहुंच में कमी आई है।

- अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने सहित संरचनात्मक मुद्दों से संबंधित काम करने हेतु नए नीति आयोग अथवा नीति आयोग 2.0 जैसी कार्यात्मक रूप से अलग इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए है।
- नीति आयोग 2.0, राज्यों को विकास अथवा परिवर्तनशील पूँजी अथवा राजस्व अनुदान आवंटित करने हेतु जिम्मेदार होगा।
- नए नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने हेतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संस्था सरकार के निर्णय लेने में उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) का स्थायी निमंत्रण होना चाहिए।
- नई नीति आयोग को राज्य के वार्षिक व्यय कार्यक्रमों के अनुमोदन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 'रीतिपूर्ण' प्रक्रियाओं के साथ एक प्रबुद्ध मंडल के रूप में बने रहने के प्रयास वित्तीय रूप से मजबूत माने जाते हैं और इसकी ऊर्जाओं को सुसंगत रूपरेखा माध्यम और दीर्घकालिक रणनीति और बदलते हुए भारत के लिए संगत निवेश संसाधनों को समर्पित करना चाहिए।

सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना की शुरूआत की गई है।

- केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का अनावरण किया है।
- इस परियोजना में "उत्तर पूर्वी क्षेत्र: रंगपो-रोराथांग- अरितार- फदमचेन-नाथांग-शेरथांग- त्सोंगमो- गंगटोक-फोदोंग- मंगन- लाचुंग- युमथांग- लाचेन- थंगु- गुरुडोंगमर- मंगन- गंगटोक-तुमिनलिंगी- सिंगतम" के विकास को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा।

सम्बंधित जानकारी

स्वदेश दर्शन योजना

- यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- यह योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी।
- इस योजना को देश में विषय आधारित पर्यटन क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था।
- इसमें निश्चित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत स्वैच्छिक वित पोषण का भी प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत ने विकास हेतु 13 विषयगत क्षेत्रों की पहचान की है:
 - (1) बौद्ध क्षेत्र
 - (2) उत्तर-पूर्वी भारत क्षेत्र
 - (3) तटीय क्षेत्र
 - (4) हिमालयी क्षेत्र
 - (5) कृष्णा क्षेत्र
 - (6) मरुस्थलीय क्षेत्र
 - (7) पारिस्थिक क्षेत्र
 - (8) वन्यजीव क्षेत्र
 - (9) जनजातीय क्षेत्र
 - (10) ग्रामीण क्षेत्र
 - (11) आध्यात्मिक क्षेत्र
 - (12) रामायण क्षेत्र
 - (13) विरासत क्षेत्र

असम में स्वर्ण लंगूर प्रजनन परियोजना की सफलता की घोषणा की गई है।

- असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री ने राज्य में स्वर्ण लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सफलता की घोषणा की है।
- स्वर्ण लंगूर संरक्षण परियोजना को 2011-12 वित्त वर्ष के दौरान गुवाहाटी में असम राज्य चिडियाघर में शुरू किया गया था, यह योजना केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा वित पोषित की गई थी।

संबंधित जानकारी

स्वर्ण लंगूर

- यह भारत के पश्चिमी असम के छोटे क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पुराना विश्व बंदर है, यह

- बंदर पड़ोसी देश भूटान के काले पर्वतों की तलहटी में भी पाया जाता है।
- यह भारत में सबसे अधिक लुप्तप्राय बंदर प्रजातियों में से एक है।
- इसकी "आई.यू.सी.एन. स्थिति", लुप्तप्राय है।

आई.सी.ए.आर. ने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) की शुरुआत की है।

- आई.सी.ए.आर. ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) की शुरुआत की है।
- इस परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा।
- इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिभाओं को आकर्षित करना और देश में उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत बनाना है।

संबंधित जानकारी

- कृषि व्यवसाय में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के क्रम में छात्र रेडी (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- इस योजना के अंतर्गत पूर्वस्नातक छात्रों को कृषि और उद्यमिता का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।
- हाल ही में, देश के दूसरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) की स्थापना झारखण्ड के बराही में की गई थी।

आभूषणों के लिए एक "परिषद" का गठन किया जाएगा।

- वाणिज्य मंत्रालय ने देशीय रूपन एवं आभूषण परिषद के गठन की घोषणा की है।
- यह उद्योग के देशीय व्यापार हितधारकों को एक छतरी के नीचे लाने में मदद करेगा जिससे कि वे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित कर सकें।
- यह परिषद, पहले से मौजूद बड़े देशीय बाजार में नए अवसरों का दोहन करने में मदद करेगी।

- देशीय परिषद की पहली प्राथमिकता कारीगरों के जीवन स्तर को सुधारने की होनी चाहिए।

भारतीय छात्र, पी.आई.एस.ए. 2021 में भाग लेंगे।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम- पी.आई.एस.ए. 2021 में भाग लेने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पी.आई.एस.ए.-2021, एक योग्यता-आधारित परीक्षण है, जो रीडिंग, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रों के शिक्षण स्तर का परीक्षण करता है।
- समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 15 वर्षीय भारतीय छात्र, अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम अथवा पी.आई.एस.ए. में भाग लेने हेतु सक्षम हो गए हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है।

पी.आई.एस.ए. में भारत की भागीदारी:

- इस कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.), नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) द्वारा संचालित विद्यालय और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के विद्यालय भाग लेंगे।
- देश के अंतर्गत, पी.आई.एस.ए. में शिक्षा के सभी प्रारूपों अर्थात् सार्वजनिक, निजी, निजी सहायता प्राप्त आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 वर्षीय छात्रों के नमूने को शामिल हैं।
- पी.आई.एस.ए., एक योग्यता-आधारित मूल्यांकन है जो सामग्री-आधारित मूल्यांकन के विपरीत है। यह छात्र द्वारा आधुनिक समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने हेतु ग्रहण की गई आवश्यक प्रमुख दक्षताओं की सीमा को मापता है।
- यह भारतीय छात्रों की मान्यता और स्वीकार्यता को बढ़ावा देगा और उन्हें 21वीं शताब्दी में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम 2009 (पी.आई.एस.ए.) में भाग लिया था और

74 भागीदार देशों के मध्य 72वां स्थान प्राप्त किया था।

- तब यू.पी.ए. सरकार ने भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए "संदर्भ से बाहर" सवालों को दोषी ठहराते हुए पी.आई.एस.ए. का बहिष्कार किया था।

पी.आई.एस.ए. की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

- पी.आई.एस.ए., प्रत्येक तीन वर्षों में आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण (प्रत्येक तीन वर्ष) है, जिसका उद्देश्य 15 वर्षीय छात्रों के कौशल और ज्ञान का परीक्षण करके पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना है।
- छात्रों का रीडिंग, गणित, विज्ञान और सहयोगी समस्या-समाधान के क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जाता है।
- पी.आई.एस.ए. में भागीदारी, देशों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ धरातलीय प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करती है।

दिग्गज कंपनी टाटा ने 1 बिलियन डॉलर ई.एस.जी. निधि के लिए क्वांटम के साथ साझेदारी की है।

- तीन पूर्व टाटा समूह अधिकारियों ने क्वांटम सलाहकारों के साथ साझेदारी की है, जिसके परिणामस्वरूप 1 बिलियन डॉलर पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ई.एस.जी.) निधि शुरू की जाएगी।

निधि के संदर्भ में जानकारी:

- यह निधि मुख्य रूप से सूचीबद्ध मिड-कैप कंपनियों में निवेश की जाएगी जो पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ई.एस.जी.) के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं।
- प्रस्तावित समान संयुक्त उद्यम (जे.वी.) पैशन निधि, स्वायत्त संपत्ति निधि और उच्च कुल-मूल्य व्यक्तियों (एच.एन.आई.) के परिवारिक कार्यालयों जैसे- ई.एस.जी. को महत्व देने वाले दीर्घकालिक विदेशी निवेशकों से धन जुटाएगा।
- इस निधि का उद्देश्य भारतीय कॉरपोरेट्स में उच्च ई.एस.जी. प्रदर्शन करना होगा और यह सार्वजनिक बाजारों में निवेश करने के लिए एक

संलग्न, निजी इकिवटी इण्टिकोण को अपनाएगा, उन कंपनियों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो उत्कृष्टता के ई.एस.जी. मानकों को सक्रिय रूप से अपनाने के दीर्घकालिक लाभों को मान्यता प्रदान करने के इच्छुक हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे: विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।

एक्सप्रेसवे के संदर्भ में जानकारी:

- यह एक्सप्रेसवे, प्रयागराज (इलाहाबाद) से पश्चिमी प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।
- यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पहुँचेगा।

नई दिल्ली सुपरबग जीन, आर्कटिक तक पहुंच गया है।

- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने आर्कटिक क्षेत्र में एक सुपरबग जीन "ब्ला एन.डी.एम.-1" पाया है।
- "ब्ला एन.डी.एम.-1", नई दिल्ली मेटेलो-बीटा-लैक्टमेज़-1' को दर्शाता है।
- एक दशक से अधिक समय पहले पहली बार नई दिल्ली में इसका पता लगाया गया था।
- स्वालबार्ड क्षेत्र से लिए गए मिट्टी के नमूनों ने उच्च आर्कटिक में "ब्ला एन.डी.एम.-1" के प्रसार की पुष्टि की है।
- स्वालबार्ड क्षेत्र, मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के मध्य एक नॉर्वेजियन द्वीपसमूह में स्थित है।
- यह एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीन (ए.आर.जी.), मूल रूप से भारतीय नैदानिक सेटिंग्स में पाया जाता है।
- सुपरबग, सूक्ष्मजीवों में बहु-दवा प्रतिरोध (एम.डी.आर.) प्रदान करता है।

भारत ने दूसरे शीर्ष इस्पात उत्पादक के रूप में जापान को प्रतिस्थापित किया है।

- भारत ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में जापान को प्रतिस्थापित किया है, जब कि चीन कुल वैश्विक उत्पादन के 51 प्रतिशत से अधिक भाग के साथ कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह विश्व इस्पात संघ (वल्डस्टील) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है।
- वैश्विक इस्पात निकाय ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2017 में 870.9 एम.टी. से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 928.3 एम.टी. हो गया है।
- वर्ष 2018 में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 106.5 एम.टी. था, जो 2017 के 101 एम.टी. से 4.9 प्रतिशत अधिक था।
- जापान ने वर्ष 2018 में 104.3 एम.टी. उत्पादन किया है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्ष 2018 में कच्चे इस्पात के 86.7 एम.टी. उत्पादन के साथ चौथे स्थान पर है।

संबंधित जानकारी

विश्व इस्पात संघ

- यह विश्व के उद्योग संघों में से एक है।
- इसके सदस्य विश्व के कुल इस्पात उत्पादन के लगभग 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 10 सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से 9 कंपनियों के साथ 160 से अधिक इस्पात उत्पादक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघ और इस्पात अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

आई.ई.ए. की रिपोर्ट - "रेल का भविष्य"

- रेल एवं कोयला मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आई.ई.ए.) की "रेल का भविष्य" रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी:-

- यह इस प्रकार की पहली रिपोर्ट है जो इसकी ऊर्जा और पर्यावरणीय निहितार्थ के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से पूरे विश्व में रेल के वर्तमान और भविष्य के महत्व का विश्लेषण करती है।
- यह रिपोर्ट रेल के भविष्य पर मौजूदा योजनाओं और विनियमों के प्रभाव की समीक्षा करती है और एक विकसित रेल भविष्य का अनुभव करने में सहायता करने वाली प्रमुख नीतियों का अन्वेषण करती है।
- इस रिपोर्ट में भारत पर, भारत में रेल की अनूठी सामाजिक और आर्थिक भूमिका के विस्तार के साथ ही इसकी महान सहनीय क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा यह दर्शाने हेतु किया गया है कि भारत किस प्रकार से व्यापक और पैमाने स्तर पर रेल का विस्तार करने हेतु अपने नेटवर्क का प्रसार और अपडेट कर सकता है, जो कि अद्वितीय है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने 30 सदस्य देशों और 8 संघ देशों के लिए विश्वसनीय, स्वती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करता है।
- इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1973 के तेल संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के ढांचे के अंतर्गत की गई थी।
- यह मिशन चार प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान देने द्वारा निर्देशित है:
- ऊर्जा सुरक्षा
- आर्थिक विकास
- पर्यावरण जागरूकता
- वैश्विक वरचनबद्धता

नोट: भारत, उदाहरण के लिए, ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य (ई.टी.पी.) प्रकाशन और विश्व ऊर्जा आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ.) के भारतीय विद्युत क्षेत्र पर विशेष ध्यान के माध्यम से आई.ई.ए. के हालिया विश्लेषणों और रिपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आइनोसाइन-5 मोनोफास्फेट डिहाइड्रोजिनेस (आई.एम.पी.डी.एच.): पेट के संक्रमण के इलाज हेतु नया यौगिक है।

- आई.आई.टी., गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने एक नया यौगिक "आई.एम.पी.डी.एच." संश्लेषित किया है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक सामान्य जीवाणु के कारण होने वाले पेट के संक्रमण का इलाज करने में मदद कर सकता है।
- प्रावरोधक, इन्डोल नामक एक सुगन्धित रासायनिक यौगिक पर आधारित है।
- यह एच. पाइलोरी संक्रमण का इलाज करने में मदद कर सकता है जो जठरशोथ, पेप्टिक अल्सर और पेट के कैंसर का कारण है।

संबंधित जानकारी

- अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने एच. पाइलोरी से आई.एम.पी.डी.एच. जीन को अलग किया और संपादित प्रोटीनों को व्यक्त किया।
- इस अध्ययन से यह भी जात होता है कि प्रावरोधक मानव को लक्षित न करके विशेष रूप से जीवाणु के आइनोसाइन-5 मोनोफास्फेट डिहाइड्रोजिनेस प्रोटीन को लक्षित करता है। जो इसे मानव उपयोग के लिए सुरक्षित बनाता है।
- यह अनुमान है कि वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा एच. पाइलोरी से संक्रमित हो सकता है।
- जब इस संक्रमण के लक्षणों पर अधिकांशतः ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह जठरशोथ और अल्सर जैसी बीमारियों का कारण बनता है।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी और निम्न श्रेणी की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के कारण लगभग 80 प्रतिशत भाग इस जीवाणु से प्रभावित है।
- वर्तमान में, इस संक्रमण का इलाज या तो क्लेरिथ्रोमाइसिन-आधारित चिकित्सा के साथ या इस चिकित्सा और एंटीबायोटिक दवाओं के मिश्रण से किया जाता है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018

- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 (सी.पी.आई.), ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है।
- यह बताता है कि भ्रष्टाचार को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करने में अधिकांश देशों की निरंतर विफलता पूरे विश्व में लोकतंत्र संकट में योगदान दे रही है।
- दो तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है, जिनका औसत स्कोर केवल 43 है।
- डेनमार्क और न्यूजीलैंड क्रमशः 88 और 87 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया क्रमशः 10, 13 और 13 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे नीचे हैं।
- सबसे अधिक स्कोर करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ है, जिनका औसत स्कोर 66 है। जब कि सबसे कम स्कोर करने वाले क्षेत्रों में उप-सहारा अफ्रीका (औसत स्कोर 32) और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया (औसत स्कोर 35) हैं।

भारत का स्थान

- भारत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 (सी.पी.आई.) में 180 देशों में से 78वां प्राप्त हुआ है, वर्ष 2017 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ था।
- भारत ने मामूली रूप से अपने स्कोर में सुधार कर उसे 41 (2017 में 40 से) किया है।

सूचकांक के संदर्भ में जानकारी:-

- विशेषज्ञों और व्यापारियों के अनुसार यह सूचकांक, देशों को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर स्थान प्रदान करता है।
- यह 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत साफ को दर्शाता है।

इसरो ने मानवयुक्त उड़ान के लिए बैंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की है।

- इसरो ने बैंगलोर में अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया है जहां अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

संबंधित जानकारी

मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.डी.एफ.सी.)

- गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एच.एस.एफ.सी. जिम्मेदार होगा जिसमें इड-टू-इंड मिशन योजना, अंतरिक्ष में चालक दल की उत्तरजीविता हेतु इंजीनियरिंग प्रणालियों का विकास, चालक दल का चयन और प्रशिक्षण शामिल है और निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाना भी शामिल है।
- यह मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के अंतर्गत गगनयान की पहली विकास उड़ान के कार्यान्वयन हेतु मौजूदा इसरो केंद्रों का सहारा लेगा।
- अंतरिक्ष संस्था, वर्ष 2021 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए कमर कस रही है जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री के शामिल होने की संभावना है।
- यह योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2020 में पहला मानव रहित मिशन और दूसरा जुलाई, 2021 में करना निर्धारित किया गया है।

डी.डी.ए., 5 फरवरी को लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.), लैंड पूलिंग पॉलिसी (भूमि विलय नीति) के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा।

लैंड पूलिंग पॉलिसी

- यह नीति 95 गांवों में शहरी विस्तार के शहरी क्षेत्रों को कवर करेगी।
- नीति के अंतर्गत, फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) को घटाकर 200 कर दिया गया है, जो कि पहले प्रस्तावित 400 एफ.ए.आर. के विपरीत है।
- पॉलिसी में भाग लेने के लिए पात्रता के उम्मीदवार जमीन मालिक के पास कम से कम 2 हेक्टेएर भूमि होनी चाहिए, इस पॉलिसी को उद्देश्य 76 लाख लागो को समायोजित करना है।

- इस नीति के अंतर्गत नगरीय निकाय "सुविधा प्रदाता और नियोजक" के रूप में कार्य करेगा और डी.डी.ए. को भूमि हस्तांतरित करेगा।

अबर: डिजिटल मुद्रा

- अबर, एक डिजिटल मुद्रा है जिसे हाल ही में यू.ए.ई. और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किया गया है।
- इसका उपयोग ब्लॉकचेन और वितरित खाता तकनीकि के माध्यम से दोनों देशों के मध्य वित्तीय समझौता करने के लिए किया जाएगा।
- डिजिटल मुद्रा, पूरे विश्व में सरकारों और निगमों को नयी आकृति प्रदान करने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों को अपनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

अफ्रीकी जलवायु एवं सतत विकास केंद्र

- अफ्रीकी जलवायु एवं सतत विकास केंद्र का उद्घाटन इटली के प्रधानमंत्री ने रोम में किया था।
- यह केंद्र, इटली सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के सहयोग से खोला गया है।

संबंधित जानकारी

केंद्र के संदर्भ में जानकारी:

- वर्ष 2017 में पर्यावरण मंत्रियों की जी.7 की बैठक द्वारा अनुलेखित घोषणा के आधार पर केंद्र की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है।
- यह केंद्र, पेरिस समझौते और 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अफ्रीका में सामान्य पहलों पर जी.7 और अफ्रीकी देशों के मध्य समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह नीतियों, पहलों, जलवायु परिवर्तन पर सर्वोत्तम प्रथाओं, खाद्य सुरक्षा, पानी तक पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने वाले अनुदानित संसाधनों तक पहुंच हेतु अफ्रीकी देशों के लिए एक फॉस्टरैक, मांग संचालित तंत्र प्रदान करेगा।
- अफ्रीका में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) पर प्रगति को गति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन

मॉडल

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) तीन मॉडलों को प्रस्तावित करती है जिसके माध्यम से राज्य योजना को लागू कर सकते हैं।
- ये मॉडल हैं:
- **बीमा मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत, प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को किया जाता है, जो दावे का प्रशासन और भुगतान करती है।
- **ट्रस्ट-आधारित मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य योजना का प्रबंधन करने हेतु अपना स्वयं का ट्रस्ट बनाता है और दावों को केंद्रीय और राज्य सरकार के योगदान से निर्मित एक कोष द्वारा वितरित किया जाएगा।
- **हाइब्रिड मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत, दावे का एक हिस्सा बीमा मॉडल के अंतर्गत आता है जब कि भुगतान राशि ट्रस्ट के अंतर्गत संसाधित होती है।

संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में जानकारी:

- पी.एम.जे.ए.वाई., आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीबों और कमज़ोर वर्ग के ऊपर से अस्पताल के बड़े खर्चों के वित्तीय भार को कम करना है।
- पी.एम.जे.ए.वाई. योजना के अंतर्गत, नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 10.74 करोड़ गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिक परिवारों की मान्यता प्राप्त व्यावसायिक श्रेणियों को निशुल्क प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- पी.एम.-जे.ए.वाई., सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यू.एच.सी.) और सतत विकास लक्ष्य 3 की उपलब्धि की दिशा में भारत की प्रगति को तेज करना चाहता है, जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।
